[2018] 7 एस. सी. आर 939

भारत का संघ

वी.

मूल्खण्ड खैराती राम ट्रस्ट

(2017 की सिविल अपील संख्या 3155)

09 जुलाई, 2018

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

सामाजिक न्यायः

निजी धर्मार्थ अस्पतालों को नीति का पालन करने का निर्देश

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए-दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की वैधता-इसके परिपत्र दिनांक 2.2.2012 द्वारा सूचित उत्तरदाता-अस्पतालों को लागू करने के लिए

समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त इलाज के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, सामाजिक न्यायविदों के मामले में पारित किया गया-भूमि और विकास अधिकारी का आदेश (एल एंड डी ओ) ने एल एंड डी ओ द्वारा भूमि आवंटित किए गए अस्पतालों को मुफ्त प्रदान करने की नीति का सख्ती से पालन करने के लिए कहा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपचार-प्रतिवादी-अस्पताल, क्योंकि वे सामाजिक न्यायविदों के मामले में पक्षकार नहीं थे, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को चुनौती दी और एल एंड डी ओ-उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया। दिल्ली के एन. सी. टी. और एल. एंड डी. ओ.-की अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः प्रतिवादी अस्पतालों द्वारा धर्मार्थ उद्देश्य के लिए रियायती दरों पर भूमि प्राप्त की गई थी-जब

सरकारी जमीन आवंटित की जाती है, अस्पतालों को सार्वजनिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य देना पड़ता है

ब्याज-एक कल्याणकारी राज्य के रूप में यह राज्य का दायित्व है कि वह भोजन, पोषण, चिकित्सा सहायता आदि बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करे। 21 इसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है और इस प्रकार रोगियों के साथ गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है-यू/आर्ट। 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना होगा-यह यू/आर्ट में निहित मौलिक कर्तव्यों में से एक है। 51 ए (एच) वैज्ञानिक विकास के लिए

स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना-राज्य को भी मानवाधिकार के एजेंडे को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है-कला में स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है। 25 सार्वभौमिक

मानवाधिकारों की घोषणा 10.12.1948-नीतिगत निर्णय दिनांक 10.6.1949 के साथ-साथ एस। 2 धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 यह स्पष्ट करता है कि अस्पतालों के संचालन को धर्मार्थ गतिविधि माना

जाता है जब सरकारी भूमि धर्मार्थ उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाती है, तो सरकार मुफ्त में भुगतान करने का दायित्व अधिरोपित करने की अपनी शक्ति के भीतर होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ व्यवहार-अनुपालन से इनकार करने या दायित्व का उल्लंघन करने पर, पट्टेदार के लिए पट्टे को समाप्त करने के लिए खुला है-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त उपचार की शर्त को लागू करना कला के दायरे में लगाए गए प्रतिबंध के समान नहीं है। 19 (6) दाहिनी ओर यू/आर्ट अंकित है। 19 (1) (छ) सामाजिक न्यायविदों के मामले में निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है-विचाराधीन अस्पतालों और इसी तरह स्थित अन्य अस्पतालों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 1 के आदेश में बनाई गई शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करें और उल्लंघन के मामले में पट्टा रद्द कर दिया जाएगा-भारतीय संविधान कला 19 (1) (छ), 19 (6), 47 और 51 ए (एच)-धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 - एस 2-मानव की सार्वभौमिक घोषणा

अधिकार-कला। 25 - अस्पताल।

अस्पतालः

अस्पतालों का संचालन-बिलों की निकासी के लिए शव को सुरक्षा के रूप में रखने जैसे वाणिज्यिक शोषण के लिए अमानवीय कार्य करना-आयोजितः अस्पतालों का ऐसा आचरण प्रति है

अवैध और आपराधिक और चिकित्सा पेशे में विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के समान-भविष्य में जब भी इस तरह के कार्य की पुलिस को सूचना दी जाती है, तो उसे अस्पताल के प्रबंधन और इस तरह के कार्य में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए।

भारत का संविधानः

कला. 162 कार्यकारी आदेश-कानून के अभाव में

आयोजित की वैधताः के अभाव में कार्यकारी आदेश हो सकते हैं क्षेत्र में विधान-यह राज्य के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए खुला है, भले ही इसके समर्थन में कोई कानून न हो, बशर्ते कि

राज्य उस विषय पर कानून बना सकता है जिसके संबंध में कार्रवाई की जाती है।

सिद्धांत/सिद्धांतः

साइ-प्रेस सिद्धांत-की प्रयोज्यता।

शब्द और वाक्यांशः

' धर्मार्थ ',' धर्मार्थ उद्देश्य ',' धर्मार्थ निगम 'और' धर्मार्थ न्यास '-का अर्थ।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 धर्मार्थ उन जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए सार्वजनिक उद्देश्य है, जो प्राप्त लाभों के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं।

द यूनियन ऑफ इंडिया v. मूल्खण्ड खैराती राम ट्रस्ट

आंतरिक राजस्व संहिता इसे अपने उद्देश्यों के लिए अलग से परिभाषित कर सकती है।

धर्मार्थ क्या है ताकि अधिनियम के तहत लाभ का दावा किया जा सके। चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो आम जनता के लाभ के लिए है। चैरिटेबल पैसा या अन्य सहायता देने में दयालु और उदार होता है।

जरूरतमंद लोगों के लिए। यदि धर्मार्थ की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है एक धर्मार्थ उद्देश्य होने के लिए, इसे कुछ परीक्षणों को पूरा करना होगा। यह सार्वजनिक लाभ के लिए होना चाहिए और समुदाय के पर्याप्त वर्ग के लिए उपलब्ध होना चाहिए। दान के संदर्भ को उनके तकनीकी कानूनी अर्थों में समझा जाना चाहिए। आयकर उद्देश्य के लिए, दान

अधिनियम में परिभाषित किया जा सकता है और उस प्रकाश में, अधिनियम की व्याख्या की जानी चाहिए। सार्वजनिक लाभ धर्मार्थ गतिविधियों का एक अनिवार्य घटक है। दो अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, उद्देश्य स्वयं लाभकारी होना चाहिए और जनता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यदि गरीबों को इसके लाभों से बाहर रखा जाता है तो एक न्यास धर्मार्थ होगा। [पैरा 43] [975-एफ-एच; 976-ए-बी] 1.2 जब सरकारी भूमि आवंटित की जाती है तो तत्काल मामले में साइ-प्रेस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से लागू किया जा सकता है।

भले ही दान देने का तरीका निर्दिष्ट न किया गया हो, अस्पतालों को। इसे बाद में निर्दिष्ट किया जा सकता है और न्यायालय इसके लिए शक्तिहीन नहीं है। धर्मार्थ न्यास के उस उद्देश्य को लागू करें, जिसके लिए आवेदन के विशेष तरीके को दाता द्वारा या अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया था। जहाँ एक वसीयतकर्ता कई धर्मार्थ उद्देश्यों को लाभान्वित करने का इरादा रखता है, जिनमें से एक विफल हो जाता है, तो निधि को अन्य उद्देश्यों के बीच वितरित नहीं किया जाना चाहिए यदि जो विफल हो जाता है वह दान से कोई समानता नहीं रखता है।

अन्य। जब किसी योजना द्वारा न्यासों में परिवर्तन किया जाता है, और योजना के न्यास असंभव हो जाते हैं ताकि एक नई साइ-प्रेज़ योजना की आवश्यकता हो, तो नई योजना के न्यास उपहार के मूल न्यासों के जितना संभव हो उतना करीब होने चाहिए। [पैरा 44] [976-सी-ई]

1.3 गरीबों की राहत आवश्यक में से एक है

दान की आवश्यकताएँ। सभी अस्पताल धर्मार्थ संस्थान नहीं हैं क्योंकि ऐसे अस्पताल हो सकते हैं जो व्यावसायिक रूप से चलते हैं। ये अस्पताल, जो दान की आड़ में काम कर रहे हैं, वास्तव में वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे हैं और ये बन गए हैं

गरीबों के लिए सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाओं का खर्च उठाना असंभव है। उनके जीने का अधिकार खतरे में है। केवल अस्पताल शब्द द्वारा, यह उत्तरदाता-अस्पतालों द्वारा सफलतापूर्वक दावा नहीं किया जा सका कि वे धर्मार्थ हैं। उन्हें अपने दायित्व को पूरा करने और [2018] 7 एस. सी. आर. द्वारा उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

धर्मार्थ गतिविधियों को शुरू करना और नीति में परिकल्पित मुफ्त सेवाएं देकर इसे वास्तविक अर्थ देना। अस्पतालों का यह दावा कि वे अपने स्तर पर दान कर रहे हैं, एक संगठित तरीके से दान के प्रदर्शन के लिए ढाल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तर्क की भावना कि वे दान करते हैं, यह उन पर नहीं लगाया जा सकता है, आत्म-विनाशकारी है और इसमें उत्पन्न अन्यायपूर्ण बाधा को नकारने की प्रवृत्ति रखता है।

वास्तविक दान का मार्ग। [पैरा 46] [976-एफ-एच; 977-ए]

1.4 धर्मार्थ उद्देश्य में गरीबों की राहत, शिक्षा और चिकित्सा आवश्यकताएँ शामिल हैं। धर्मार्थ के प्रावधानों के अनुसार

उपरोक्त परिभाषा के मापदंडों के भीतर। [पैरा 46] [977-बी-सी] 1.5 व्यापक अर्थों में दान में वह सब कुछ शामिल है जो नैतिक कर्तव्य की भावना या मानवीय भावनाओं से प्राप्त होता है।

भावना, गरीबों की राहत। महामादान कानून में, दान का अंग्रेजी कानून की तुलना में अधिक सामान्य महत्व है। गरीबों, फकीरों, अनाथों, जरूरतमंदों और गरीबों के खर्चों को चुकाने और अच्छे कार्यों के खर्चों को चुकाने के लिए एक महामादान द्वारा संपत्ति का वक्फ, धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट बनाता है। आम बोलचाल में, दान शब्द का अर्थ है किसी भी आवश्यक परिस्थिति में किसी को देना और कानून में, इसका अर्थ है सार्वजनिक भलाई के लिए देना। इस प्रकार, धर्मार्थ उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी यदि यह लाभ अर्जित करने के लिए नहीं है। [पारस 47,49] [977-डी-एफ; 979-डी]

1.6 चिकित्सा पेशा मनुष्य के जीवन से संबंधित है। वाणिज्यिक के साथ मानवाधिकारों का संतुलन होना चाहिए।

लाभ होता है। वैश्वीकरण के मद्देनजर, यह बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक शासन है। इन अधिकारों को भी मानवाधिकारों को रास्ता देना होगा। यह सरकार का दायित्व है कि वह जीवन रक्षक दवाओं को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह राज्य का भी उतना ही दायित्व है कि वह ऐसे उपाय करे जिनसे वे स्वयं ही व्यवहार से वंचित न हों। प्रशासन

दवाएं भी चिकित्सा चिकित्सा का एक हिस्सा हैं।

इस प्रकार, भारत संघ के सदस्य बनाम। मूल्खण्ड खैराती राम ट्रस्ट

चिकित्सा पेशे का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वह पीड़ितों का इलाज करे। वे किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं जिसे किसी विशेष दवा या किसी विशेष विशेषज्ञ द्वारा उपचार की सख्त आवश्यकता है, केवल इस आधार पर कि वह ऐसी राय/उपचार के लिए देय शुल्क वहन करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार, जब सरकारी भूमि को अस्पताल चलाने के धर्मार्थ उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया था, तो सरकार को इस तरह के दायित्व को लागू करने का अधिकार है।

[पारस 51,52] [980-एच; 981-ए-डी]

1.7 जब सरकारी जमीन अस्पतालों को आवंटित की जाएगी, तो वे मुफ्त सेवा नहीं कर रहे होंगे, बल्कि एक

रियायती दरों पर सरकारी उदारता प्राप्त करने वाले और इसका आनंद लेते रहने वाले, उनका कर्तव्य है कि वे जनहित में कार्य करें। न केवल रियायती दर पर भूमि प्राप्त की है, बल्कि अन्य दो अस्पतालों, अर्थात् सीता राम भारतीय विज्ञान संस्थान और

रिसर्च एंड फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर ने भी कम पूर्व निर्धारित दर पर भूमि प्राप्त की है, न कि बाजार दर पर। यह सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से नहीं मिला है कि उन्हें जमीन मिली है। इसके अलावा, उनके मामलों में खंड 7 को आवंटन पत्रों में इस प्रभाव से जोड़ा गया था कि "डीडीए अपने विवेक पर किसी भी नियम और शर्तों को बदलने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। ” चूंकि अस्पताल सरकारी भूमि का आनंद ले रहे हैं, इसलिए सरकार के लिए इस तरह के नियम लागू करने और मुफ्त इलाज के लिए शर्तें लागू करने के लिए खुला है

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। [पारस 57,58] [983-सी-ई, एच]

1.8 मानवाधिकारों की प्राप्ति राज्य पर जिम्मेदारियां निहित करती है। राज्य को मानवाधिकार के एजेंडे को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है, विशेष रूप से इसके संबंध में

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 में प्रदान किया गया है

10.12.1948 . [पैरा 59] [984-ए-बी]

1.9 राज्य को भोजन, पोषण, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना होगा और इसमें योगदान देना होगा।

संविधान में रोगियों का इलाज करने का अधिकार भी शामिल है। गरिमा। स्वास्थ्य का अधिकार अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार है। प्रत्येक चिकित्सक, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या अन्यथा, का यह पेशेवर दायित्व है कि वह अपनी सेवाओं का विस्तार देय [2018] 7 एस. सी. आर. के साथ करे।

सरकार का कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए दायित्वों का एक अनिवार्य हिस्सा है। राज्य। सरकार अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र चलाकर इस दायित्व का निर्वहन करती है जो उन सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। मानव का संरक्षण

इस प्रकार जीवन सर्वोपरि है। सरकार गंभीर परिस्थितियों में व्यक्तियों को समय पर देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है। चिकित्सकीय

सरकार द्वारा सुविधाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है बिस्तर की अनुपलब्धता। [पारस 60,61 और 62] [984-सी-जी; 985-बी-डी]

1.10 राज्य ऐसा दायित्व भी लागू कर सकता है जब -

सरकारी भूमि ऐसे अस्पतालों के पास है और यह है ऐसे अस्पतालों पर लगाया गया संवैधानिक दायित्व। के तहत

अनुच्छेद 47, राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह अनुच्छेद 51 ए (एच) में निहित मौलिक कर्तव्यों में से एक है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और मानवतावाद की भावना का विकास किया जाए। जांच और सुधार। [पैरा 63] [985-ई-एफ]

1.11 भले ही धर्मार्थ गतिविधि का उद्देश्य हो

परिभाषित नहीं है, यह अदालत के लिए इसे परिभाषित करने के लिए खुला है। सरकार के निर्णय को इस उद्देश्य के लिए विदेशी नहीं कहा जा सकता है कि किस भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार, राज्य की कार्रवाई को किसी भी तरह से अनधिकृत, अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता है और यह उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में है जिनके लिए चिकित्सा पेशा मौजूद है। [पैरा 65] [986-डी-ई]

1.12 बड़े पैमाने पर अस्पताल अब व्यावसायिक शोषण के केंद्र बन गए हैं और ऐसे उदाहरण सामने आए हैं।

जब किसी शव को अस्पतालों के बिलों की निकासी के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाता है जो स्वयं अवैध और आपराधिक कार्य है। भविष्य में जब भी पुलिस को इस तरह के कृत्य की सूचना दी जाती है, तो उसे अस्पताल के प्रबंधन और सभी संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करना होता है

इस तरह के अमानवीय कृत्य में शामिल डॉक्टर, जो मानव गरिमा के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट कर देता है और आपराधिक उल्लंघन के समान है

चिकित्सा पेशे में विश्वास का। [पैरा 65] [986-ई-एफ]

1.13 यह चिकित्सा पेशेवरों का दायित्व है,

अस्पताल, राज्य और सभी संबंधित यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का गरीब व्यक्ति संघ v.

इलाज दिया जाता है और गरीबी के कारण उससे वंचित नहीं किया जाता है। संविधान में भी यही परिकल्पना की गई है। एक डॉक्टर बनाने पर, राज्य सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि खर्च करता है और निवेश करता है और जरूरतमंदों की सेवा करना संबंधित दायित्व है और रोगी की वित्तीय अक्षमता के आधार पर उपचार से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस हद तक, सही और नैतिक दायित्व को लागू किया जा सकता है और यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आई. पी. डी. और ओ. पी. डी. में मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए विवादित निर्देश जारी करके किया गया है। [पैरा 67] [987-बी-डी]

1.14 यह दिनांकित 10.6.1949 के नीतिगत निर्णय और धर्मार्थ की धारा 2 में निहित प्रावधानों से भी स्पष्ट है। बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 जिसे अस्पतालों के संचालन के रूप में माना जाता है

धर्मार्थ कार्य। नीति में आगे यह था कि आवंटन का दावा करने वाली संस्था धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक चरित्र की होनी चाहिए। [पैरा 67] [987-ई] 1.15 यह नहीं कहा जा सकता है कि यह शर्त अस्पतालों पर लागू नहीं होती है और कला और शिल्प संघ पर लागू होगी, और

आबंटन पत्र और पट्टा विलेख में मुफ्त उपचार प्रदान करने के संबंध में कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी। यह शर्त कि कला और शिल्प संस्थान बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए, मुख्य रूप से धर्मार्थ संस्थानों जैसे अस्पतालों आदि पर लागू होता है, तो इसे केवल कला और शिल्प संस्थान आदि के लिए भी एक दायित्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार अस्पतालों पर एक दायित्व होगा

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए अपने स्वभाव से धर्मार्थ। 'कोई लाभ उद्देश्य नहीं' अभिव्यक्ति भी वाणिज्यिक लाभ के लिए चलाए जा रहे अस्पतालों को बाहर कर देगी। यह उस मूलभूत आधार और आधार का उल्लंघन होगा जिसके आधार पर आवंटन आदेश जारी किया गया था और पट्टा विलेखों को निष्पादित किया गया था। एक बार खुद को धर्मार्थ संस्थान होने का दावा करने के बाद, यह रक्षा के शस्त्रागार में नहीं आता है। इस तरह की याचिका दायर करने और सार्वजनिक उदारता का लाभ प्राप्त करने के लिए। [पैरा 68] [987-एफ-एच; 988-ए-बी]

1.16 वास्तव में, इन अस्पतालों को चलाया जा रहा है

वाणिज्यिक लाभ के लिए पट्टेदार पट्टे को समाप्त कर सकता है। यह उस स्थिति में किया जा सकता है जब मुफ्त [2018] 7 एस. सी. आर. प्रदान करने के दायित्व का किसी भी तरह से पालन करने से इनकार या उल्लंघन किया जाता है।

10 प्रतिशत आई. पी. डी. और 25 प्रतिशत ओ. पी. डी. रोगियों को चिकित्सा उपचार

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। उक्त शर्त को लागू करना नीति में निहित है और

अनुदान जिसके आधार पर भूमि रखी गई है और यहां तक कि दो अन्य संस्थानों यानी सीता राम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के मामले में, क्योंकि वे अस्पताल के उद्देश्य और अस्पताल में अनुसंधान कार्यों के लिए सरकारी भूमि रखते हैं, आवंटन किया गया था

यह भी एक पूर्व निर्धारित दर पर किया जाता है न कि नीलामी के माध्यम से और पट्टा विलेख के खंड 7 में विशिष्ट शर्त पर विचार करते हुए।

और उपरोक्त अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और यह धर्मार्थ गतिविधि होने के कारण, सरकार के लिए यह खुला था कि वह उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करके बाध्य करे। [पैरा 68] [988-बी-ई] 1.17 सामाजिक न्यायविदों के मामले में निर्णय आवंटन में निहित नियमों और शर्तों के आधार पर दिया गया है

इस न्यायालय द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा आदेश की पुष्टि की गई थी, इसलिए यह पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी हो जाता है। [पैरा 69] [988-ई-जी] 1.18 मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट और सेंट स्टीफंस अस्पताल के मामले में, भूमि को वर्ष 1949 की योजना के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया था, जैसा कि आगे संशोधित किया गया था, इस प्रकार, जिस नीति के तहत उन्होंने पट्टा विलेख प्राप्त किया था, वह भी एक प्रासंगिक दस्तावेज होगा और नीति में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भूमि को रखने की पात्रता के लिए सर्वोपरि महत्व का होगा, क्योंकि यह पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला मूल दस्तावेज है, और पट्टा विलेख के नियम और शर्तें नीति के मुख्य उद्देश्य के पूरक होंगे। पट्टा विलेख मुख्य नीति या नियमों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जैसा कि मामला हो सकता है जिसके तहत आवंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है। [पैरा 70] [988-जी-एच; 989-ए-बी]

1.19 न केवल 1949 में प्रचलित नीति द्वारा, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर भूमि, भारत का संघ v प्राप्त की गई थी।

मूल्खण्ड खैराती राम ट्रस्ट

1981 में बनाए गए विकास प्राधिकरण नियम। वे ऐसा नहीं कर सकते। यह तर्क देकर अपने दायित्व से बाहर निकलें कि आवंटन पत्र या पट्टा विलेख में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आवंटन पत्र और पट्टा विलेख मुख्य नीति और नियमों में सवारियों के अधीन हैं जिनके तहत अनुदान दिया गया है। यह नींव है

आबंटन पत्र आ पट्टा विलेख। [पैरा 71] [989-बी-डी] 1.20 यह कहना सही नहीं है कि यह न्यायालय सहानुभूति के कारण आदेश देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

स्थापित कानून और यह इस संस्थान की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। न्यास को अन्यायपूर्ण और अनुचित तरीके से अपने दायित्व से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मूल रूप से ट्रस्ट की स्थापना शुद्ध दान के लिए की गई थी। ट्रस्ट ने अपना मुख्य उद्देश्य खो दिया है और मान लिया है कि वाणिज्यिक चरित्र और यह खेदजनक है कि इसे न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाई जानी चाहिए

जो मौजूद है और एक विशेष आधार पर भूमि प्राप्त करने के बाद, केवल उसके उल्लंघन में देखा जाता है। न्यायमूर्ति कुरैशी समिति की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी

संस्थान को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि न्यायमूर्ति कुरैशी की रिपोर्ट में दर्ज टिप्पणियां अस्पतालों के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थीं, जो अस्पताल के प्रबंधन के साथ विवाद में थे। [पैरा 75] [991-डी-जी]

1.21 मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट की ओर से, ट्रस्ट के निर्माण के उद्देश्य को इंगित करने के लिए वसीयत पर भरोसा किया गया है।

न्यास के निर्माण का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ "आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली" में शिक्षा प्रदान करने और उसमें सुधार करने के लिए साधन तैयार करना और उसी का प्रचार करना था। बाद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजी या यूनानी या किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली से मदद लेना निषिद्ध नहीं था और आवश्यकता के अनुसार, एक या एक से अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जा सकते हैं। जब इसका उद्देश्य केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में सुधार करना था जैसा कि अभिलेख पर सामग्री से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त गतिविधियों को एक कमरे तक सीमित कर दिया गया था और बदल दिया गया था।

मुख्य गतिविधि एक एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है जो [2018] 7 एस. सी. आर. नहीं थी।

न्यास के निर्माता का इरादा। हालाँकि, अस्पताल के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भूमि प्राप्त करने के बाद, नहीं

लाभ और सार्वजनिक भलाई के लिए, चिकित्सा की जो भी प्रणाली प्रशासित की जा रही है, उसे सरकार द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश में परिकल्पित मुफ्त उपचार के ऐसे धर्मार्थ सवार के साथ बाध्य किया जा सकता है। [पैरा 77] [992-बी-एफ] 1.22 इसी तरह, सेंट स्टीफंस अस्पताल मिशनरियों का अस्पताल है और इसका उद्देश्य निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

निः शुल्क धर्मार्थ सेवाएँ लेकिन यह कमोबेश एक वाणिज्यिक उद्यम भी बन गया है जैसा कि तत्काल मामले में शामिल अन्य अस्पतालों के मामले में, दान के लिए इस तरह के प्रावधान का विरोध कैसे किया जाता है, यह समझ से परे है, क्या यह दान बनाम दान है। उन्हें मुफ्त इलाज के लिए उचित और उचित कानूनी शर्तों का पालन करना होगा जो संवैधानिक रूप से भी परिकल्पित हैं। [पैरा 78] [992-जी-एच]

पंजाब राज्य और अन्य। वी. मोहिंदर सिंह चावला और अन्य। (1997) 2 एस. सी. सी. 83 [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 279; बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा और ओआरएस। (2014) 1 एससीसी

384 [2013] 12 एस. सी. आर. 30; व्यावसायिक स्वास्थ्य और

सुरक्षा संघ बनाम। भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1469 [2014] 4 एस. सी. आर. 10; पं. परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ और अन्य। (1989) 4 एससीसी 286: [1989] 3 एस. सी. आर. 997; पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति और अन्य। वी. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्र। (1996) 4 एससीसी 37: [1996]

2 पूरक। एस. सी. आर. 331-पर निर्भर। पी. सी. राजा रत्नम संस्थान बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य। 1990 (एस. सी. सी. 97: [1989] पूरक। एस. सी. आर. 66; दिल्ली नगर निगम बनाम बच्चे।

बुक ट्रस्ट (1992) 3 एससीसी 390: [1992] 2 एससीआर 535;

संभागीय प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब और ए. एन. आर. वी.

चंदर हास और अन्र। (2008) 1 एससीसी 683: [2007] 12 एस. सी. आर. 1084-· संदर्भित।

इंग्लैंड के लिए कानून रिपोर्टिंग की निगमित परिषद

और वेल्स बनाम। ए-जी (1971) 3 सभी ईआर 1029 सीए;

आयरनमोंगर्स कंपनी बनाम ए-जी (1844) 10 सी. आई. और फिन 908

027 एचएल; लैम्बेथ चैरिटीज (1853) 22 एलजे सीएच 959-संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, नौवां संस्करण; वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी; हैल्सबरीज लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, Vol.5, चौथा संस्करण; लॉ लेक्सिकन, पी. रामनाथ अय्यर द्वारा विश्वकोश लॉ डिक्शनरी-संदर्भित।

2.1 यह सही नहीं है कि शर्त लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के दायरे में लगाए गए प्रतिबंध के समान है। उच्च न्यायालय ने कानून में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि शर्त केवल एक सांविधिक कानून द्वारा लागू की जा सकती थी। यह चिकित्सा पेशे को जारी रखने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चिकित्सा पेशे ने अपनी व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति से ऐसी शर्तों के लिए खुद को बाध्य किया है और जब राज्य की भूमि बिना किसी लाभ के सार्वजनिक भलाई के लिए रखी जा रही है, तो ऐसी भूमि सार्वजनिक भलाई के धर्मार्थ उद्देश्य के लिए रखी जाती है। धर्मार्थ उद्देश्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए मुफ्त उपचार का उपरोक्त दायित्व शामिल होगा। यह है।

यह कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि चिकित्सा पेशे के अस्तित्व का उद्देश्य है और सार्वजनिक कार्यों के बिना संस्थानों को भूमि प्रदान करने के लिए नीति/नियमों का उद्देश्य है जो बाजार दर प्राप्त करता और चिकित्सा पेशे का अभ्यास करने या व्यवसाय को जारी रखने के लिए किसी भी तरह की बाधा डालने के बराबर नहीं है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मुश्किल से उन तक पहुँचते हैं, प्रयासों के बावजूद, आर्थिक असमानता बहुत अधिक है और बनी हुई है। वे इस तरह के उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार भूमि पर कब्जा करने के बदले में

सरकार रियायती दर पर और भारी अधिभोग का आनंद ले रही है

उपरोक्त कारणों से मिलने वाले लाभों के साथ-साथ अस्पतालों को सरकारी आदेश के अनुसार मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। [पैरा 83] [998-बी-एफ]

2.2 चिकित्सा पेशे को जारी रखने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, हालांकि, प्रतिवादी अस्पतालों को अन्यथा प्रदर्शन करने का आदेश दिया गया था, जिसे एक ठोस रूप दिया गया था। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति के प्रयोग में परिपत्र जारी करने की अनुमति थी। अस्पतालों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि वे अपने दम पर एक धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे अनुच्छेद 19 (6) के तहत विचार किए गए अर्थ के भीतर एक प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए एक कानून की आवश्यकता थी। पहली बार कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (6), इस प्रकार कोई [2018] 7 एस. सी. आर. नहीं था।

किसी कानून को लागू करने की आवश्यकता के लिए, ऐसे दिशानिर्देश कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी किए जा सकते हैं। [पैरा 86] [999-सी-ई]

2.3 यह राज्य के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए खुला है, भले ही इसके समर्थन में कोई कानून न हो, बशर्ते राज्य कर सके।

उस विषय पर कानून बनाएँ जिसके संबंध में कार्रवाई की जाए। वहाँ

क्षेत्र में कानून के अभाव में कार्यकारी आदेश हो सकते हैं। [पैरा 87] [999-एफ]

2.4 इसलिए, मुफ्त उपचार के लिए ऐसी शर्त अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत निहित अधिकार पर अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध के बराबर नहीं है और अन्यथा भी सरकार द्वारा एक वैधानिक प्रावधान को लागू करना आवश्यक नहीं था।

नैतिक मानकों और लागू अन्य वैधानिक प्रावधानों के रूप में नीति/नियमों/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मौजूदा दायित्व। [पैरा 95] [1013-बी-सी]

राय साहब राम जवाया कपूर और अन्य। वी. पंजाब राज्य [1955] 2 एससीआर 225: ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549; यू. यूनिचोई और अन्य। वी. केरल राज्य ए. आई. आर 1962 एस. सी. 12:

[1962] एस. सी. आर. 946; मिनर्वा टॉकीज़, बैंगलोर और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (1988) पूरक। एससीसी 176: [1988] एससीआर 511; टी. वी. बालकृष्णन बनाम टी. एन. और अन्य का राज्य। 1995 पूरक। 4 एस. सी. सी. 236; ओरिसा राज्य और अन्न बनाम राधेश्याम मेहर और अन्य। AIR 1995 SC 855: (1995) 1 एससीसी 652: [1994] 6 पूरक। एससीआर 591; डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1996) 10 एस. सी. सी. 104 [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 825; इंडियन ड्रग्स एंड

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य। वी. पंजाब ड्रग्स

निर्माता संघ और अन्य। (1999) 6 एससीसी 247

पर भरोसा किया।

खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 1 एस. सी. आर. 322; बिजोए इमैनुएल और ओआरएस। वी. केरल राज्य और अन्य। (1986) 3 एससीसी 615: [1986] 3 एससीआर 518; एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य वी. ठाकुर भरत सिंह ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1170: [1967] एस. सी. आर. 454; बिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य ए. आई. आर. 1955

एससी 33 [1955] एससीआर 752 को संदर्भित किया गया।

3.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि सामाजिक न्यायविदों के मामले में निर्णय न्यास पर लागू नहीं होता है। मुफ्त उपचार की शर्त प्राथमिक उद्देश्य था, जो भारत संघ बनाम में अस्पतालों पर लागू होगा।

मूल्खण्ड खैराती राम ट्रस्ट

और इसी तरह स्थित अन्य सभी अस्पतालों से सवाल करें कि क्या वे उपरोक्त निर्णय में पक्षकार थे या नहीं। दिया गया निर्णय

सामाजिक न्यायविदों के मामले में समान रूप से स्थित संस्थानों पर लागू होगा जो जनहित संस्थान में प्रस्तुत किए गए हैं और इस न्यायालय द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा पुष्टि की गई है। [पैरा 103] [1023 ए-सी]

अस्पतालों की सुनवाई की गई और न्यायमूर्ति कुरैशी समिति द्वारा साक्ष्य दर्ज किए गए और उसके बाद रिपोर्ट में की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। अस्पतालों को कारण दिखाने की आवश्यकता थी। इसके अनुसार, जवाब दाखिल किया गया था। अतः निर्णय को एकतरफा नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 104] [1023-सी-डी] 3.3 पट्टा विलेखों में शर्तों को लागू करने से पहले, दिल्ली के अस्पतालों के लिए एक उच्च स्तरीय 10-सदस्य समिति थी

दिल्ली में अस्पतालों और नर्सिंग होम के कामकाज के संबंध में न्यायमूर्ति ए. एस. कुरैशी की अध्यक्षता में गठित, धर्मार्थ और अन्य अस्पतालों द्वारा दी गई मौजूदा मुफ्त उपचार सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए, जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई थी।

सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित नियम/दरें, और लाभार्थी संस्थानों में समान रूप से जरूरतमंद और योग्य रोगियों के लिए मुफ्त उपचार सुविधाओं के लिए उपयुक्त नीतिगत दिशानिर्देशों का सुझाव देना, विशेष रूप से, निदान, उपचार, आवास, शल्य चिकित्सा, दवाएं और अन्य सुविधाओं को निर्दिष्ट करना जो मुफ्त या आंशिक रूप से मुफ्त दी जाएंगी; इष्टतम के लिए एक उचित रेफरल प्रणाली का सुझाव देना।

योग्य और जरूरतमंद रोगियों द्वारा मुफ्त उपचार का उपयोग; और एक कानूनी ढांचे सहित उपरोक्त के लिए एक उपयुक्त प्रवर्तन और निगरानी तंत्र का सुझाव देना। समिति ने विभिन्न बैठकें कीं, पूछताछ की, मूलचंद खराइती राम अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों की सुनवाई की गई। द.

सरकार ने पाया कि मूलचंद खराइती राम अस्पताल के प्रबंधन ने प्रश्नावली का जवाब भेजने और उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए विरोध और लगातार इनकार किया, जिन्हें उन्हें जांच के अंत में जमा करने की आवश्यकता थी। मूलचंद खराइती राम अस्पताल का पहला दौरा किया गया था

16.1.2001 और दूसरा 21.3.2001 पर। विभिन्न अन्य अस्पतालों का भी दौरा किया गया। समिति ने कहा कि इस तरह के धन कमाने (2018) की अनुमति देने के लिए कोई कानूनी, सामाजिक या नैतिक औचित्य नहीं है।

वाणिज्यिक चिंताएँ। यह भूमि एक धर्मार्थ कार्य के लिए आवंटित की गई थी। उद्देश्य और धर्मार्थ सेवा करना जो अब पूरी तरह से शोषक वाणिज्यिक अस्पतालों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। [पैरा 105] [1023 डी-एच; 1024-ए-बी]

3.4 मूलचंद खराइती राम अस्पताल के संबंध में, न्यायमूर्ति कुरैशी समिति ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की है। यह देखा गया है कि शुरू में ट्रस्ट वास्तव में धर्मार्थ था और ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. वर्गों में रोगियों के लिए एक मुफ्त आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में काम करता रहा। इसने आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी शोध किया। बाद में न्यासियों ने फैसला किया कि एलोपैथिक उपचार भी शुरू करें। एलोपैथिक खंड को वातानुकूलित डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरों के साथ उन्नत किया गया है जिन्हें वार्ड कहा जाता है। वर्तमान में एलोपैथिक खंड में अस्पताल की लगभग 90 प्रतिशत गतिविधियाँ और आयुर्वेदिक सेवाएं शामिल हैं।

खंड घटाकर लगभग 10 प्रतिशत कर दिया गया है। ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. में रोगियों का केवल नाममात्र का आयुर्वेदिक उपचार है, जिसमें मूल रूप से 4 थे।

समिति ने पाया है कि मूलचंद खराइती राम अस्पताल ने न केवल अपने संस्थापक की इच्छाओं के विपरीत काम किया है, बल्कि मुफ्त के संबंध में नियमों और शर्तों का भी उल्लंघन किया है। गरीबों के साथ व्यवहार, खुले तौर पर अक्षर और भावना दोनों में। अस्पताल का प्रबंधन इसे धर्मार्थ नहीं मानता है।

अस्पताल बिल्कुल। यह भूमि ट्रस्ट को आवंटित नहीं की जाती अगर यह धर्मार्थ नहीं होती। फिर भी अस्पताल को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई है। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक न्यायविदों के मामले की सुनवाई के दौरान श्री एन. एन. खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है और इस पर भी विचार किया है और उसके बाद निर्णय लिया गया है। सामाजिक न्यायविदों के मामले में प्रस्तुत किया गया। [पैरा 106] [1024-ए-एच; 1025-ए]

दिल्ली विकास प्राधिकरण और एएनआर। वी. एस. एफ. एस. फ्लैटों और अन्य की संयुक्त कार्रवाई समिति आवंटन। (2008) 2 एससीसी

672 : [2007] 13 एससीआर 811-विशिष्ट

असित कुमार कर बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। (2009)

2 एससीसी 703: [2009] 1 एस. सी. आर. 469-- भारत संघ v.

मूल्खण्ड खैराती राम ट्रस्ट

4. विचाराधीन और इसी तरह स्थित अन्य अस्पताल

अस्पताल, दिनांकित 2.2.2012 आदेश में बनाई गई शर्तों का ईमानदारी से पालन करेंगे और यदि किसी भी उल्लंघन की सूचना दी जाती है,

इसे सख्ती से देखा जाएगा और पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह शर्तों के अनुपालन के संबंध में वर्तमान फैसले की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर इस न्यायालय को एक आवधिक रिपोर्ट दाखिल करे।

उत्तरदाताओं द्वारा-दिल्ली में अस्पताल और इसी तरह के अन्य अस्पताल, जो न केवल सामाजिक न्यायविदों के मामले के निर्णय द्वारा शासित हैं, बल्कि वर्तमान निर्णय द्वारा शासित। [पैरा 109] [1025-जी-एच; 1026 ए-बी]

मामला कानून संदर्भ

[1989] पूरक। एससीआर 66

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1992] 2 एससीआर 535

पै

रा 49

संदर्भित किया गया है

[1996] 10 पूरक। एससीआर 279

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

[2013] 12 एससीआर 30

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

[2014] 4 एससीआर 10

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

[1989] 3 एससीआर 997

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

[1996] 2 पूरक। एससीआर 331

उस पर भरोसा करें

पै

रा 60

[2007] 12 एससीआर 1084

पै

रा 76

संदर्भित किया गया है

[1964] 1 एससीआर 322

संदर्भित किया गया है

पै

रा 80

[1986] 3 एससीआर 518

संदर्भित किया गया है

पै

रा 81

[1967] एससीआर 454

पै

रा 82

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

पै

रा 87

ए. आई. आर 1955 एस. सी. 549

[1962] एससीआर 946

उस पर भरोसा करें

पै

रा 88

[1955] एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पै

रा 88

[1988] एससीआर 511

उस पर भरोसा करें

पै

रा 89

(1995) पूरक। 4 एससीसी 236

उस पर भरोसा करें

पै

रा 90

[1994] 6 पूरक। एससीआर 591

उस पर भरोसा करें

पै

रा 91

[1996] 1 पूरक। एससीआर 825

उस पर भरोसा करें

पै

रा 92

(1999) 6 एससीसी 247

उस पर भरोसा करें

पै

रा 94

[2009] 1 एससीआर 469

संदर्भित किया गया है

पै

रा 107

[2007] 13 एससीआर 811

विशिष्ट पैरा 108 [2018]

7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3155

2007 से। डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.04.2014 से। (ग) 2012 की सं. 1478।

के साथ

सी. ए. सं. 3153-3154 , 3156 और 2017 का 3157-3158।

संदीप सेठी, अजीत कुमार सिन्हा, शांति भूषण, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री साधना संधू, सुश्री आशा गोपालन नायर, शादमान अली,

मोहन प्रसाद गुप्ता, सुश्री आकांक्षा कौल, ए. थानवी, राज बहादुर यादव, बी. वी. बलरामदास, नीरज यादव, मुकेश कुमार मारोरिया, बी. कृष्ण प्रसाद, अशोक अग्रवाल, सुश्री के. आर. चित्रा, सुश्री रितु भल्ला, सुश्री मेधा सचदेवा, सुश्री संजना शर्मा, एस. एस. श्रॉफ, सुमंत भूषण, राजीव शर्मा, सुश्री राधलक्ष्मी आर., टी. रजत कृष्णा, सुश्री गरिमा प्रसाद, डॉ. ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री रत्ना डी.

ढींगरा, सुश्री पी. चड्ना, मुदित शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जिन्हें एल. एंड. डी. ओ. द्वारा भूमि प्रदान की गई है, उन्हें इसमें दिए गए मुफ्त उपचार प्रदान करने की नीति का सख्ती से पालन करना होगा। कि उक्त शर्तें मूलचंद अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल के लिए लागू थे क्योंकि उन्हें एल एंड डी ओ द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। इसी तर्ज पर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा सीताराम भरतिया को पत्र जारी किया गया था और

कैंसर अनुसंधान फाउंडेशन ने निःशुल्क प्रदान करने की शर्त लगाई

समाज के गरीब वर्ग के 10 प्रतिशत घर के अंदर और 25 प्रतिशत बाहर के रोगियों को उपचार। यह निर्णय सामाजिक न्यायविदों के मामले (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में लिया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा 2007 की विशेष अनुमति याचिका [सिविल] No.18599 में भारत का संघ बनाम के माध्यम से संदर्भित किया गया था।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

आई. डी. 1 दिनांकित आदेश जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि 25 प्रतिशत ओ. पी. डी. और 10 प्रतिशत आई. पी. डी. का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। कहा कि रोगियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, संबंधित अस्पताल या तो अपने धन या संसाधनों से या प्रायोजन या दान या दान के माध्यम से उपचार/दवाओं की लागत को पूरा करके लागत की व्यवस्था कर सकता है। उत्तरदाताओं के रूप में- अस्पताल एक पक्ष नहीं थे, उन्होंने रिट आवेदन दायर करके विवादित आदेश में उक्त शर्तों को लागू करने पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय ने शर्तों को लागू करने को रद्द कर दिया है, इसलिए अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

2. तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है कि भारत सरकार ने वर्ष 1949 में अस्पतालों और स्कूलों को अत्यधिक रियायती दरों पर भूमि आवंटित करके अस्पतालों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था ताकि लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने के व्यापक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में उन्हें शामिल किया जा सके। सचिव की अध्यक्षता में दिनांकित 10.6.1949 बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार

(वित्त) यह निर्णय लिया गया कि अस्पतालों और स्कूलों को Rs.2000/- से Rs.5000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि आवंटित की जाएगी। ये अस्पताल

और स्कूलों को धर्मार्थ संस्थानों के रूप में माना जाता था। जबकि संस्थानों से संबंधित पहली सुरक्षा धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक प्रकृति की है, स्कूलों और अस्पतालों को भूमि के आवंटन द्वारा मुफ्त सहायता को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यह भी सहमति हुई कि गैर-लाभकारी निकायों को उपरोक्त संस्थानों के साथ "धर्मार्थ संस्थान" शब्द के तहत शामिल किया जाए। परीक्षा यह होनी चाहिए कि संस्थान को बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए। नीति निर्णय दिनांक 10.6.1949 का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 1) यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि भूमि केवल धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक चरित्र के संस्थानों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, स्कूलों और अस्पतालों को भूमि के आवंटन द्वारा स्वतंत्र रूप से मदद की जानी चाहिए लेकिन

अन्य प्रकार के धर्मार्थ संस्थानों से आवेदन होना चाहिए

व्यक्तिगत रूप से गुणों पर विचार किया जाता है। यह नीचे रखना जोखिम भरा होगा

उत्तरार्द्ध के संबंध में सामान्य नियम।

2) सरकार के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता स्कूलों, अस्पतालों आदि को भूमि के आवंटन की पूर्व शर्त होनी चाहिए।

3) पहला बचाव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यह था। यह समझ में आया कि धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक चरित्र की संस्था वह है जो [2018] 7 एस. सी. आर. के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करती है।

प्रवेश करते समय किसी भी आधार पर लोग। यह भी था

इस बात पर सहमति बनी कि कला और शिल्प सोसायटी और अन्य गैर-लाभकारी निकायों जैसे संस्थानों को "धर्मार्थ संस्थान" शब्द के तहत शामिल किया जाना चाहिए। परीक्षा यह होनी चाहिए कि संस्थान को बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए।

3. आई. डी. 1 पर इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया कि किसी धर्मार्थ संस्थान के लिए प्रीमियम और भूमि किराया क्या होना चाहिए। के अनुसार भारत सरकार द्वारा शिक्षा विभाग, भूमि, दिनांक 25.7.1943 के पत्र में निर्धारित नीति के अनुसार, प्रभारित प्रीमियम बहुत अधिक था, जिसे किसी भी धर्मार्थ संस्थान द्वारा आसानी से देय किया जा सकता था, पाकिस्तान से विस्थापित किसी भी संस्थान द्वारा बहुत कम। उस फार्मूले के अनुसार, धर्मार्थ संस्थान को 25,000 की दर से प्रीमियम देना होगा।

किसी भी

35, 000 प्रति एकड़, और प्रति वर्ष प्रीमियम पर 15 प्रतिशत की दर से भूमि किराया, यह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक होगा। इसलिए, यह सहमति हुई कि दिल्ली में धर्मार्थ संस्थानों को आवंटित भूमि पर प्रभार्य प्रीमियम प्रति एकड़ Rs.2000/- से Rs.5000/- तक भिन्न होना चाहिए।

मूल चंद खैराती राम ट्रस्ट से संबंधित तथ्यः

4. वर्ष 1927 में लाहौर के लाला खराइती राम ने एक वसीयत बनाई थी।

लाहौर में पंजीकृत एक कोडिसिल के साथ, जिसके द्वारा मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट का गठन लाला खराइती राम ने अपने पिता श्री मूलचंद के नाम से किया था। वसीयत के प्रासंगिक खंडों को नीचे निकाला गया हैः

" (8) उपर्युक्त आबंटनों को पूरा करने के बाद प्रत्येक की संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा।
विवरण जो मेरी मृत्यु के बाद भी रह सकता हैः

(क) प्रत्येक विवरण की सभी शेष संपत्ति मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट, लाहौर के नाम से जाने जाने वाले एक ट्रस्ट का गठन करेगी, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगेः

(1) संस्कृत में शिक्षा देना और उसके अनुसार प्रचार करना।

सनातन धर्म पद्धतियाँ, और
(2) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने और उसमें सुधार करने और उसी का प्रचार करने के लिए साधन तैयार करना। में।

उद्देश्य संख्या 2 प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी या यूनानी या किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली से सहायता लेना निषिद्ध नहीं है और आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जा सकते हैं। भारत संघ v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

5. यह ट्रस्ट का मामला था कि लेखक ने वसीयत में ट्रस्ट बनाते समय न तो दान शब्द का उपयोग किया और न ही धर्मार्थ शब्द का। कानूनी रूप से, यह धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 की धारा 2 के प्रावधानों के कारण एक धर्मार्थ न्यास बन गया। मूल चंद अस्पताल का अधिग्रहण किया गया धर्मार्थ होने की धारणा वसीयत या न्यास के लिए निर्धारित उद्देश्य से नहीं बल्कि प्रदान करने की गतिविधि की प्रकृति से है।

चिकित्सा राहत, विशेष रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) को ध्यान में रखते हुए जो धर्मार्थ उद्देश्य को परिभाषित करती है।

7. ट्रस्ट का मामला यह भी था कि आवंटन पत्र में रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए कोई शर्त नहीं थी अस्पताल में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित। इसके बाद, राष्ट्रपति के बीच पट्टा विलेख को औपचारिक रूप से निष्पादित किया गया

भारत सरकार और मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट जो प्रभावी होने वाला था

99 वर्षों की अवधि के लिए 17.4.1951 से। इस पट्टा विलेख में भी किसी भी मरीज के मुफ्त इलाज के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इस प्रकार, यह सरकार के लिए एक कार्यकारी आदेश द्वारा मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने का दायित्व लागू करने के लिए खुला नहीं था। संस्थान के संबंध में 1949 की नीति बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाई जानी चाहिए, जो कला और शिल्प सोसायटी जैसे अन्य संस्थानों पर लागू होती थी, न कि अस्पतालों पर। अधिक से अधिक, नीति में एकमात्र सवार यह था कि संस्थान बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाया जाएगा। मकसद। यह नीति/परीक्षण भूमि के आवंटन के समय लागू किया जाना था और केवल ऐसे संस्थानों को भूमि आवंटित की जानी थी जो सरकार की राय में उक्त मानदंडों को पूरा करते हों। चूंकि विधायिका द्वारा किसी अधिनियम को लागू करके नीति को कानून में परिवर्तित नहीं किया गया है, इसलिए केवल इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि संस्थान को बिना किसी लाभ के चलाया जाना चाहिए और न कि संस्थान को किसी भी निर्दिष्ट संख्या में रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने की आवश्यकता हो। डी. डी. ए. (विकसित नज़ुल भूमि का निपटान) नियम, 1981 न्यास के मामले में लागू नहीं होते हैं। पट्टा विलेख के खंड 14 ने सरकार को ऐसी शर्तें लागू करने के लिए अधिकृत नहीं किया। कि सामाजिक न्यायविदों के मामले (ऊपर) का निर्णय [2018] 7 एस. सी. आर. नहीं है।

लागू होता है क्योंकि उस मामले में या तो आवंटन की शर्तें थीं, या पट्टा विलेख में वे शर्तें थीं जिनके तहत अस्पताल आई. पी. डी. और ओ. पी. डी. सुविधाओं के महत्वपूर्ण प्रतिशत तक पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य थे। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार मौलिक है।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुसार, इस तरह का प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत एक कानून बनाकर लगाया जा सकता था।

संसद या राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति के प्रयोग में कार्यकारी उपलब्धि से ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती थी। सामाजिक न्यायविदों (ऊपर दिए गए) के निर्णय में, जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, न्यास कोई पक्षकार नहीं था। पट्टे की शर्त को एकतरफा रूप से बदला नहीं जा सकता था। इस न्यायालय ने एक बोलने वाले आदेश द्वारा 1.9.2011 पर एसएलपी को खारिज करते हुए, इस तरह के परिणाम का इरादा नहीं किया था। इस न्यायालय का कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने का इरादा नहीं था जिसे मामले में नोटिस या सुनवाई नहीं दी गई थी। ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे सामाजिक न्यायविदों (ऊपर) के मामले में पक्षकार नहीं थे। उस इलाके में अस्पताल खोलने के लिए ट्रस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि दी गई थी क्योंकि उस समय इतने सारे लोग अस्पताल या स्कूल खोलने के इच्छुक नहीं थे। चूंकि ये सेवाएं राज्य द्वारा प्रदान की जानी थीं, इसलिए भूमि रियायती दर पर नहीं दी गई थी। यह वह बाजार दर थी जो वर्ष 1951 में प्रचलित थी। न्यायमूर्ति कुरैशी समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं किया गया था

सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) के मामले और उच्च न्यायालय ने श्री एन. एन. खन्ना समिति नामक एक समिति नियुक्त की थी। उस समय जब न्यायमूर्ति कुरैशी समिति की रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो यह असंतुष्ट श्रमिकों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थी, जिनका प्रबंधन के साथ विवाद चल रहा था

अस्पताल की उक्त रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 1958 से संचालित ट्रस्ट में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो समाज के कमजोर वर्गों के ओ. पी. डी. रोगियों से कुछ भी शुल्क लिए बिना प्रत्येक दिन एक घंटा समर्पित करते हैं और वे ऐसा करना जारी रखेंगे।

सेंट स्टीफन अस्पताल के बारे में तथ्यः

8. सेंट स्टीफन अस्पताल के मामले में, अस्पताल द्वारा यह बताया गया था कि इसे वर्ष 1885 में मिशनरी महिलाओं के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था।

चांदनी चौक, दिल्ली। 1908 में यह अपने वर्तमान स्थान तीस हजारी, दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। 1, 37 एकड़, 2331 वर्ग कि. मी. भूमि। yds। और इसकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए एल एंड डी ओ द्वारा 12.6.1970,25.2.1972 और 19.1.1976 दिनांकित आवंटन पत्रों के माध्यम से इसे 1.29 एकड़ आवंटित किया गया था।

भारत संघ v. मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

समझौते के बाद, पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर किए गए और स्थायी पट्टा विलेखों को निष्पादित किया गया। रोगियों को मुफ्त देखभाल/उपचार प्रदान करने के लिए आवंटन पत्रों/पट्टा विलेखों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अस्पताल अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रदान करता रहा है।

जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त उपचार। रिट याचिका में, एल एंड डी ओ द्वारा 2.2.2012 पर पारित आदेश पर पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में मुफ्त देखभाल की शर्त के बारे में सवाल उठाया गया था। वैसा ही है।

उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। हालाँकि धर्मार्थ संस्थान के उद्देश्य के लिए भूमि प्राप्त की गई थी, लेकिन यह कार्यकारी आदेश द्वारा ऐसे सवारों को लागू करने के लिए खुला नहीं था। 1949 की नीति में मुफ्त देखभाल की कोई शर्त नहीं थी। पट्टा विलेख में एकतरफा संशोधन नहीं किया जा सकता था। सामाजिक न्यायविदों (ऊपर) का निर्णय इस रूप में लागू नहीं होता है 20 उक्त निर्णय में अस्पतालों से निपटा गया था। आवंटन पत्रों/पट्टा विलेखों में मुफ्त देखभाल के संबंध में कोई शर्त नहीं थी। आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है। इसलिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी।

सीताराम भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में तथ्य

अनुसंधानः

9. सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान एक पंजीकृत संस्था थी। आई. डी. 1 पर इसने नई दिल्ली में एक बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान परिसर की स्थापना के लिए 3 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया। डी. डी. ए. ने <आई. डी. 1 पर 6 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से डेढ़ एकड़ भूमि आवंटित की। उक्त सोसायटी द्वारा उस रियायती दर पर शुल्क लेने का अनुरोध किया गया था जिसे 20.11.1984 पर अस्वीकार कर दिया गया था। 2.9.1985 पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 1.46 एकड़ के लिए रु. 8,76,000/- का प्रतिफल हस्तांतरित किया गया था। सामाजिक मामला न्यायविदों (ऊपर) को उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) में निर्णय के अनुसार, सरकार द्वारा उन अस्पतालों/समितियों को 20.1.2012 पर परिपत्र जारी किया गया था, जिन्हें पात्र रोगियों या कमजोर वर्गों की श्रेणी को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी।

प्रभारित। सोसायटी ने यह रुख अपनाया कि उसे अस्पताल के उद्देश्य के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटित नहीं की गई थी। विभाग द्वारा 28.6.2012 पर अस्पताल को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए कहा गया था। 28.6.2012 पर इसने निर्देश दिया कि वह आदेश का पालन करने की व्यवस्था कर रहा है। 12.7.2012 पर सोसायटी ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए अपने द्वारा उठाए गए रुख के बारे में सूचित किया। हालाँकि, निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए इसके खिलाफ दायर अवमानना आवेदन पर, उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए निपटाया गया कि कोई अवमानना नहीं

बनाया गया था। 18.4.2013 और 29.4.2013 पर, स्वास्थ्य सेवा निदेशक को उस तारीख से पिछले दो वर्षों की जांच के उद्देश्य से अस्पतालों के खातों की आवश्यकता थी जिस दिन भूमि का कब्जा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 4.5.2013 पर बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी को मुफ्त इलाज प्रदान करने की कोई शर्त नहीं थी। अस्पताल समान रूप से स्थित नहीं था। शर्त लागू नहीं थी। हालांकि, याचिकाकर्ता का नाम उन अस्पतालों से नहीं हटाया गया जो ऐसा करने में विफल रहे

निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा, फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के तथ्य भी ऐसे ही हैं।

सरकार का रुखः

10. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि सरकार का रुख यह है कि वर्ष 1949 में लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार,

संस्थानों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जो पहले से ही लागू रियायती दर 2 करोड़ रुपये से काफी कम थी। 25,000 / - Rs.30,000/- प्रति एकड़ दिनांकित 25.7.1943 पत्र द्वारा तय किया गया।

11. मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट के मामले में 17.4.1951 दिनांकित आवंटन पत्र के माध्यम से Rs.2000/- की दर से भूमि आवंटित की गई थी।

12. सेंट स्टीफंस अस्पताल को इसी तरह 12.6.1970 दिनांकित आवंटन पत्र के माध्यम से 1.37 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी जिसके बाद पट्टा विलेख किया गया था। दिनांक 3.7.1970, जिसके बाद, 2331 वर्ग कि. मी. की भूमि आगे बढ़ाई गई। yds। था।

25.2.1972 दिनांकित आवंटन पत्र के माध्यम से Rs.5000/- प्रति एकड़ की दर से और 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भूमि किराया आवंटित किया गया।

13. सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान को 22.10.1984 पर 6/- लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से डेढ़ एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।

इसके बाद एक करोड़ 46 लाख रुपये के एक अन्य भूखंड के संबंध में दिनांक आई. डी. 1 का पट्टा विलेख। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से न्यायमूर्ति ए. एस. कुरैशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो धर्मार्थ अस्पतालों और विभिन्न अन्य अस्पतालों द्वारा दी गई मौजूदा मुफ्त सुविधा की समीक्षा करेगी, जिन्हें सरकार द्वारा रियायती शर्तों/दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। अन्य उपायों के अलावा समिति ने निम्नलिखित राय दीः

भारत संघ v. मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

" 1. अस्पताल के अधिकांश प्रतिनिधियों ने कहा कि 25 प्रतिशत

गरीब रोगियों के लिए निर्धारित बिस्तरों की संख्या अत्यधिक थी क्योंकि

दवाईयों की कीमत बहुत अधिक थी। इस बात पर सहमति बनी कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में 15 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 10 प्रतिशत आदर्श होगा। इसलिए,

समिति ने गरीबों के लिए 10 प्रतिशत इनडोर बेड मुफ्त रखने की सिफारिश की दवाइयों और उपभोग्य सामग्रियों सहित सभी उद्देश्यों के लिए रोगी।

मुफ्त उपचार सेवाएं कुल 25 प्रतिशत के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

ओ. पी. डी. रोगी। यह शर्त लागू की जानी चाहिए

सभी अस्पताल जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है।

(जोर दिया गया)

14. कुरैशी समिति की सिफारिशें थीं -

23.10.2002 पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जी. एन. सी. टी. डी. की बैठक में कुछ बदलाव के साथ स्वीकार किया गया।

15. इससे पहले, सामाजिक न्यायविदों द्वारा अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी

226 दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत के संविधान में अस्पताल को भूमि के आवंटन की शर्तों की मांग की गई है, विशेष रूप से मुफ्त के संबंध में गरीब लोगों के साथ व्यवहार का अनुपालन किया जाए और न्यायमूर्ति कुरैशी समिति की सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई की जाए। रिट याचिका का निर्णय 22.3.2007 पर किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए:

" ए. इस निर्णय में बताए गए सभी 20 अस्पताल और/या अन्य सभी समान रूप से स्थित अस्पताल इस अवधि का सख्ती से पालन करेंगे -

दिल्ली के निर्धनों/निर्धन व्यक्तियों को निर्दिष्ट अनुसार निःशुल्क रोगी उपचार

ऊपर यानी 25 ओ. पी. डी. और 10 प्रतिशत आई. पी. डी. रोगी पूरी तरह से निःशुल्क हैं।

हर तरह से आरोप "।

16. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17.7.2007 दिनांकित आदेश के माध्यम से निर्देश दिया

निःशुल्क उपचार के आदेश का पालन करने के लिए सभी अस्पताल जिन्हें रियायती दरों पर भूमि दी गई थी। विशेष अनुमति याचिकाओं को अस्पतालों द्वारा प्राथमिकता दी गई थी जिन्हें इस न्यायालय द्वारा एक बोलने

वाले आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस अदालत ने कहा कि 25 प्रतिशत ओ. पी. डी. और 10 प्रतिशत आई. पी. डी. रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। उक्त रोगियों से कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

17. इसके बाद जी. एन. सी. टी. डी. ने 20.1.2012 पर एक परिपत्र जारी किया

उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए अस्पतालों को सूचित करना

दिनांकित 2.3.2007 निर्णय के संदर्भ में मुफ्त उपचार के संबंध में। भूमि और विकास अधिकारी ने इस संबंध में नीति का पालन करने का आदेश पारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीताराम भारतीय और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर को भी इसी तरह के पत्र जारी किए गए थे।

18. फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर को अस्थायी रूप से 0.9 एकड़, 50,000/- प्रति एकड़ का भूखंड आवंटित किया गया था।

2. 5% प्रति वर्ष के वार्षिक भूमि किराए के साथ, प्रीमियम को संशोधित करके Rs.39,00,000/- प्रति एकड़ कर दिया गया। अगस्त 1992 में, इसने उपराज्यपाल के समक्ष प्रतिनिधित्व किया कि अधिसूचना दिनांक 11.09.1991 के अनुसार, इसे आवंटित भूमि की कीमत रु. 3,25,000/- निर्धारित की गई थी और धनवापसी की मांग की गई थी, लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। 19. दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट आवेदनों को अनुमति दी थी, इसलिए, अपीलों को प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक न्यायविदों, एक नागरिक अधिकार समूह ने फैसले के खिलाफ 2017 की नागरिक अपील Nos.3157-3158 दायर की है और

मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट और अन्य के मामले में आदेश पारित किया गया। भारत संघ/एन. सी. टी. दिल्ली द्वारा अन्य अपीलें दायर की गई हैं।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत उनके व्यापार और पेशे पर। यह निर्देश जनहित में आवंटन की नीति के संदर्भ में जारी किया गया है जो किसी व्यक्ति के व्यावसायिक हित पर हावी होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19 (6) के तहत एक प्रतिबंध मानते हुए गलती की, जिसे केवल एक कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए सरकारी आदेश पारित करना सरकार की क्षमता के भीतर था श्री न्यायमूर्ति ए. एस. कुरैशी समिति की सिफारिशें। समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट और सेंट स्टीफंस अस्पताल को धर्मार्थ संस्थान होने के नाते रियायती दर पर भूमि दी गई थी। धर्मार्थ संस्थानों के संबंध में 1943 की दरों से 1949 में रियायती दरों को नीति के अनुसार काफी कम कर दिया गया था। मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट और सेंट स्टीफंस अस्पताल ने राज्य की उदारता का लाभ उठाया है क्योंकि धर्मार्थ संस्थान पीछे नहीं हट सकते हैं और रोगियों के प्रतिशत को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील द्वारा यह भी आग्रह किया गया था कि रिट याचिका [सी] यूनियन ऑफ इंडिया v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

2002 का No.2866-सामाजिक न्यायविद बनाम। जीएनसीटीडी और अन्य। उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों को भी इसी तरह रखा गया था। उन मामलों में भी सरकार द्वारा रियायती दर पर आवंटन किया गया था। हालांकि उक्त अस्पतालों के कुछ पट्टा विलेखों में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक मुफ्त सेवा प्रदान करने की कुछ शर्त थी। हालांकि, न्यायमूर्ति ए. एस. कुरैशी समिति ने उन सभी अस्पतालों में 10 प्रतिशत आई. पी. डी. और 25 प्रतिशत ओ. पी. डी. मुक्त उपचार के एक समान मानक की सिफारिश की, जिन्हें सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन दी गई थी।

21. यह भी आग्रह किया गया कि सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के मामलों में,

खंड 7 के तहत पट्टा विलेख में निम्नानुसार एक शर्त थीः

" 7. डी. डी. ए. अपने विवेक पर किसी भी नियम और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

22. यह भी आग्रह किया गया कि सुंदर लाल जैन चैरिटेबल अस्पताल ने एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता देकर उक्त आदेश को चुनौती दी थी इस न्यायालय द्वारा 1.9.2011 पर एक बोलने वाले आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, यह मुद्दा अंतिम रूप ले चुका था और गरीबों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करना विचाराधीन अस्पतालों का दायित्व था।

23. सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान

कैंसर में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए फाउंडेशन को भूमि दी गई थी

डी. डी. ए., 1981 नियम, विशेष रूप से नियम 3,4,5,6 और 20 रियायती दरों पर। पूर्व निर्धारित दरें बाजार दरों के करीब भी नहीं हैं। नियमों को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि एक अलग प्रक्रिया दी गई है

24. यह भी आग्रह किया गया कि आयकर अधिनियम में दी गई 'धर्मार्थ' की परिभाषा वर्तमान मामले में इस क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करेगी। शब्द। ' 'धर्मार्थ' को कानूनी अर्थों में देखा जाना चाहिए। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा द्वितीय संस्करण, 1997 में लॉ लेक्सिकन में 'चैरिटेबल' शब्द का उपयोग किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है, जो 'चैरिटेबल' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

" इसमें आम जनता के उपयोग के लिए प्रत्येक उपहार शामिल है, जिसे मौजूदा कानूनों के अनुरूप लागू किया जाना है, अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों के लाभ के लिए, और उन्हें शैक्षिक, धार्मिक, नैतिक लाभ से लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शारीरिक या सामाजिक दृष्टिकोण। "[2018] 7 एस. सी. आर.

किसी समझौते या वैधानिक कानून द्वारा बनाया जा सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं। अदालत स्थापित कानून के उल्लंघन में सहानुभूति के कारण कोई आदेश पारित नहीं कर सकती क्योंकि इस अदालत का कार्य सुरक्षा और संरक्षण करना है। कानून का शासन जिसे केशवानंद भारती के मामले में संविधान की मूल विशेषता माना गया है। मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट के मामले में, वसीयत में, वसीयत के निष्पादक, जिसके द्वारा उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, का यह इरादा कभी नहीं था कि गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाए

इस न्यायालय का दिनांक 1.9.2011 का आदेश प्रतिवादी-अस्पतालों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे उक्त निर्णय के पक्षकार नहीं थे और यह न्यायालय उन्हें सुने बिना इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकता था। अवमानना याचिका सामाजिक न्यायविदों (ऊपर) में निर्णय का उल्लंघन करने के लिए ट्रस्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। वास्तव में आवंटन 1951 में प्रचलित बाजार दरों पर किया गया था। अस्पताल में 1958 से अपने स्तर पर मुफ्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

26. सेंट स्टीफंस अस्पताल के मामले में भी इसी तरह के तर्क हैं

इसके अलावा विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि हालांकि मिशनरियों द्वारा इस तरह की शर्तों के रूप में दान किया जा रहा है

अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित नहीं किया जा सकता था। आवंटन पत्रों/बिक्री विलेखों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। भारत संघ की व्याख्या v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

एल एंड डी ओ द्वारा किया गया पट्टा विलेख अस्वीकार्य था। एकतरफा रूप से ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती थीं। यह वैधानिक कानून बनाकर किया जा सकता था। ये शर्तें अनुज्ञेय, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली थीं। पट्टा विलेख प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं सरकारी अनुदान अधिनियम। संविधान के अनुच्छेद 73 और 298 में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति राज्य को उसके द्वारा दिए गए स्थायी पट्टा विलेख की शर्तों में एकतरफा संशोधन करने का अधिकार नहीं देती थी। मौलिक अधिकारों को एक कार्यकारी आदेश द्वारा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। निर्णय

सामाजिक न्यायविदों में (ऊपर) अलग किया जा सकता है। उत्तरदाताओं के पट्टा विलेखों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय का निर्णय इस हद तक दोषपूर्ण था कि उसने उन अस्पतालों पर मुफ्त देखभाल की शर्त लगा दी थी जिनके पट्टा विलेखों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अदालत के लिए यह खुला नहीं था कि वह पहले कोई कानून या दायित्व बनाए और फिर उसे लागू करने की कोशिश करे। दान का मतलब मुफ्त सेवाएँ प्रदान करना नहीं होगा। चिकित्सा राहत अपने आप में एक धर्मार्थ उद्देश्य है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क नहीं ले सकता है। हालाँकि मिशनरियों द्वारा धर्मार्थ समाज के रूप में आवंटन की मांग करते समय, लाभ के उद्देश्य से प्रेरित न हों। अधिशेष आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है

चिकित्सा देखभाल। यह तथ्य कि भूमि रियायती दरों पर आवंटित की गई थी, भारत सरकार को पट्टा विलेख में एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं देगा। 1949 की नीति में मुफ्त देखभाल का कोई प्रावधान नहीं था।

27. सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान की ओर से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आग्रह किया गया था कि यह सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में नहीं आता है। जमीन नहीं दी गई।

रियायती दरों पर प्रत्यर्थी संख्या 1। आबंटन पत्र या पट्टा विलेख में मुफ्त उपचार प्रदान करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। चूँकि पट्टा स्थायी था, इसलिए पट्टेदार पर एक और शर्त लगाने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके वित्तीय निहितार्थ हो सकते हैं। आवंटन पत्र का खंड 7 पट्टेदार को पट्टे की किसी भी शर्त को बदलने या बदलने के लिए अधिकृत नहीं करता है। चूंकि पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी आवंटन, इस तरह की नई शर्त लागू नहीं की जा सकती थी। लीज किराया हर 30 साल के बाद बढ़ाया जा सकता है। मुफ्त इलाज की शर्त कानूनी रूप से मान्य या उचित नहीं है। चूंकि संस्थान का कार्य धर्मार्थ प्रकृति का नहीं था, इसलिए ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती थीं। उत्तरदाता संख्या 1 सीताराम भारतीय संस्थान अपने एजेंडे के हिस्से के रूप में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि यह उत्तरदाता संख्या 1 की अनुसंधान गतिविधियों के लिए मूल्यवान अनुसंधान डेटा और धन उत्पन्न करता है।

सोसायटीकँ 9.2.2005 पर कारण देखाउ नोटिस जारी कयल गेल छल जाहिमे आरोप लगाओल गेल छल जे ओ वाणिज्यिक आधार पर अस्पताल चला रहल अछि। यह कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि आवंटन और पट्टा विलेख को क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए, और यह आयुक्त, संस्थागत शाखा, डी. डी. ए. को सूचित किया गया कि यह स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा में अनुसंधान के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। नैदानिक/अस्पताल भाग मूल्यवान अनुसंधान डेटा और धन उत्पन्न करता है जो उत्तरदाता संख्या 1 को अनुसंधान गतिविधियों के वित्तपोषण में सक्षम बनाता है। यह आगे तर्क दिया गया कि तीन श्रेणियां थीं, सरकार। भूमि के आवंटन के उद्देश्यों के लिए संगठन, धर्मार्थ संगठन और अन्य संस्थान। अन्य संस्थानों को क्षेत्रीय भिन्न दरों पर भूमि आवंटित की गई थी जो प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई दर थी। ऐसी कोई शर्त नहीं थी। स्थिति गंभीर वित्तीय होगी।

संपूर्ण व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के रूप में परिणाम पर काम करना होगा

परियोजना को शुरू करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा या नहीं। ऐसी अनुचित, अनुचित और मनमाना स्थिति

थोपा नहीं जा सकता था। कुछ दवाएँ बहुत महंगी होती हैं।

इसकी लागत अस्पताल द्वारा वहन नहीं की जा सकती है और यह संभवतः सरकारी अस्पतालों को छोड़कर मुफ्त चिकित्सा उपचार का हिस्सा नहीं हो सकता है। कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान की शर्त का मतलब यह नहीं होगा कि इसे रियायती आधार पर आवंटित किया गया था। उत्तरदाता नंबर 1 एक स्व-सहायक समाज है, जो चिकित्सा अनुसंधान भी कर रहा है। यदि मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है तो यह उत्तरदाता की अनुसंधान में निवेश करने की क्षमता को कम कर देगा। लोकलुभावन और गलत नीतियों को न तो बनाया जा सकता था और न ही थोपा जा सकता था। फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर द्वारा भी इसी तरह के तर्क दिए गए हैं।

28. विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः

1. क्या इस तथ्य के आधार पर कि मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट और सेंट स्टीफंस अस्पताल ने धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भूमि प्राप्त की है

रियायती दर पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को मुफ्त में प्रदान की जाने वाली आई. पी. डी. में 10 प्रतिशत और ओ. पी. डी. सेवाओं में 25 प्रतिशत की शर्त लागू करना सरकार के लिए खुला था।

2. क्या सीताराम भारतीय संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के मामले में जारी आवंटन पत्र की शर्त संख्या 7 को देखते हुए, मुफ्त उपचार की उपरोक्त शर्त लागू करने की अनुमति थी? 3. क्या उपरोक्त शर्तों को लागू करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत पेशे, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध के बराबर है?

भारत संघ v. मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

4. सामाजिक न्यायविदों (ऊपर) के मामले में दिए गए पिछले निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है?

प्रश्न संख्या के संदर्भ में। 1 & 2 : 29. मुख्य प्रश्न का निर्णय करने के लिए, विचार करना आवश्यक है।

दान के अर्थ के संबंध में प्रश्न पर। इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि भारत सरकार ने वर्ष 1949 में धर्मार्थ संस्थानों को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया था। अस्पतालों और स्कूलों को अन्य बातों के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक चरित्र के धर्मार्थ संस्थानों के रूप में माना जाता था, जिसमें एक और शर्त थी कि इन्हें बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए। यह देखा गया कि दिनांकित 25.7.1943 पॉलिसी निर्णय के अनुसार, प्रभारित प्रीमियम बहुत अधिक था। उस सूत्र के अनुसार, प्रीमियम रुपये था। 25,000 प्रति वर्ष 1,000 रुपये प्रति एकड़ और प्रति वर्ष प्रीमियम पर 5 प्रतिशत जमीन का किराया। भूमि को रियायती दरों पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

2, 000/- से 5,000/- रुपये प्रति एकड़ के बीच। लाजपत नगर में मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट के लिए 9 एकड़ का एक बड़ा क्षेत्र

और 2.66 एकड़ और 2331 वर्ग कि. मी. सेंट स्टीफंस अस्पताल के लिए यार्ड आवंटित किए गए थे।

30. मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट की ओर से यह आग्रह किया गया था कि ट्रस्ट के निर्माता का यह इरादा कभी नहीं था कि मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को प्रदान किया जाता है। रिलायंस को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890 और आयकर अधिनियम में चैरिटी की परिभाषा पर रखा गया है।

1961. 1949 में लिए गए नीतिगत निर्णय में रोगियों को मुफ्त इलाज की परिकल्पना नहीं की गई थी। आवंटन पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को अस्पताल में मुफ्त उपचार प्रदान करना होगा। पट्टा विलेख 99 वर्षों के लिए निष्पादित किया गया था। एकमात्र शर्त यह थी कि संस्थान को बिना किसी लाभ के जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए मकसद। उपरोक्त शर्त अस्पतालों पर लागू नहीं थी,

31. यह आग्रह किया गया कि अस्पताल अपने आप में एक धर्मार्थ संस्थान है। यह अपने आप में मुफ्त उपचार के दायित्व और शर्तों को पूरा करता है। स्तर। प्रस्तुत किए गए समर्पण की सराहना करने के लिए, हम सामान्य भाषा में धर्मार्थ, धर्मार्थ उद्देश्य, धर्मार्थ निगम और धर्मार्थ ट्रस्ट के अर्थ पर विचार करना उचित समझते हैं।

32. द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, नौवां संस्करण परिभाषित करता है उपयुक्त ',' धर्मार्थ उद्देश्य ',' धर्मार्थ निगम 'और' धर्मार्थ इस प्रकारः

" धर्मार्थ-एक सामान्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित, यू. एस. यू। के लिए जरूरतमंद लोगों का लाभ जो प्राप्त लाभों के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं।

धर्मार्थ उद्देश्य-वह उद्देश्य जिसके लिए एक संगठन इसका गठन किया जाना चाहिए ताकि यह आंतरिक राजस्व संहिता के तहत एक धर्मार्थ संगठन के रूप में योग्य हो-जिसे धर्मार्थ उपयोग भी कहा जाता है।

धर्मार्थ निगम-एक गैर-लाभकारी निगम जो है इलेमोसिनरी निगम। चैरिटेबल ट्रस्ट-एक निजी व्यक्ति या संस्था के बजाय एक विशिष्ट दान, निर्दिष्ट दान, या आम जनता को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया एक ट्रस्ट। धर्मार्थ न्यास अक्सर अनुकूल कर उपचार के लिए पात्र होते हैं। यदि न्यास की शर्तें दान या दान को निर्दिष्ट नहीं करती हैं।

विशेष धर्मार्थ उद्देश्य के लिए, एक अदालत एक दान का चयन कर सकती है। - इसे सार्वजनिक विश्वास भी कहा जाता है; धर्मार्थ उपयोग। 33. वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी में, की अभिव्यक्तियाँ इटाबले 'और' चैरिटी 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" धर्मार्थ - 1. पैसा या अन्य देने में दयालु और उदार जरूरतमंद लोगों की मदद करें। 2. या दान के लिए। 3. न्याय करने में दयालुता अन्य; उदार।

परोपकार - 1. ईसाई धर्म में, मनुष्य के लिए ईश्वर का प्रेम या अपने साथी पुरुषों के लिए मनुष्य का प्रेम। 2. सद्भावना या स्नेह का कार्य। 3. सद्भावना की भावना; परोपकार। 4. दूसरों का न्याय करने में दयालु या उदार होने का गुण। 5. जरूरतमंद लोगों को धन या अन्य सहायता देना; लाभ। 6. एक संस्था, संगठन या कोष जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए "।

34. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, Vol.5, चौथा संस्करण, जबकि चैरिटीज़ 1960 के उद्देश्य के लिए 'चैरिटी' की परिभाषा के साथ, इस मामले पर इस प्रकार चर्चा की गई हैः

" 501. "दान" की परिभाषा। धर्मार्थ संस्थाओं के उद्देश्यों के लिए

अधिनियम, 1960 "दान" का अर्थ है कोई भी संस्था, निगमित या नहीं, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है और नियंत्रण के अधीन है।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

दान के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय का। "संस्था" में कोई न्यास या उपक्रम शामिल है; और " धर्मार्थ उद्देश्यों का अर्थ है वे उद्देश्य जो इंग्लैंड और वेल्स के कानून के अनुसार विशेष रूप से धर्मार्थ हैं। सवाल यह है

उद्देश्य धर्मार्थ हैं या नहीं, इसलिए

1960 से पहले के समान सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया।

यह आवश्यकता कि कोई संस्थान दान के संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन है, संतुष्ट होती है यदि संस्थान किसी भी महत्वपूर्ण मामले में उस अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इसके अधीन होने की आवश्यकता नहीं है

न्यायक्षेत्र जिसका प्रयोग न्यायालय केवल दान पर करता है न कि अन्य न्यासों या अन्य निगमित निकायों पर, और यह पर्याप्त है यदि न्यायालय संस्था को अपनी संपत्ति को लागू करने से रोक सकता है।

अति अधिकार या विश्वास के उल्लंघन में। चैरिटी अधिनियम 1960 चैरिटी का एक रजिस्टर स्थापित करता है और यह किसी भी चैरिटी के चैरिटी ट्रस्टियों का कर्तव्य है जिसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण का प्रभाव यह है कि एक संस्था रजिस्टर के सुधार के अलावा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए है जिसे निर्णायक रूप से किसी भी समय दान माना जाता है या जब यह दान के रजिस्टर में होता है या होता है। अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि एक संस्था जिसे, यदि यह एक दान था, तो पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो पंजीकृत नहीं है,

इस कारण से, दान नहीं। "

35. एक बार फिर, इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों ने दान के बारे में बात करते हुए इस मामले पर इस प्रकार चर्चा की है:

" 502. "दान" का अर्थ है। चूंकि चैरिटी अधिनियम, 1960 इस बात की कोई वैधानिक परिभाषा प्रदान नहीं करता है कि क्या उद्देश्य हैं और क्या नहीं हैं धर्मार्थ, इस विषय पर पहले तय किए गए सभी मामले अभी भी प्रासंगिक हैं। "धर्मार्थ उद्देश्यों" का कानूनी अर्थ सटीक और तकनीकी कहा जाता है, और वाक्यांश कला का एक शब्द है, लेकिन यह शायद परिभाषा में असमर्थ है। "दान", "धर्मार्थ", "धर्मार्थ वस्तुओं" और "धर्मार्थ उद्देश्यों" अभिव्यक्तियों का लोकप्रिय उपयोग इंग्लैंड के कानून के अनुसार उनके तकनीकी कानूनी अर्थ के साथ मेल नहीं खाता है। "धर्मार्थ" शब्द, जब अपने कानूनी अर्थों में उपयोग किया जाता है, तो कई उद्देश्यों को शामिल करता है जिन्हें एक आम आदमी उस शब्द के तहत शामिल करने पर विचार नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ परोपकारी या परोपकारी गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें एक आम आदमी धर्मार्थ मान सकता है।

धर्मार्थ उपयोग या न्यास इक्विटी का एक अलग प्रमुख बनाते हैं, और यह निर्धारित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या विशेष उद्देश्य धर्मार्थ हैं। धर्मार्थ होने के लिए एक उद्देश्य को कुछ परीक्षणों को पूरा करना चाहिए;

यह या तो एलिजाबेथ प्रथम की प्राचीन क़ानून (कभी-कभी धर्मार्थ उपयोग अधिनियम या धर्मार्थ उपयोग अधिनियम, 1601 के रूप में संदर्भित) की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों की सूची के भीतर या धर्मार्थ उद्देश्यों की चार श्रेणियों में से एक के भीतर आना चाहिए। लॉर्ड मैकनाघटेन द्वारा निर्धारित और प्रस्तावना से व्युत्पन्न

और उन श्रेणियों में से चौथी के मामले में यह प्राचीन क़ानून की भावना और इरादे के भीतर होना चाहिए, या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसी बिंदु पर तय किए गए मामलों के साथ सादृश्य द्वारा, या इसे किसी अन्य क़ानून द्वारा धर्मार्थ घोषित किया गया होना चाहिए। इसके अलावा,

यह सार्वजनिक लाभ के लिए होना चाहिए, अर्थात, यह समुदाय के पर्याप्त वर्ग के लिए लाभकारी और उपलब्ध दोनों होना चाहिए।

किसी भी विधायी अधिनियम में "दान" के संदर्भों को उनके तकनीकी कानूनी अर्थों में समझा जाना चाहिए जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। आय कर प्रयोजनों के लिए "दान" का अर्थ है कोई भी

एलिजाबेथ प्रथम, या इसकी प्रस्तावना, को उस अर्थ के भीतर एक दान के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए जो शब्द इंग्लैंड और वेल्स के कानून के अनुसार एक कानूनी शब्द के रूप में धारण करता है। एक गतिविधि जो कानूनी अर्थों में धर्मार्थ है, वह किसी भी तरह से कम धर्मार्थ नहीं है क्योंकि इसे किसी भी नियमित संगठन के बिना एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है जो इसे किसी भी समय बंद कर सकता है। इस तरह की गतिविधि एक न्यास या उपक्रम के रूप में दान की वैधानिक परिभाषा के भीतर आएगी।

36. धर्मार्थ न्यास को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, जो जानता है कि धर्मार्थ उद्देश्य क्या हैं। हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड में इस संबंध में गहन चर्चा की गई है:

" 504. उद्देश्य विशेष रूप से धर्मार्थ होने चाहिए। कानूनी रूप से धर्मार्थ होने के लिए, एक न्यास या संस्था की स्थापना उन उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए जो विशेष रूप से धर्मार्थ हों; एक धर्मार्थ न्यास को अटॉर्नी जनरल के मुकदमे में अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, क्योंकि अदालत जानती है कि धर्मार्थ उद्देश्य क्या हैं और न्यास संपत्ति को तदनुसार लागू कर सकती है, लेकिन परोपकारी उद्देश्यों के लिए न्यास ऐसा नहीं हो सकता है। लागू किया गया और इसलिए अनिश्चितता के लिए शून्य है। भारत संघ v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

37. लोक कल्याण कानूनी दान की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है, जिसकी चर्चा हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में की गई है।

पैराग्राफ 505, जिसे नीचे निकाला गया हैः

" 505. सार्वजनिक लाभ आवश्यक है। यह एक स्पष्ट रूप से स्थापित सिद्धांत है।

दान के कानून के अनुसार कोई उद्देश्य तब तक धर्मार्थ नहीं है जब तक कि उसे सार्वजनिक लाभ के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है ताकि सार्वजनिक लाभ का तत्व कानूनी दान की आवश्यक शर्त हो। दो भेद हैं इस आवश्यकता में
तत्वः उद्देश्य स्वयं लाभकारी होना चाहिए और जनता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, और उद्देश्य का लाभ होना चाहिए

जनता के एक पर्याप्त वर्ग के लिए उपलब्ध होना। सार्वजनिक और निजी प्रकृति के उद्देश्यों के बीच अंतर की रेखा ठीक है और व्यावहारिक रूप से परिभाषा में असमर्थ है।

38. गरीबों को लाभ दान की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। इस अवधारणा की चर्चा हैल्सबरी के अनुच्छेद 509 में की गई है। इंग्लैंड के कानून, जो इस प्रकार हैंः

" 509. अमीरों के साथ-साथ गरीबों को भी लाभ हो। एक उद्देश्य कानूनी अर्थों में धर्मार्थ हो सकता है, इसके बावजूद कि यह अमीरों के साथ-साथ गरीबों को भी लाभान्वित करेगा, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक ट्रस्ट को धर्मार्थ माना जाएगा यदि गरीबों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। लाभ "।

39. इंग्लैंड के लिए कानून रिपोर्टिंग की निगमित परिषद में

और वेल्स बनाम ए-जी (1971) 3 ऑल ई. आर. 1029, सी. ए., यह देखा गया कि जब कोई उद्देश्य सामान्य लोक कल्याण का साबित होता है या समुदाय के लिए लाभकारी, इसे धर्मार्थ माना जाएगा जब तक कि यह मानने का कोई कारण न हो कि यह भावना और इरादे के भीतर नहीं है

प्रस्तावना।

40. साइ-प्रेस सिद्धांत को इंग्लैंड के न्यायालयों द्वारा एक धर्मार्थ न्यास के प्रशासन के लिए लागू किया जाता है, जिसके उपयोग का विशेष तरीका है।

परिभाषित नहीं किया गया है। जहाँ एक स्पष्ट धर्मार्थ इरादा व्यक्त किया जाता है, वहाँ इसे विफल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि मोड, यदि निर्दिष्ट किया गया है, तो निष्पादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून दूसरे मोड को प्रतिस्थापित करेगा। हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड के पैराग्राफ 696 में साइ-प्रेस सिद्धांत की चर्चा की गई है। जिसे नीचे निकाला गया हैः

" 696. साइ-प्रेस सिद्धांत। जहां एक स्पष्ट धर्मार्थ इरादा व्यक्त किया जाता है, उसे विफल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि मोड, यदि निर्दिष्ट किया गया है, तो निष्पादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून एक और [2018] 7 एस. सी. आर. को प्रतिस्थापित करेगा।

मोड साइ-प्रेस, यानी, द्वारा निर्दिष्ट मोड के जितना संभव हो उतना करीब

दाता। एक आवेदन एक धर्मार्थ ट्रस्ट को प्रशासित करने के लिए अदालत के सामान्य अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से परिणाम देता है जिसमें

दानदाता द्वारा आवेदन के विशेष तरीके को परिभाषित नहीं किया गया है। जहाँ उसने वास्तव में आवेदन का एक विशेष तरीका निर्धारित किया है।

और वह तरीका प्रदर्शन करने में असमर्थ है, लेकिन उनका एक धर्मार्थ इरादा था जो विशेष तरीके से परे था निर्धारित आवेदन, न्यायालय, इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, धर्मार्थ इरादे को पूरा कर सकता है जैसे कि विशेष

दिशा बिल्कुल भी व्यक्त नहीं की गई थी।

जो विफल हो गया है। जहाँ आवेदन का विशेष तरीका किसी उपहार को समाप्त नहीं करता है,

ये सिद्धांत अधिशेष पर लागू होते हैं।

अंग्रेजी कानून के तहत कोई प्रश्न नहीं हो सकता है

उन न्यासों के अधीन संपत्ति का अनुप्रयोग जो धर्मार्थ नहीं हैं

कानून में "।

41. हैल्सबरी के कानूनों में यह भी देखा गया है कि सभी अस्पताल धर्मार्थ संस्थान नहीं हैं, क्योंकि वहाँ अस्पताल चलाए जा सकते हैं।

व्यावसायिक रूप से, निजी व्यक्तियों या अस्पतालों के लाभ की दृष्टि से, जिनकी सेवाएं जनता के पर्याप्त वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। केवल यह तथ्य कि एक अस्पताल को शुल्क के भुगतान द्वारा समर्थित किया जाता है, इसे एक धर्मार्थ निगम होने से नहीं रोकता है। पैराग्राफ 707 में निम्नलिखित चर्चा की गई है:

" 707. अस्पताल आंशिक रूप से शुल्क द्वारा समर्थित है। सभी अस्पताल ऐसे नहीं हैं।

धर्मार्थ संस्थान, क्योंकि निजी व्यक्तियों के लाभ की दृष्टि से व्यावसायिक रूप से संचालित अस्पताल हो सकते हैं, या ऐसे अस्पताल हो सकते हैं जिनकी सेवाएं जनता के पर्याप्त वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। केवल यह तथ्य कि एक अस्पताल को शुल्क के भुगतान द्वारा समर्थित किया जाता है, इसे एक धर्मार्थ निगम होने से नहीं रोकता है, और भारत बनाम.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

स्कूलों का भी यही हाल है। इसके अलावा, चैरिटी

आयुक्तों के पास समिति को अधिकृत करने की शक्ति है

भुगतान के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक अस्पताल का प्रबंधन

कुछ परिस्थितियों में रोगी। 42. लॉ लेक्सिकन में, पी द्वारा विश्वकोश कानून शब्दकोश।

नया अय्यर, धर्मार्थ, धर्मार्थ उद्देश्य, मेज उद्देश्य, दान और सार्वजनिक प्रकृति के धर्मार्थ ट्रस्ट के संबंध में कुछ आयनों और शब्दकोशों की मदद से चर्चा की गई है, प्रासंगिक

जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः

" परोपकारी। दान का चरित्र या उद्देश्य होना। द.

"धर्मार्थ" शब्द, एक कानूनी अर्थ में, एक सामान्य सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रत्येक उपहार को शामिल करता है, जिसे मौजूदा कानूनों के अनुरूप, अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों के लाभ के लिए लागू किया जाता है, और उन्हें शैक्षिक, धार्मिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक दृष्टिकोण से लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह शब्द "परोपकारी", "परोपकारी" और "एलिमोसिनरी" का पर्याय है। (काला)

दान के उद्देश्य से जुड़ा हुआ, दान की प्रकृति का [एस. 49,

भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 92 (1), सी. पी. सी.]

तकनीकी रूप से, और न्याय की अदालत की नजर में, प्रमुख उद्देश्यों का इतना व्यापक अर्थ है कि 43 एलिज़ में स्पष्ट रूप से 'धर्मार्थ उपयोग' के रूप में वर्णित हर चीज को शामिल किया गया है। सी। 4 , एस. 1, या कानून की समानता के भीतर है, लेकिन शायद एक हजार में एक व्यक्ति नहीं है जो जानता है कि क्या है 'दान' शब्द का तकनीकी और कानूनी अर्थ। प्रभु के अनुसार

डोलन बनाम में कैर्न्स। मैकडरमोट, (1868) 3 सीएच ऐप 678।

धर्मार्थ एक अच्छा धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है, हालांकि ऐसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक उपहार जो एक न्यास की प्रबंधन समिति उचित समझती है, अच्छा होगा, क्योंकि समिति दान के दायरे में रखने के लिए बाध्य होगी, और यदि वे कानूनी सीमा से परे जाते हैं, तो उन्हें न्यायालय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 43 बम एलआर 1027 = 1942 बम 61.

परिभाषा में गरीबों की राहत शामिल है। गरीबों को राहत

स्वयं एक धर्मार्थ उद्देश्य तब तक नहीं होगा जब तक कि इसमें सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का कोई उद्देश्य शामिल न हो। बसने वाले या दाता के खराब संबंधों के लिए राहत परिभाषा के भीतर एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा। गोरधनदास गोविंदराम फैमिली चैरिटी ट्रस्ट के न्यासी बनाम।

आयकर आयुक्त, ए. आई. आर. 1952 बम 346। [धारा 4 (3) (i) आयकर अधिनियम 1992]

' धर्मार्थ उद्देश्य '-राज्य बार काउंसिल का प्रमुख उद्देश्य वादकारी जनता के लिए सक्षम वकीलों की गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करना, कानूनी साक्षरता का प्रसार करना, कानून सुधारों को बढ़ावा देना और गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना है, ऐसा उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है और यह एक धर्मार्थ उद्देश्य होगा। सी. आई. टी. बॉम्बे बनाम महाराष्ट्र बार काउंसिल, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1462,1467। [आय कर अधिनियम (1961 का 43), एस. 2 (15) और 11.]

परोपकार "। व्यापक अर्थों में दान में वह सब कुछ शामिल है जो नैतिक कर्तव्य की भावना से या दूसरों के प्रति मानवीय भावनाओं से उत्पन्न होता है, जो अपने स्वयं के लाभ या आनंद से प्रभावित नहीं होता है। (डॉयल वी. ल्यून, 19 पूर्वाह्न प्रतिनिधि 431.)। जोन्स वी.

विलियम्स, एम्बल। 651 , लॉर्ड कैम्डेन ने दान को "ए आयन ऑफ इंडिया v" के रूप में परिभाषित किया।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

मित्रहीन के लिए घर दान के लिए एक उपहार है। यह "शब्द", अपने व्यापक अर्थों में, सभी अच्छे स्नेह को दर्शाता है।

पुरुषों को एक दूसरे के प्रति सहन करना चाहिए; इसके सबसे सीमित और सामान्य ज्ञान, गरीबों की राहत। इनमें से किसी भी इंद्रिय में यह नहीं है

अंग्रेजी चांसरी न्यायालयों में कार्यरत। यहाँ इसका अर्थ है

यह मुख्य रूप से एलिजाबेथ के क़ानून (43 एलिज़. सी.) से लिया गया है। 4.)।

उन उद्देश्यों को धर्मार्थ माना जाता है जो उस क़ानून में हैं।

गणना करता है, या जो समानताओं द्वारा इसकी आत्मा के भीतर माना जाता है

और इरादा "। प्रति ग्रांट, एम. आर., मॉरिस बनाम। धुरहान बी. पी. , 9 वेस। 405 .

महोम्मदन के हनफी स्कूल के तहत "दान" शब्द

अंग्रेजी कानून की तुलना में कानून का अधिक सामान्य महत्व है। ए. के खर्चों को चुकाने के लिए एक महामादान द्वारा संपत्ति का वक्फ

गरीब, फकीर, अनाथ, जरूरतमंद और गरीब, और

अच्छे कार्यों के खर्चों को चुकाने के लिए, जनता के लिए एक विश्वास पैदा करता है

धर्मार्थ प्रकृति के उद्देश्य। (32 सभी 499 = 7 ALJ 420 = 6 IC

188.)

आम बोलचाल में, 'दान' शब्द का अर्थ है किसी को आवश्यक परिस्थितियों में देना और कानून में इसका अर्थ है किसी के लिए देना।

सार्वजनिक भलाई। अपने स्वयं या किथ और किन को एक निजी उपहार हो सकता है

[पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 (1954 का 1), धारा 6 (1) (i)] एक परोपकार, विशेष रूप से गरीबों के लिए [धारा 378, बीमार। (एन), आई. पी. सी.] "

43. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि धर्मार्थ है

जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए सामान्य उद्देश्य, जो भुगतान नहीं कर सकते हैं

लाभ प्राप्त हुआ। आंतरिक राजस्व संहिता इसे परिभाषित कर सकती है।

अपने उद्देश्यों के लिए धर्मार्थ क्या है ताकि लाभ का दावा किया जा सकेआर अधिनियम। धर्मार्थ न्यास एक ऐसा न्यास है जो लाभ के लिए है

सभी सार्वजनिक। चैरिटेबल पैसा देने में एक दयालु और उदार है या

वेबस्टर के न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी में परिभाषित जरूरतमंद लोगों की मदद करें

ब्लैक का कानून शब्दकोश। इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों पर चर्चा की गईदान का अर्थ, जो यह प्रदान करता है कि यदि कोई वैधानिक परिभाषा उचित उद्देश्य नहीं है, तो एक धर्मार्थ उद्देश्य होने के लिए, इसे कुछ [2018] 7 एस. सी. आर. को पूरा करना होगा।

परीक्षण। यह सार्वजनिक लाभ के लिए होना चाहिए और समुदाय के पर्याप्त वर्ग के लिए उपलब्ध होना चाहिए। दान के संदर्भ को उनके तकनीकी कानूनी अर्थों में समझा जाना चाहिए। आय कर उद्देश्य के लिए, दान हो सकता है अधिनियम में परिभाषित किया जाना चाहिए और उस प्रकाश में, अधिनियम की व्याख्या की जानी चाहिए। सार्वजनिक लाभ धर्मार्थ गतिविधियों का एक अनिवार्य घटक है। दो अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, उद्देश्य स्वयं लाभकारी होना चाहिए और जनता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड के पैराग्राफ 509 में यह चर्चा की गई है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि यदि गरीबों को इसके लाभों से बाहर रखा जाता है तो एक न्यास धर्मार्थ होगा।

44. हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड के पैराग्राफ 696 में साइ-प्रेस सिद्धांत की चर्चा की गई है। उक्त सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दबाया जा सकता है।

तत्काल मामले में सेवा में जब सरकारी भूमि अस्पतालों को आवंटित की गई है, भले ही दान देने का तरीका निर्दिष्ट न किया गया हो। इसे बाद में निर्दिष्ट किया जा सकता है और न्यायालय धर्मार्थ न्यास के उस उद्देश्य को लागू करने के लिए शक्तिहीन नहीं है, जिसके लिए आवेदन के विशेष तरीके को दाता द्वारा या अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया था। आयरनमोंगर्स कंपनी बनाम ए-जी (1844) 10 सी. आई. और फिन 908 927, एच. एल. में यह देखा गया कि जहां एक वसीयतकर्ता कई धर्मार्थ उद्देश्यों को लाभान्वित करने का इरादा रखता है, जिनमें से एक विफल हो जाता है, तो निधि को अन्य उद्देश्यों के बीच वितरित नहीं किया जाना चाहिए यदि एक जो विफल हो जाता है वह दूसरे के साथ कोई समानता नहीं रखता है। लैम्बेथ चैरिटीज (1853) 22 एलजे सीएच 959 के संदर्भ में, यह देखा गया कि जब किसी योजना द्वारा न्यासों में बदलाव किया जाता है, और योजना के न्यास असंभव हो जाते हैं ताकि एक नई साइ-प्रेस योजना की आवश्यकता हो, तो नई योजना के न्यास उपहार के मूल न्यासों के जितना संभव हो उतना करीब होने चाहिए।

45. गरीबों की राहत दान की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। सभी अस्पताल धर्मार्थ संस्थान नहीं हैं जैसा कि हो सकता है

अस्पताल जो व्यावसायिक रूप से चलते हैं। दान की आड़ में काम करने वाले अस्पताल वास्तव में वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे हैं और गरीबों के लिए सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाओं का खर्च उठाना असंभव हो गया है। उनके जीने का अधिकार खतरे में है। केवल अस्पताल शब्द द्वारा, प्रतिवादी अस्पतालों द्वारा यह सफलतापूर्वक दावा नहीं किया जा सका कि वे धर्मार्थ हैं। उन्हें अपने दायित्व को पूरा करने और धर्मार्थ गतिविधियों को शुरू करके उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और नीति में परिकल्पित मुफ्त सेवाएं देकर इसे वास्तविक अर्थ दिया जा सकता है। अस्पतालों का यह दावा कि वे अपने स्तर पर दान कर रहे हैं, दान के प्रदर्शन के लिए ढाल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। व्यवस्थित तरीके से। इस तर्क की भावना यह है कि जब वे दान करते हैं, तो यह भारत का संघ बनाम।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

उन पर दृढ़ नहीं किया जा सकता है, आत्म-विनाशकारी है और वास्तविक दान के मार्ग में उत्पन्न अन्यायपूर्ण बाधा को नकारने के लिए अपनी प्रवृत्ति रखता है। 46. धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 में परिभाषित "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा यहाँ नीचे दी गई है:

" 2. परिभाषा. - इस अधिनियम में "धर्मार्थ उद्देश्य" में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति शामिल है, लेकिन इसमें ऐसा उद्देश्य शामिल नहीं है जो विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा या पूजा से संबंधित हो।

परिभाषा से यह स्पष्ट है कि धर्मार्थ उद्देश्य में शामिल हैं

गरीबों की राहत, शिक्षा और चिकित्सा आवश्यकताएँ। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार, गरीबों की राहत और चिकित्सा राहत को शामिल किया गया है क्योंकि जो शर्तें लगाई गई थीं, वे स्पष्ट रूप से उपरोक्त परिभाषा के मापदंडों के भीतर हैं।

47. व्यापक अर्थों में दान में नैतिक कर्तव्य की भावना या दूसरों के प्रति मानवीय भावनाओं से जो कुछ भी होता है, वह शामिल होता है।

अपने स्वयं के लाभ या आनंद से अप्रभावित। अपने व्यापक अर्थों में, उन सभी अच्छे स्नेह को दर्शाता है जो पुरुषों को एक-दूसरे के प्रति सहन करना चाहिए; अपने सबसे सीमित और सामान्य अर्थों में, गरीबों की राहत। में

महामादान कानून के अनुसार, दान का अंग्रेजी कानून की तुलना में अधिक सामान्य महत्व है। गरीबों, फकीरों, अनाथों, जरूरतमंदों और गरीबों के खर्चों को चुकाने के लिए एक महामादान द्वारा संपत्ति का एक वक्फ

और अच्छे कार्यों के खर्चों को चुकाने के लिए, धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट बनाता है। आम बोलचाल में, दान शब्द का अर्थ है किसी भी आवश्यक परिस्थिति में किसी को देना और कानून में, इसका अर्थ है सार्वजनिक भलाई के लिए देना। 48. पी. सी. में राजा रत्नम संस्थान बनाम। दिल्ली नगर निगम और अन्य। , 1990 (पूरक) एस. सी. सी. 97, जिसमें इस न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 115 (4) (ए) के तहत 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा पर विचार किया, विचाराधीन विद्यालय एक सोसायटी द्वारा चलाया जाता था। यह दावा किया गया था कि यह एक गैर-लाभकारी पंजीकृत सोसायटी थी और इसका उद्देश्य दिल्ली में स्कूलों का आयोजन और संचालन करना था।

शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहीं और। सवाल यह उठा कि क्या शैक्षणिक संस्थान के लिए चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए कर देयता से छूट के लिए अर्हता प्राप्त करना आवश्यक था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि धर्मार्थ उद्देश्य की परीक्षा

तीन शर्तों में से किसी एक के प्रमाण से संतुष्ट होना, अर्थात्, गरीबों की राहत, शिक्षा या चिकित्सा राहत। तथ्य यह है कि कुछ शुल्क लिया गया था [2018] 7 एस. सी. आर.

छात्रों से निर्णायक नहीं था। व्याख्या समावेशी थी और संपूर्ण नहीं थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि नीचे उद्धृत धारा 115 (4) (ए) की भाषा को देखते हुए, यह सुझाव देना सही नहीं है कि कर देयता से छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए

एक समाज के लिए चिकित्सा राहत प्रदान करना आवश्यक हैः

" (क) भूमि और भवन या भूमि और भवनों के कुछ हिस्सों पर विशेष रूप से कब्जा कर लिया गया है और सार्वजनिक पूजा के लिए या समाज द्वारा उपयोग किया जाता है।

या किसी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निकायः

बशर्ते कि ऐसा समाज या निकाय पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है, अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में लागू करता है और कोई भी भुगतान नहीं करता है।

इसके सदस्यों को लाभांश या बोनस। व्याख्या-"धर्मार्थ उद्देश्य" में गरीबों की राहत, शिक्षा और चिकित्सा राहत शामिल है लेकिन इसमें कोई उद्देश्य शामिल नहीं है।

जो विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा से संबंधित है;

तर्क अच्छी तरह से स्थापित है। 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परीक्षा तीन शर्तों में से किसी एक के प्रमाण से संतुष्ट होती है, अर्थात्, गरीबों की राहत, शिक्षा या चिकित्सा राहत। तथ्य यह है कि छात्रों से कुछ शुल्क भी लिया जाता है जो निर्णायक नहीं है क्योंकि परंतुक इंगित करता है कि समाज को चलाने में होने वाले खर्च को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित किया जा सकता है। इसके अलावा, व्याख्या समावेशी है और संपूर्ण नहीं है। इसलिए, विवादित निर्णय को गलत माना जाना चाहिए।

उपरोक्त मामले में प्रश्न धारा के तहत परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य के अर्थ के संबंध में पूरी तरह से अलग था।

115 (4) (ए)।

49. दिल्ली नगर निगम बनाम चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट,

(1992) 3 एस. सी. सी. 390, इस न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 115 (4) (ए) के प्रावधानों पर विचार किया और धर्मार्थ उद्देश्य, संपत्ति कर के संदर्भ के प्रश्न पर विचार किया। भूमि और भवन और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक समाज द्वारा कब्जा की गई और उपयोग की जाने वाली भूमि और भवनों को छूट। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर छूट की प्रयोज्यता के लिए शर्तें सबसे पहले समाज पर धर्मार्थ होनी चाहिए और लाभ अर्जित नहीं करना चाहिए। इस न्यायालय ने भारत संघ v के अर्थ पर विचार किया।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

लोक कल्याण के तत्व के बिना शिक्षा प्रदान करने के लिए धर्मार्थ उद्देश्य, न कि स्वयं धर्मार्थ। दूसरा, समाज को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और अंत में, समाज को अपनी आय का उपयोग अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने में करना चाहिए और अपने सदस्यों को कोई लाभांश या बोनस नहीं देना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय चलाने वाली पंजीकृत सोसायटी के कर दायित्व पर उपरोक्त शर्तों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। योगदान के नाम पर भी विद्यालय द्वारा समाज को धन का हस्तांतरण स्वयं समाज द्वारा हस्तांतरण के बराबर होगा और इसलिए, इन उद्देश्यों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

छात्रों/माता-पिता से प्राप्त, स्कूल की गतिविधि एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थी। धर्मार्थ उद्देश्यों की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए समाज कर छूट का हकदार नहीं था। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि जहाँ प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य की उप-सेवा करना है और लाभ अर्जित करना नहीं, यह एक धर्मार्थ उद्देश्य होगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 68. इसलिए, सार्वजनिक लाभ लाभ का एक तत्व या

परोपकार की उपस्थिति होनी चाहिए। हम इस पर जोर क्यों देते हैं

इस मामले का पहलू यह है कि अगर शिक्षा को व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है,

केवल इसलिए कि यह एक विद्यालय है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह इसका हकदार होगा।

अधिनियम की धारा 115 (4) के तहत छूट।

XXX

XXX

XXX

76. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होगा कि

प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य को कम करना है न कि लाभ कमाना एक धर्मार्थ उद्देश्य होगा। हालांकि, तर्क

अपीलार्थी दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अनुसार है और

इसके तहत बनाए गए नियम, यदि सोसायटी निधि का उपयोग नहीं कर सकती है और

स्कूल को निजी लाभ के लिए नहीं चलाया जा सकता है

लाभ, यह एक धर्मार्थ उद्देश्य होगा।

77. हम पहले ही देख चुके हैं कि केवल शिक्षा के कारण

स्कूल में दिया जाता है, कि अपने आप में, एक के रूप में नहीं माना जा सकता है

धर्मार्थ वस्तु। आज शिक्षा ने व्यापक स्तर हासिल कर लिया है।

अर्थ। यदि शिक्षा लाभ के उद्देश्य से दी जाती है, तो धारण करने के लिए,

धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में ऐसा मामला सही नहीं होगा। हम हैं। दिल्ली के विद्वान वकील श्री बी. सेन से सहमत होने के लिए इच्छुक

इस संबंध में नगर निगम। इसलिए यह होगा कि इसमें अनिवार्य रूप से सार्वजनिक लाभ शामिल होना चाहिए।

78. आयकर अधिनियम से उत्पन्न होने वाले निर्णय बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं।

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का। की प्रगति सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का कोई अन्य उद्देश्य इसके तहत नहीं पाया जाता है

दिल्ली नगर निगम अधिनियम। दूसरे शब्दों में, परिभाषा है

दायरे में संकीर्ण। यह प्रश्न संख्या 1 का हमारा उत्तर है।

X

XX

XXX

XXX

85. इस मामले का अंतिम पहलू आय का उपयोग है।

अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देना और इसके लिए कोई लाभांश या बोनस का भुगतान नहीं करना।

सदस्य। अपीलार्थी और मध्यस्थ के लिए विद्वान वकील

तत्काल मामला वही है। पृष्ठ 121 पर निम्नलिखित अवलोकन है - पाया गयाः

" एक, मुझे लगता है, जो निगम को समृद्ध करता है या उसे राहत देता है।

किसी बोझ का या अपने उद्देश्यों या शक्तियों को आगे बढ़ाता है।

अतः उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि

धर्मार्थ उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी यदि यह लाभ अर्जित करने के लिए नहीं है।

50. चिकित्सा और कानूनी व्यवसाय एक अलग आधार पर खड़े हैं।

समाज के प्रति दायित्वों को पूरा करने के मामले में। वे वाणिज्यिक गतिविधि के लिए नहीं हैं जो बड़े पैमाने पर आज की एक कड़वी वास्तविकता बन गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त उपचार दान की प्रकृति से एक सामान्य दायित्व है, और अस्पतालों की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि चिकित्सा उपचार को स्वयं धर्मार्थ माना जाता है। सवाल यह उठता है कि जब चिकित्सा पेशा धर्मार्थ है, तो दान का क्या अर्थ है और क्या इसके आधार पर केवल उपचार देने से व्यावसायिक लाभ होता है, फिर भी यह अपने वास्तविक अर्थ में धर्मार्थ चरित्र को बनाए रखेगा। आम बोलचाल में दान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक राहत है।

51. समाज में दूसरों के लिए जो उचित हो सकता है, वह अभी भी हो सकता है

कानूनी पेशे के सदस्यों के लिए अनुचित। एक ही नैतिक मानक चिकित्सा पेशे के लिए समान बल के साथ लागू होता है। चिकित्सा पेशा मनुष्य के जीवन से संबंधित है। वाणिज्यिक लाभों के साथ मानवाधिकारों का संतुलन होना चाहिए।

52. वैश्वीकरण के बाद, हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के शासन में हैं। इन अधिकारों को भी मानवाधिकारों को रास्ता देना होगा। यह सरकार का दायित्व है कि वह जीवन रक्षक दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह राज्य का भी उतना ही दायित्व है कि वह ऐसे उपाय करे जिनसे वे स्वयं ही व्यवहार से वंचित न हों। दवा देना भी चिकित्सा चिकित्सा का एक हिस्सा है। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में चिकित्सा पेशे के सदस्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे वंचितों का इलाज करें। वे किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं जिसे किसी विशेष दवा या किसी विशेष विशेषज्ञ द्वारा उपचार की सख्त आवश्यकता है, केवल इस आधार पर कि वह ऐसी राय/उपचार के लिए देय शुल्क वहन करने की स्थिति में नहीं है। जिस क्षण इसकी अनुमति दी जाएगी, चिकित्सा पेशा विशुद्ध रूप से एक वाणिज्यिक गतिविधि बन जाएगा, ऐसा इसकी महानता के कारण नहीं माना जाता है। इस प्रकार, हमारी राय में, जब सरकारी भूमि अस्पताल चलाने के धर्मार्थ उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई थी, तो सरकार का यह अधिकार है कि

इस तरह के दायित्व को लागू करें। 53. चिकित्सा पेशे की कुलीनता और दायित्व को भी द्वारा बनाए गए नियमों के रूप में वैधानिक मान्यता मिली है

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 (एम) के साथ पठित धारा 20 ए के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद। भारतीय चिकित्सा परिषद ने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के लिए व्यावसायिक आचरण के मानकों और शिष्टाचार और आचार संहिता से संबंधित नियम बनाए हैं। अध्याय 1 जिसमें चिकित्सा नैतिकता की संहिता शामिल है। विनियमन 1.1 का भाग बी एक चिकित्सक के चरित्र से संबंधित है। विनियम 1.1। 1 यह प्रावधान करता है कि संस्थान पेशे की गरिमा और सम्मान को बनाए रखेगा। विनियम 1.1। 2 यह स्व-व्याख्यात्मक है और इसे यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 1.1. 2 चिकित्सा पेशे का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है; पुरस्कार या वित्तीय लाभ एक अधीनस्थ विचार है। जो कोई भी अपना पेशा चुनता है, वह उसके आदर्शों के अनुसार खुद को संचालित करने का दायित्व मानता है। एक चिकित्सक को एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जिसे उपचार की कला में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वह अपने चरित्र को शुद्ध रखेगा और देखभाल करने में मेहनती होगा। बीमार के लिए; उसे
विनम्र, शांत, धैर्यवान, त्वरित होना चाहिए।

बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना; अपने पेशे में और अपने जीवन के सभी कार्यों में औचित्य के साथ खुद को संचालित करना। "[2018] 7 एस. सी. आर.

यह एक स्पष्ट शब्द में निर्धारित करता है कि चिकित्सा पेशे को मानवता की सेवा करनी होती है; पुरस्कार या वित्तीय लाभ एक अधीनस्थ विचार है। डॉक्टर को अपने जीवन के सभी कार्यों में महान माना जाता है। 54. विनियमन 1.2 के तहत। 1 यह चिकित्सा पेशे के सदस्य का कर्तव्य है कि वह रोगियों को उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों का लाभ उपलब्ध कराए। विनियम 1.2। 1 इसे नीचे निकाला गया हैः

अपने रोगियों और सहकर्मियों को उनकी पेशेवर उपलब्धियों के लाभ। चिकित्सक को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित उपचार के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए और पेशेवर रूप से संबद्ध नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत का
उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ। चिकित्सा पेशे के सम्मानित आदर्शों का तात्पर्य है कि चिकित्सक की जिम्मेदारियां न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी हैं।

55. विनियमन 1.8 के तहत, चिकित्सा के अभ्यास में लगे चिकित्सक को रोगियों के चिकित्सा हितों को प्राथमिकता देनी होती है।

और व्यक्तिगत वित्तीय हितों के लिए नहीं। विनियमन 1.8 का निष्कर्ष नीचे दिया गया हैः

" 1.8 व्यावसायिक सेवाओं का भुगतानः चिकित्सक ने कहा,

चिकित्सा के अभ्यास में लगे रोगियों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक चिकित्सक के व्यक्तिगत वित्तीय हितों को रोगियों के चिकित्सा हितों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। एक चिकित्सक

सेवा देने से पहले अपनी फीस की घोषणा करनी चाहिए न कि ऑपरेशन या उपचार के बाद। ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक विशेष रूप से प्रपत्र और राशि में होना चाहिए।

सेवा प्रदान किए जाने के समय रोगी को घोषित किया जाता है। "कोई इलाज नहीं, कोई भुगतान नहीं" का अनुबंध करना अनैतिक है। राज्य की ओर से सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सक सेवा से विरत रहेंगे।

किसी भी विचार का पूर्वानुमान लगाने या स्वीकार करने से।

56. विनियमन 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि आपात स्थिति की स्थिति में चिकित्सक को रोगी का इलाज करना चाहिए। कोई चिकित्सक नहीं करेगा मनमाने ढंग से रोगी को उपचार देने से मना कर दें। पंजीकरण के समय, भारत संघ v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

चिकित्सक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है कि "मैं ईमानदारी से अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूं" और "मैं गर्भधारण के समय से मानव जीवन के लिए अत्यधिक सम्मान बनाए रखूंगा"। और वह चिकित्सा पेशे के महान प्रावधानों का सम्मान करने के लिए अपनी शक्ति में सभी साधनों को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। वैधानिक नियमों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा पेशे का कर्तव्य है कि वे गरीबों की सेवा करें और आर्थिक स्थिति के बावजूद, उन्हें सामाजिक स्थिति और आर्थिक असमानता के संबंध में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जिसे जरूरतमंदों को मुफ्त उपचार के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

57. जब सरकारी जमीन अस्पतालों को आवंटित की गई है,

वे मुफ्त सेवा नहीं करेंगे, लेकिन रियायती दरों पर सरकारी उदारता के प्राप्तकर्ता होने के नाते और इसका आनंद लेते रहने के कारण, उनका कर्तव्य है कि वे जनहित में कार्य करें। हमारी राय में, न केवल मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट और सेंट स्टीफंस अस्पताल ने रियायती दर पर भूमि प्राप्त की है, बल्कि अन्य दो अस्पतालों, सीता राम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर ने भी बाजार दर पर नहीं, बल्कि कम पूर्व निर्धारित दर पर भूमि प्राप्त की है। यह सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से नहीं मिला है कि उन्हें जमीन मिली है। सीता राम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के मामलों के अलावा, आवंटन पत्रों में खंड 7 इस आशय से जोड़ा गया था कि "डी. डी. ए. अपने विवेक पर किसी भी नियम और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है"।

58. यह सीता राम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर की ओर से लड़ा गया था।

कि रियायती दर पर भूमि के आवंटन के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया कि डी. डी. ए. (विकसित नज़ुल भूमि का निपटान) नियम, 1981, विशेष रूप से नियम 3 से 6 और 20 इंगित करते हैं कि भूमि धर्मार्थ संस्थानों को पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित की गई थी, न कि बाजार दरों पर। भूमि का आबंटन उपरोक्त दो संस्थान पूर्व निर्धारित दरों पर थे। पूर्व निर्धारित दरें बाजार दरों के करीब भी नहीं हैं। डी. डी. ए. नियमों के अनुसार, भूमि का निपटान खुली नीलामी या निविदा के माध्यम से किया जाना है। पूर्व निर्धारित दरें नीलामी या निविदा में प्राप्त बाजार दरों के आसपास कहीं भी नहीं हैं, इसलिए वे रियायती भी हैं। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, चूंकि अस्पताल सरकारी भूमि का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए सरकार के लिए इस तरह के नियम लागू करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त इलाज के लिए शर्तें लागू करने के लिए खुला है।

18] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. मानवाधिकारों की प्राप्ति जिम्मेदारियों को निहित करती है

राज्य। राज्य को विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में मानवाधिकारों के एजेंडे को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य का अधिकार 10.12.1948 (UDHR) के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 में प्रदान किया गया है। लेख में कहा गया हैः

" प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं, और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था या आजीविका की अन्य कमी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण से बाहर हैं।

स्वास्थ्य। जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है जैसा कि पंजाब और अन्य राज्यों में मनाया जाता है। वी. मोहिंदर सिंह चावला और अन्य। (1997) 2 एससीसी 83। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में रोगियों के साथ गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है जैसा कि इस न्यायालय ने बलराम प्रसाद बनाम. कुणाल साहा और ओआरएस। (2014) 1 एससीसी 384। स्वास्थ्य का अधिकार अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार है जैसा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन v. भारत संघ और अन्य। , ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1469 आपातकालीन चिकित्सा सहायता की अवधारणा पर इस न्यायालय द्वारा पं. परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ और अन्य। (1989) 4 एससीसी 286। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति और अन्य में। वी. राज्य पश्चिम बंगाल और अन्र. (1996) 4 एस. सी. सी. 37, चिकित्सा उपचार का अधिकार कैदियों को भी दिया गया है।

61. परमानंद कटारा (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा है कि हर डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या अन्यथा,

इसलिए, रास्ता छोड़ दें, और डॉक्टर पर यह दायित्व है कि वह घायल पीड़ित का उसके सामने पेश होने पर या तो अकेले या अकेले इलाज करे। दूसरों द्वारा ले जाया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को बचाने का प्रयास न केवल चिकित्सा पेशेवर की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, बल्कि पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति की भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए जो भारत संघ v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

मामले से जुड़ा हो या जिसने ऐसी घटना या स्थिति को नोटिस किया हो। यह आशंका कि डॉक्टर को पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और अदालत में गवाह के रूप में खड़ा होना पड़ेगा और सभी उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, उन्हें चिकित्सा के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से नहीं रोकना चाहिए

पेशेवर एक मानव जीवन को बचाने और वह सब करने के लिए जो आवश्यक है। 62. पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा है कि संविधान में एक

अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र चलाकर जो उन सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। मानव जीवन का संरक्षण इस प्रकार यह सर्वोपरि है। सरकार गंभीर परिस्थितियों में व्यक्तियों को समय पर देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है। चिकित्सा सुविधाएँ नहीं हो सकतीं

याचिकाकर्ता को Rs.25,000 का मुआवजा और इस न्यायालय द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। राज्य वित्तीय बाधाओं के कारण इस संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है और उसे पर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना प्रदान करने के लिए धन आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। 63. हमारी राय में, राज्य इस तरह का दायित्व तब भी लगा सकता है जब सरकारी भूमि ऐसे अस्पतालों के पास हो और यह संवैधानिक है

ऐसे अस्पतालों पर लगाया गया दायित्व। अनुच्छेद 47 के तहत, राज्य को

पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना अनुच्छेद 51 ए (एच) में निहित मौलिक कर्तव्यों में से एक है। मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना। जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन या कोई साधन नहीं है, उसे जीवन रक्षक उपचार से केवल इस आधार पर इनकार करना अमानवीय होगा कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। वित्तीय कारणों से, यदि उपचार से इनकार कर दिया जाता है, तो यह होगा

चिकित्सा पेशे के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों और दान की अवधारणा के खिलाफ, जिस भी रूप में हम इसकी परिकल्पना करते हैं, असंवैधानिक होने के अलावा बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। हमारी राय में,

जब इन अस्पतालों द्वारा भूमि के रूप में राज्य की उदारता का आनंद लिया जा रहा है, तो चिकित्सा सेवाओं की प्रकृति से उनका दायित्व है कि वे [2018] 7 एस. सी. आर. प्रदान करके जनता को पारस्परिक दायित्व का विस्तार करें।

65. यहां तक कि जब धर्मार्थ गतिविधि का उद्देश्य परिभाषित नहीं किया जाता है, तब भी इसे परिभाषित करना अदालत के लिए खुला है। सरकार के निर्णय को उस उद्देश्य के लिए विदेशी नहीं कहा जा सकता है जिसके लिए भूमि रखी गई है। इस प्रकार, राज्य की कार्रवाई को किसी भी तरह से अनधिकृत, अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता है और यह उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में है जिनके लिए चिकित्सा पेशा मौजूद है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े पैमाने पर अस्पताल अब वाणिज्यिक केंद्र बन गए हैं। शोषण और उदाहरणों पर ध्यान दिया गया है जब एक शव को अस्पतालों के बिलों की निकासी के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाता है जो कि अवैध और आपराधिक कार्य है। भविष्य में, जब भी पुलिस को इस तरह के किसी कार्य की सूचना दी जाती है, तो उसे अस्पताल के प्रबंधन और इस तरह के अमानवीय कार्य में शामिल सभी संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, जो मानव गरिमा के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट करता है और चिकित्सा पेशे में रखे गए विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के समान है।

66. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश अस्पताल वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे हैं और विभिन्न बीमारियां इस महान चिकित्सा पेशे में डूब गई हैं। गलत रिपोर्टिंग से सही, आक्रामक सहित जांच के लिए अनावश्यक

एक, भले ही हृदय और शरीर के अन्य अंग, जो पूरी तरह से अनावश्यक हैं, किए जाते हैं, यह आत्मा के लिए समय है-इतनी बड़ी खोज करने के लिए। दिल्ली, गुड़गांव आदि और अन्य स्थानों में और उसके आसपास के अस्पताल। उन्हें सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। क्या यह आपराधिक कृत्य नहीं है? केवल इस तथ्य से कि कार्रवाई नहीं की जाती है, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता है। समय आ गया है कि जवाबदेही को ठीक किया जाए और उन बुराइयों को ठीक किया जाए जिन्होंने व्यवस्था को खराब कर दिया है। चिकित्सा पेशे को कभी भी भारत का संघ नहीं बनाया गया था।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

उन रोगियों की कीमत पर पैसा कमाने के लिए शोषणकारी उपकरण जिन्हें ईश्वरीय दृष्टिकोण और डॉक्टरों की मदद की आवश्यकता होती है। हर प्रिस्क्रिप्शन शुरू होता है।

67. गरीब को उसकी आर्थिक अक्षमता के कारण सबसे अच्छे चिकित्सक द्वारा उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता होती है। यह चिकित्सा पेशेवरों, अस्पतालों, राज्य और सभी का दायित्व है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को उपचार दिया जाए और वह गरीबी के कारण उससे वंचित न रहे। संविधान में भी यही परिकल्पना की गई है। एक डॉक्टर बनाने पर, राज्य सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि खर्च करता है और निवेश करता है और जरूरतमंदों की सेवा करना संबंधित दायित्व है और रोगी की वित्तीय अक्षमता के आधार पर उपचार से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस हद तक, सही और नैतिक दायित्व को लागू किया जा सकता है और यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आई. पी. डी. और ओ. पी. डी. में मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए विवादित निर्देश जारी करके किया गया है। उन्होंने इतने लंबे समय तक पीड़ा झेली है और उन्हें वितरण न्याय का लाभ नहीं मिला है और वे न्याय की कमी के कारण समान न्याय और उचित व्यवहार से वंचित हैं।

वित्तीय साधन। यह दिनांकित 10.6.1949 के नीतिगत निर्णय और धर्मार्थ की धारा 2 में निहित प्रावधानों से भी स्पष्ट है।

कि संस्थान को जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए लाभ का उद्देश्य। अस्पतालों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त शर्त अस्पतालों पर लागू नहीं होती है और यह कला और शिल्प संघ पर लागू होगी, और आवंटन पत्र और पट्टा विलेख में मुफ्त उपचार प्रदान करने के संबंध में कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी। हमारी राय में, यह शर्त कि कला और शिल्प संस्थान को जनता की भलाई के लिए चलाया जाना चाहिए, बिना किसी लाभ के उद्देश्य के मुख्य रूप से अस्पतालों आदि जैसे धर्मार्थ संस्थानों पर लागू होता है, तो इसे केवल इस रूप में निर्दिष्ट किया गया है -

कला और शिल्प संस्थान आदि के प्रति भी दायित्व। इस प्रकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए धर्मार्थ होने वाले अस्पतालों पर एक दायित्व होगा।

इस न्यायालय द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा, इसलिए यह पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी हो जाता है। 70. यह स्पष्ट है कि मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट और सेंट स्टीफंस अस्पताल के मामले में, भूमि को वर्ष 1949 की योजना के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया था, जैसा कि आगे संशोधित किया गया था, इस प्रकारः

जिस नीति के तहत उन्होंने पट्टा विलेख प्राप्त किया था, वह भी एक प्रासंगिक दस्तावेज होगा और नीति में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भूमि को धारण करने की पात्रता के लिए सर्वोपरि महत्व का होगा, क्योंकि यह भारत का संघ v का मूल दस्तावेज है।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

पक्षों के अधिकारों और पट्टे के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करना विलेख, नीति के मुख्य उद्देश्य के पूरक होगा। पट्टा विलेख मुख्य नीति या नियमों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जैसा कि मामला हो सकता है जिसके तहत आवंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है।

71. हमारी सुविचारित राय में, न केवल 1949 में प्रचलित नीति द्वारा, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर भूमि, दिनांकित आदेश में निर्धारित किए गए अनुसार प्राप्त और निःशुल्क उपचार किया जा रहा है

02.02.2012 भारत सरकार द्वारा जारी, उस नीति के दायरे में है जिसके तहत दिल्ली के केंद्र में अत्यधिक रियायती दरों पर आवंटन किया गया था और 1981 में बनाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण नियम। वे यह तर्क देकर अपने दायित्व से बाहर नहीं निकल सकते हैं कि आवंटन पत्र या पट्टा विलेख में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आवंटन पत्र और पट्टा विलेख मुख्य नीति और नियमों में सवारियों के अधीन हैं जिनके तहत अनुदान दिया गया है। यह आवंटन पत्र और पट्टा विलेख की नींव है।

72. सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के मामले में, आवंटन किया गया था

73. सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के मामले में, स्थापना के लिए भूमि के आवंटन के लिए डी. डी. ए. को आवेदन किए गए थे नई दिल्ली में एक बहु-विषयक अनुसंधान परिसर। यह आवंटन 62 एकड़ भूमि के लिए 6 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से किया गया था।

22.10.1984 , इसके बाद 1 करोड़ 46 लाख रुपये के एक अन्य भूखंड के संबंध में 1 करोड़ 36 लाख रुपये का पट्टा विलेख। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से उपरोक्त डी. डी. ए. नियम, 1981 के नियम 5 और 20 के अधीन था। नियम 5 और 20 नीचे दिए गए हैं:

" 5. कुछ सार्वजनिक संस्थानों को नज़ुल भूमि के आवंटन के लिए प्रीमियम के नियम। - प्राधिकरण नाज़ुल भूमि को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, अन्य सामाजिक या धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक, आदि को आवंटित कर सकता है।

राजनीतिक, अर्ध-राजनीतिक संगठन और स्थानीय निकाय

इन नियमों के लागू होने से तुरंत पहले या ऐसी दरों पर जो केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करे, प्रीमियम और भूमि किराए पर लाभकारी, अर्ध-लाभकारी या गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए।

[स्पष्टीकरण। - इस नियम के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति

' अस्पतालों में नियम के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी कंपनी, फर्म या न्यास द्वारा स्थापित अस्पताल/औषधालय शामिल नहीं हैं।

(4) .]

20. कुछ सार्वजनिक संस्थानों को आवंटन। - [***] नियम 5 में निर्दिष्ट सार्वजनिक संस्थान को नज़ुल भूमि का कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।

जब तक कि -

(क) उस सार्वजनिक संस्थान के उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुसार -

((i) यह सीधे तौर पर देश की आबादी के हितों का संरक्षण करता है।

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली;

((ii) यह आम तौर पर योजनाबद्ध विकास के लिए अनुकूल है।

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली; ((ग) उस सार्वजनिक संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि वह समान दक्षता के साथ नहीं किया जा सकता है।

उस केंद्र शासित प्रदेश के अलावा कहीं और किया जाए।

(ख) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है या ऐसी संस्था का स्वामित्व और संचालन समिति द्वारा किया जाता है।

सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, या गठित या

किसी भी कानून के तहत स्थापित [कुछ समय के लिए लागू या यह अस्पताल की स्थापना के उद्देश्य से एक कंपनी, फर्म या ट्रस्ट है।

या औषधालय];

((ग) यह गैर-लाभकारी प्रकृति का है।

(ङ) ऐसी संस्था को आवंटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के एक विभाग द्वारा प्रायोजित या अनुशंसित किया जाता है। दिल्ली का] या केंद्र सरकार का मंत्रालयः

या नीलामी, जैसा भी मामला हो, ऐसी कंपनी, फर्म या ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा प्रायोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी।केंद्र सरकार का मंत्रालय।] ”

74. नियम 5 से यह स्पष्ट है कि धर्मार्थ संस्थानों को भूमि का आवंटन पूर्व निर्धारित दरों पर होगा न कि बाजार दरों पर। उपरोक्त नियम 20 के अनुसार, आवंटन इस शर्त के अधीन है कि सार्वजनिक संस्थान को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की आबादी के हितों की सेवा करनी चाहिए और ऐसे संस्थान गैर-सरकारी होने चाहिए। लाभ प्रेरक चरित्र। आबंटन पत्र के खंड 7 में इस आशय की शर्त के माध्यम से एक स्पष्ट शर्त थी कि डी. डी. ए. अपने विवेक पर किसी भी नियम और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्राप्त की गई थी। बाद में, यह देखा गया कि अस्पताल स्थापित किए गए थे और वाणिज्यिक तर्ज पर चल रहे थे, जिस पर डी. डी. ए. द्वारा आपत्ति जताई गई थी क्योंकि यह नियमों और शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था। चूँकि भूमि रियायती दरों पर प्राप्त की गई थी, बाजार दरों पर नहीं, इसलिए अस्पताल सार्वजनिक भलाई के लिए बाध्य थे और पट्टा विलेख में ऐसी शर्त को लागू करना अस्वीकार्य, मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता था। सीताराम भारतीय संस्थान और फाउंडेशन फॉर एप्लाइड रिसर्च इन कैंसर के पक्ष में जो आवंटन किए गए थे, वे पूर्व निर्धारित दरों पर थे, जो बाजार दरों से कम थे।

75. मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह न्यायालय तय किए गए कानून के उल्लंघन में सहानुभूति के कारण आदेश देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है और यह इस संस्थान की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। हमारी राय में, यह पूरी तरह से

अस्वीकार्य प्रस्तुति। न्यास को अन्यायपूर्ण और अनुचित तरीके से अपने दायित्व से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मूल रूप से ट्रस्ट की स्थापना शुद्ध दान के लिए की गई थी। इस तरह के अयोग्य और असमर्थनीय समर्पण को उठाने में, विश्वास करें

उसने अपना मुख्य उद्देश्य खो दिया है और एक वाणिज्यिक चरित्र ग्रहण कर लिया है और यह खेदजनक है कि उसे न्यायालय द्वारा उस उद्देश्य के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाया जाना चाहिए जिसके लिए वह मौजूद है और एक विशेष आधार पर भूमि प्राप्त करने के बाद, केवल उसके उल्लंघन में देखा जाता है। संस्थान के संबंध में न्यायमूर्ति कुरैशी समिति की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि न्यायमूर्ति कुरैशी की रिपोर्ट में दर्ज टिप्पणियां अस्पतालों के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थीं, जो अस्पताल के प्रबंधन के साथ विवाद में थे।

76. सेंट स्टीफंस की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

अस्पताल ने संभागीय प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब एंड एन. आर. में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। वी. चंदर हास और एन. आर. , (2008) 1 एस. सी. सी. 683, यह तर्क देने के लिए कि यह न्यायालय के लिए एक कानून या दायित्व बनाने के लिए खुला नहीं है [2018] 7 एस. सी. आर.

आवश्यकता पड़ने पर एक या एक से अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जा सकते हैं। यह तर्क दिया गया था कि मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना न्यास के विलेख में नहीं था। जमीन को ऊपर उठाया गया है और वसीयत में जो कुछ भी है वह उसी उद्देश्य के खिलाफ है जिसके लिए मूलचंद खराइती राम अस्पताल बनाया जा रहा है। भागते हैं। जब इसका उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में सुधार करना था, जैसा कि अभिलेख पर दी गई सामग्री से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त गतिविधियाँ एक कमरे तक ही सीमित थीं और बदली हुई मुख्य गतिविधि एक एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है, जो ट्रस्ट के निर्माता का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हम इस मामले को इन पर छोड़ देते हैं।

कार्यवाही। हालाँकि, अस्पताल के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भूमि प्राप्त करने के बाद, बिना किसी लाभ के और सार्वजनिक भलाई के लिए, दवा की जो भी प्रणाली प्रशासित की जा रही है, उसे सरकार द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश में परिकल्पित मुफ्त उपचार के ऐसे धर्मार्थ सवार के साथ बाध्य किया जा सकता है। 78. इसी तरह, सेंट स्टीफंस अस्पताल मिशनरियों का अस्पताल है और इसका उद्देश्य निश्चित रूप से धर्मार्थ सेवाओं को मुफ्त में प्रदान करना है।

लेकिन यह कमोबेश एक वाणिज्यिक उद्यम भी बन गया है क्योंकि तत्काल मामले में शामिल अन्य अस्पतालों के मामले में, दान के लिए इस तरह के प्रावधान का विरोध कैसे किया जाता है, यह समझ से परे है, क्या यह दान बनाम दान है। उन्हें मुफ्त इलाज के लिए उचित और उचित कानूनी शर्तों का पालन करना होगा जो संवैधानिक रूप से भी परिकल्पित हैं।

79. मूलचंद खराइती राम की ओर से भी इसका आग्रह किया गया था

अस्पताल ने कहा कि हालांकि लाजपत नगर में नौ एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन यह प्रासंगिक समय पर एक प्रमुख इलाका नहीं था और जमीन बाजार दर पर दी गई थी। प्रस्तुतियाँ पूरी तरह से आधारहीन और अभिलेख के खिलाफ हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड उसी बात को नकारता है।

अनुच्छेद 19 (1) (छ) और 19 (6) से संबंधित प्रश्न संख्या 3 के संदर्भ में:

80. उत्तरदाताओं/अस्पतालों की ओर से यह तर्क दिया गया कि मुफ्त इलाज के लिए ऐसी शर्त लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) में निहित अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के समान है जो भारत के सभी नागरिकों को अभ्यास करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

भारत में कोई भी पेशा या कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करना।

चूँकि न्यासी भारतीय नागरिक हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं

' संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत कानून। यह आगे तर्क दिया गया कि 'कानून' को संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से 'वैधानिक कानून' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका आधार संविधान द्वारा या तो अधिनियमित कानून में है। संसद या राज्य विधानमंडल। रिलायंस को खड़क सिंह बनाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 1 एस. सी. आर. 322 जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि पुलिस विनियमों में निहित प्रावधानों का कोई वैधानिक आधार नहीं है, बल्कि वे केवल कार्यकारी या विभागीय निर्देश हैं और इसलिए वे "कानून" नहीं हो सकते हैं जिसे राज्य बनाने का हकदार था।

संविधान का अनुच्छेद 21 और यदि उन कार्यकारी निर्देशों के तहत कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो व्यक्ति संबंधित न्यायालयों से राहत पाने का हकदार होगा।

81. रिलायंस को बिजोए इमैनुएल एंड ओआरएस पर भी रखा गया है। वी. केरल राज्य और अन्य। (1986) 3 एस. सी. सी. 615 जिसमें सरकार

सभी छात्रों को राष्ट्रगान के गायन में शामिल होने के लिए परिपत्र जारी किए गए थे। यह सरकार और उसकी नीति का एक बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इस न्यायालय ने माना कि परिपत्र केवल सरकार के कार्यकारी निर्देश होने के कारण इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि कोई भी कानून जो [2018] 7 एस. सी. आर. के खंड (2) से (6) के तहत बनाया जाए।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) से (ई) और (जी) तक गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के अधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के लिए 'एक कानून' होना चाहिए जिसमें वैधानिक बल हो न कि केवल कार्यकारी या विभागीय निर्देश। यह न्यायालय

वेदः

" 15. यदि दोनों परिपत्रों की व्याख्या इस तरह की जाए कि वे मजबूर हों

प्रत्येक छात्र राष्ट्रगान के गायन में शामिल होगा

उनकी वास्तविक, कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक आपत्ति के बावजूद, तब मजबूरी स्पष्ट रूप से गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करेगी

अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 25 (1)।

16. हमने अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लेख किया है जो सभी को गारंटी देता है।

नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (2)

जो यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) में कुछ भी नहीं होगा

राज्य को कोई भी कानून बनाने से, जहाँ तक ऐसी कानून लागू होती है द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध

अनुच्छेद 19 (1) (ए) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या अवमानना के संबंध में

अदालत, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। कानून अब है

अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई भी कानून जो खंड (2) के तहत बनाया जा सकता है

अधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 19 का (6)

अनुच्छेद 19 (1) (ए) से (ई) और (जी) द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ 'ए' होनी चाहिए।

कानून 'जिसके पास वैधानिक बल है और न कि केवल कार्यकारी या

विभागीय निर्देश। खरक सिंह बनाम। यू. पी. एयर का राज्य

1963 एससी 1295,1299, सवाल उठा कि क्या एक पुलिस विनियमन है

जो केवल एक विभागीय निर्देश था, जिसमें कोई वैधानिकता नहीं थी

आधार को अनुच्छेद 19 (2) से (6) के उद्देश्य के लिए एक कानून कहा जा सकता है। संविधान पीठ ने इस सवाल का जवाब नकारात्मक दिया।

और कहाः

यद्यपि उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील ने शुरू किया

धारा 12 को लागू करके इस तरह के औचित्य का प्रयास करना

भारतीय पुलिस अधिनियम उन्होंने इसे छोड़ दिया और स्वीकार किया कि

अध्याय XX में निहित विनियमों में ऐसा कोई वैधानिक नहीं था आधार पर लेकिन केवल कार्यकारी या विभागीय निर्देश थे

पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया। वे करेंगे।

इसलिए, "एक कानून" नहीं होना चाहिए जिसे बनाने का अधिकार राज्य को है। अनुच्छेद 19 (1) के कई उपखंडों द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को विनियमित करने या कम करने के लिए अनुच्छेद 19 के प्रासंगिक खंड (2) से (6) के तहत, और न ही यह भारत का एक खंड होगा।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "अनुच्छेद 21 के भीतर। अतः स्थिति यह है कि यदि पुलिस की कार्रवाई, जो राज्य की कार्यपालिका की शाखा है, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती पाई जाती है। याचिकाकर्ता को दी गई स्वतंत्रता की गारंटी याचिकाकर्ता को परमादेश की राहत का अधिकार होगा, जिसे वह रोकना चाहता है।

विनियमों के तहत कार्रवाई करने से राज्य।

17. विभाग ने वर्तमान मामले में जिन दो परिपत्रों पर भरोसा किया है, उनका कोई वैधानिक आधार नहीं है और वे केवल

विभागीय निर्देश। इसलिए वे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से किसी भी कार्रवाई की नींव नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा यह मानना संभव नहीं है कि दोनों परिपत्र संप्रभुता के हित में जारी किए गए थे।

और भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध

विदेशी राज्यों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में '

और यदि ऐसा जारी नहीं किया जाता है, तो उन्हें अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार से वंचित करने के लिए फिर से लागू नहीं किया जा सकता है। कामेश्वर प्रसाद बनाम। बिहार राज्य (1962) पूरक 3 एस. सी. आर. 369, न्यायालय की एक संविधान पीठ को बिहार के नियम 4 ए की वैधता पर विचार करना पड़ा।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम जो किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करते हैं, भले ही ऐसा प्रदर्शन निर्दोष हो और सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने में असमर्थ हो। अदालत ने कहाः

बनाए रखा गया है। हमारी राय में, इस नियम का दोष यह है कि यह हर प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाता है-चाहे वे कितने भी निर्दोष क्यों न हों और सार्वजनिक शांति भंग करने में कितने भी असमर्थ क्यों न हों और यह उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो प्रदर्शनों के रूप जो उस परिणाम की ओर ले जा सकते हैं।

खड़क सिंह बनाम के आलोक में शिक्षा प्राधिकरणों की कार्रवाई की जांच करना। उत्तर प्रदेश राज्य और कामेश्वर प्रसाद बनाम। बिहार राज्य (ऊपर) हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि राष्ट्रगान के गायन में शामिल नहीं होने के लिए बच्चों का स्कूल से निष्कासन, जबकि वे राष्ट्रगान गाए जाने पर सम्मानपूर्वक चुप हो गए थे, अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन था।

82. रिलायंस को एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य में भी रखा गया है। वी. उर भरत सिंह, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1170, जिसमें यह बताया गया था कि अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति केवल एक कार्यकारी शक्ति है और एक विधायी शक्ति नहीं है, अनुच्छेद 162 के तहत पारिस्थितिक शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कुछ भी इस शीर्षक के तहत कानून नहीं बन जाता है। यह न्यायालय मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में कि कार्यपालिका को आपातकाल के दौरान जारी किया गया था, अनुच्छेद 19 के तहत लंबित था। इसने तर्क दिया कि अनुच्छेद 358 विधायी और कानूनी दोनों कार्रवाई की रक्षा करता है। उपरोक्त मामले में निर्णय अनुच्छेद द्वारा समर्थित नहीं था

संविधान से। यह देखा गयाः

" (4) . राज्य के वकील ने इस विचार को चुनौती नहीं दी कि प्रतिबंध जो सी. एल. के तहत लगाए जा सकते हैं। (धारा 3 (1) के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी चूल्हे, घर और व्यवसाय के स्थान को छोड़ने और किसी अन्य स्थान पर रहने और रहने की आवश्यकता होती है जिससे वह पूरी तरह से अपरिचित हो।

उसके पूर्वाग्रह के लिए गंभीरता से, और उस कारण से अनुचित हो सकता है।

XXXX. (5) राज्य के लिए XXX वकील ने यह स्वीकार करते हुए कि यदि धारा 3 (1) (बी) थी, क्योंकि यह नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है,

आपातकाल की घोषणा से पहले शून्य, और यह कि यह घोषणा द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया गया था, प्रस्तुत किया कि कला। 358 कार्रवाई की रक्षा करता है

विधायी और कार्यपालिका दोनों की घोषणा के बाद लिया गया

आपात स्थिति और इसलिए एक अधिकारी द्वारा की गई कोई भी कार्यकारी कार्रवाई

राज्य या राज्य द्वारा इस आधार पर चुनौती देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि यह कला के तहत मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करता है। 19. हमारे निर्णय में, इस तर्क में एक गंभीर भ्रांति शामिल है। सभी

कार्यकारी कार्रवाई जो किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए काम करती है इसका समर्थन करने के लिए कानून का अधिकार और कला की शर्तें होनी चाहिए। 358 उस नियम से विचलित न हों। अनुच्छेद 358 स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है

राज्य विधायी या कार्यकारी कार्रवाई करेगा बशर्ते कि

कार्रवाई करना या करना राज्य के लिए सक्षम था, लेकिन

संविधान के भाग III में निहित प्रावधान। अनुच्छेद 358

राज्य को मनमाने अधिकार के साथ निवेश करने का इरादा नहीं रखता है

नागरिकों और अन्य लोगों के पूर्वाग्रह के खिलाफ कार्रवाई करनाः इसमें केवल यह प्रावधान है कि जब तक आपातकाल की घोषणा बनी रहती है, तब तक कानून बनाए जा सकते हैं और विधिसम्मत प्राधिकारी के

अनुसरण में कार्यकारी कार्रवाई की जा सकती है, जो यदि कला के प्रावधान हैं। 19 ऑपरेटिव होते तो अमान्य होते। हमारा संघीय ढांचा कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है: (1) भारत के आयोन के साथ लोगों की संप्रभुता v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

सीमित सरकारी प्राधिकरण, अर्थात सरकार का संचालन अधिकांश लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए।

जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करती है, जबकि कार्यकारी सरकार की आधिकारिक एजेंसियां

(2) राज्य के तीन अंगों-विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक-के बीच शक्तियों का वितरण होता है-प्रत्येक अंग के पास दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नियंत्रण होता है; और (3) कानून का शासन जिसमें मनमाने कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा शामिल है। जैसा कि डाइसी ने अपने "इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द

संविधान का कानून ", 10 वीं संस्करण। , पी पर। 202 "कानून का शासन" अभिव्यक्ति के तीन अर्थ हैं, या तीन से माना जा सकता है अलग-अलग दृष्टिकोण।

" इसका अर्थ है, पहली बात, मनमाना शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रबलता, और मनमानेपन के अस्तित्व को बाहर करता है,

विशेषाधिकार, या यहाँ तक कि सरकार की ओर से व्यापक विवेकाधीन प्राधिकरण।

पी. 188 डाइसी इंगित करता हैः

" लगभग हर महाद्वीपीय समुदाय में कार्यकारी अभ्यास

गिरफ्तारी के मामले में कहीं अधिक व्यापक विवेकाधीन प्राधिकरण,

अस्थायी कारावास, अपने क्षेत्र से निष्कासन, और जैसे ,
या तो कानूनी रूप से दावा किया जाता है या वास्तव में द्वारा लागू किया जाता है

इंग्लैंड में सरकारः और अब यूरोपीय राजनीति का अध्ययन

और फिर से अंग्रेजी पाठकों को याद दिलाता है कि जहाँ भी है

विवेक के लिए मनमानेपन के लिए जगह है और यह कि एक गणराज्य में

राजतंत्र के विवेकाधीन अधिकार के तहत कम नहीं

सरकार के हिस्से का मतलब कानूनी स्वतंत्रता के लिए असुरक्षा होना चाहिए

अपने विषयों की ओर से "।

हमने अपने संविधान के तहत महाद्वीपीय प्रणाली को नहीं बल्कि ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया है जिसके तहत कानून का शासन प्रचलित है। सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक अधिनियम को यदि किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए काम करना है, तो किसी विधायी प्राधिकरण द्वारा समर्थित होना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

7. इसलिए हमारा विचार है कि राज्य द्वारा दिया गया आदेश मध्य [2018] 7 एस. सी. आर. की धारा 3 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए।

1959 का प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 25 अमान्य था और अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद प्रतिवादी के पूर्वाग्रह के लिए किए गए कार्यों के लिए। 352 अनुच्छेद के तहत न्यायालय की प्रक्रिया से किसी भी प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है। 358 संविधान के अनुसार, क्योंकि आदेश किसी भी वैध कानून द्वारा समर्थित नहीं था।

83. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या शर्त लगाना लगाए गए प्रतिबंध के समान है।

संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के दायरे में। हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि ऐसी शर्त केवल एक सांविधिक कानून द्वारा लागू की जा सकती थी। हमारे विचार में

राय, यह चिकित्सा पेशे को जारी रखने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है,

विकास का फल। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मुश्किल से उन तक पहुँचते हैं, किए गए प्रयासों के बावजूद, आर्थिक असमानता बड़ी है और बनी हुई है। वे इस तरह के उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार रियायती दर पर सरकारी भूमि रखने और भारी अधिभोग का आनंद लेने के बदले में। उपरोक्त कारणों से मिलने वाले लाभों के साथ-साथ अस्पतालों को सरकारी आदेश के अनुसार मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

84. अस्पतालों में आजकल पाँच सितारा सुविधाएं हैं। व्यावसायिक लाभ के लिए पूरी अवधारणा को बदल दिया गया है। वे हैं।

असहनीय हो जाता है। शुल्क असाधारण रूप से अधिक हैं, और

प्रदान की गई सेवा के लिए अवास्तविक समय। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति दायित्व साझा करके ही ऐसे अस्पतालों के काले पक्ष को उजागर किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति के कारण गरीबों को उचित उपचार से वंचित करना लगभग अमानवीय होगा और जब अस्पताल दावा करते हैं कि वे अपने स्तर पर दान कर रहे हैं, तो हम आक्षेपित यूनियन ऑफ इंडिया v पाते हैं।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

2.2.2012 दिनांकित आदेश केवल उपरोक्त गतिविधि के लिए एक अभिव्यक्ति है जिसे एक चैनलाइज़्ड रूप दिया गया है।

85. हमारी यह सुविचारित राय है कि कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह नीति/नियम जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

प्राप्त होने पर, अस्पतालों को मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था क्योंकि उन्हें कोई लाभ अर्जित नहीं करने के लिए भूमि आवंटित की गई थी और सार्वजनिक भलाई के लिए विश्वास में रखा गया था। 1981 के नियमों में भी ऐसा ही प्रावधान है और इसके अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए विनियम भी चिकित्सा पेशे को ऐसी सहायता देने का आदेश देते हैं और अस्पतालों, न्यास और मिशनरियों के उद्देश्य को देखते हुए यह स्पष्ट है कि किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं थी और सरकार परिस्थितियों, संविदात्मक और वैधानिक दायित्व और सामान्य कानून के आधार पर लागू करने में सक्षम थी। 86. चिकित्सा पेशे को जारी रखने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, हालांकि, प्रतिवादी को क्या आदेश दिया गया था-अस्पतालों को

अन्यथा प्रदर्शन को एक ठोस आकार दिया गया था। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति के प्रयोग में परिपत्र जारी करने की अनुमति थी। अस्पतालों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि वे अपने दम पर एक धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे अनुच्छेद 19 (6) के तहत विचार किए गए अर्थ के भीतर एक प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए एक कानून की आवश्यकता थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत पहली बार कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि हमारी राय में कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसे दिशानिर्देश हो सकते हैं -

87. राय साहिब में राम जवाया कपूर और अन्य। वी. पंजाब राज्य (1955) 2 एस. सी. आर. 225 = ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549, इस न्यायालय ने कहा कि यह राज्य के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए खुला है, भले ही कोई आदेश न हो। इसके समर्थन में कानून बशर्ते कि राज्य उस विषय पर कानून बना सके जिसके संबंध में कार्रवाई की जाती है। वहाँ कार्यकारी हो सकता है

क्षेत्र में कानून के अभाव में आदेश। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 7. संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, जबकि किसी राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 162 में निहित है। इन अनुच्छेदों के प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 8 और 49 के समान हैं और संघ और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों के वितरण के नियम को उसी सादृश्य का पालन करते हुए निर्धारित करते हैं जो [2018] 7 एस. सी. आर.

उनके बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में। अनुच्छेद 162, जिसके साथ हम इस मामले में सीधे तौर पर संबंधित हैं, बताता हैः

" इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति हैः

बशर्ते कि किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा संघ या उसके प्राधिकरणों को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी और उसके द्वारा सीमित होगी।

इस प्रकार, इस अनुच्छेद के तहत, राज्य का कार्यकारी प्राधिकरण सातवीं की सूची II में उल्लिखित मामलों के संबंध में कार्यकारी है।

संघ का विस्तार इन मामलों पर भी होगा। इनमें से किसी भी अनुच्छेद में इस बारे में कोई परिभाषा नहीं है कि कार्यकारी कार्य क्या है और कौन सी गतिविधियाँ वैध रूप से इसके दायरे में आएंगी। वे मुख्य रूप से वितरण से संबंधित हैं

एक ओर संघ और दूसरी ओर राज्यों के बीच कार्यकारी शक्ति। उनका यह मतलब नहीं है, जैसा कि श्री पाठक सुझाव देते हैं, कि यह केवल तब होता है जब संसद या राज्य

विधायिका ने उनसे संबंधित कुछ मदों पर कानून बनाया है संबंधित सूचियाँ, जो संघ या राज्य कार्यपालिका, जैसा भी मामला हो, उनके संबंध में कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

दूसरी ओर, अनुच्छेद 162 की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राज्य कार्यपालिका की शक्तियां उन मामलों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम है और भारत का संविधान नहीं है।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

यह उन मामलों तक सीमित है जिन पर पहले ही कानून पारित किया जा चुका है। यही सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 73 में निहित है। ये

इसलिए संविधान के प्रावधान श्री पाठक के तर्क का कोई समर्थन नहीं करते हैं। XXX

XXX

XXX

12. कार्यकारी कार्य का अर्थ और तात्पर्य क्या है, इसकी एक विस्तृत परिभाषा तैयार करना संभव नहीं हो सकता है। आम तौर पर, कार्यकारी शक्ति उन सरकारी कार्यों के अवशेष को संदर्भित करती है जो विधायी और न्यायिक कार्यों को छीन लेने के बाद बचे रहते हैं।

भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, बल्कि इसके कार्यों को मान्यता दी है -

सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं में पर्याप्त अंतर किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान राज्य के एक अंग या भाग द्वारा उन कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता है जो अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित हैं। कार्यपालिका वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है -

विभागीय या अधीनस्थ विधान जब ऐसी शक्तियाँ विधायिका द्वारा उसे सौंप दी जाती हैं।

यह इतना सशक्त होने पर भी सीमित तरीके से न्यायिक कार्यों का प्रयोग कर सकता है। हालांकि, कार्यकारी सरकार कभी भी संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 154 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कार्यपालिका को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए पहले से ही एक कानून होना चाहिए और कार्यपालिका की शक्तियां केवल इन कानूनों को लागू करने तक सीमित हैं।

13. भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी सरकार किन सीमाओं के भीतर काम कर सकती है, इसका पता हमारे संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका के रूप के संदर्भ में बिना किसी कठिनाई के लगाया जा सकता है। हमारा संविधान, हालांकि अपनी संरचना में संघीय है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहां कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जाती है। सरकारी नीति का निर्माण और इसे कानून में परिवर्तित करना, हालांकि इस जिम्मेदारी के प्रयोग की पूर्व शर्त यह है कि यह राज्य की विधायी शाखा का विश्वास बनाए रख रहा है।

कार्यकारी कार्य में दोनों का निर्धारण शामिल है

नीति के साथ-साथ इसे निष्पादित करना। यह स्पष्ट रूप से शामिल है

कानून की शुरुआत, व्यवस्था का रखरखाव, पदोन्नति

सामाजिक और आर्थिक कल्याण, विदेश नीति की दिशा, में

तथ्य यह है कि सामान्य प्रशासन का संचालन या पर्यवेक्षण राज्य से।

XXX

XXX

XXX

17. वास्तव में विशिष्ट विधान की आवश्यकता हो सकती है यदि सरकार

उनके पास जो कुछ है, उसके अलावा कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है

विशेष व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए सामान्य कानून। इस प्रकार जब निजी अधिकारों का अतिक्रमण करना आवश्यक हो

सरकार को अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाने के लिए, एक विशिष्ट

इस तरह के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने वाला कानून पारित करना होगा।

18. वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि पूरा खर्च

मुद्रण और प्रकाशन के व्यवसाय को जारी रखने के लिए आवश्यक

पंजाब में मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों का अनुमान लगाया गया था

और वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाया गया है कि मांगें

अनुदान के लिए, जो विभिन्न शीर्षों के तहत किए गए थे

राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित और उचित विनियोग अधिनियम

व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से सरकार करती है किसी भी अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ भी आवश्यक है

उनका उद्देश्य, वे लेखकों के साथ अनुबंध करके कर सकते हैं

और अन्य लोग। अनुबंध की यह शक्ति स्पष्ट रूप से निहित है

संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत सरकार। इनमें

परिस्थितियों में, हम श्री पाठक से सहमत होने में असमर्थ हैं कि पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन का व्यवसाय जारी रखना।

बिना कार्यकारी सरकार की क्षमता से परे था

इस तरह के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने वाला एक विशिष्ट कानून।

88. यू. यूनिचोई और ओआरएस में। वी. केरल राज्य, ए. आई. आर 1962 एस. सी. 12,

केरल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया गया था

निर्धारित वेतन न्यूनतम मजदूरी से कुछ अधिक थे,

पर इस आधार पर सवाल किया गया था कि यह के अधिकारों को प्रभावित करता है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपनी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास करता है।

शीर्षक। प्रस्तुतियाँ पहले के बाद अस्वीकार कर दी गई थींबिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। अजमेर राज्य,

1955 एससी 33. इस न्यायालय ने कहा कि जब एक समिति जिसमें भारत बनाम भारत शामिल हो।

उद्योग के प्रस्तुतकर्ताओं और कर्मचारियों ने उन पर विचार किया और अपनी सिफारिशें कीं और जब उन्हें स्वीकार किया गयासरकार, आम तौर पर सिफारिशों की जांच करना संभव नहीं होगा। उल्लंघन पर प्रस्तुतिकरण

अनुच्छेद 19 (6) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (जी) को खारिज कर दिया गया था। यह न्यायालय

वेद इस प्रकार हैः

" 10. द एडवर्ड मिल्स कं. लिमिटेड के मामले में, ब्यावर बनाम. अजमेर राज्य, 1955-I एससीआर 735: ((एस) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 25) अधिनियम की धारा 27 की वैधता को अत्यधिक के आधार पर चुनौती दी गई थी

प्रतिनिधिमण्डल। यह आग्रह किया गया कि अधिनियम में कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है और ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है जो एक बुद्धिमान मार्गदर्शन प्रदान कर सके। धारा 27 के तहत कार्य करते हुए चयन करने में प्रशासनिक प्राधिकरण को और इसलिए मामला पूरी तरह से इसके विवेक पर छोड़ दिया गया था

उपयुक्त सरकार जो अनुसूची में संशोधन कर सकती है

किसी भी तरह से यह पसंद किया और इस तरह के प्रतिनिधिमंडल वस्तुतः एक

विधानमंडल द्वारा अपने आवश्यक विधायी कार्य का समर्पण। इस तर्क को मुखर्जी, जे. ने खारिज कर दिया था, जैसा कि वे उस समय थे, जिन्होंने अदालत की ओर से बात की थी। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि

विधानमंडल का निस्संदेह उन लोगों पर अधिनियम लागू करने का इरादा था जो

केवल ऐसे उद्योग जहाँ असंगठित श्रम के कारण या मजदूरी के प्रभावी विनियमन के लिए या अन्य के लिए उचित व्यवस्था की कमी हो

किन कारणों से किसी विशेष उद्योग में मजदूरों की मजदूरी बहुत अधिक थी

कम है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रम की स्थितियां अलग-अलग होती हैं।

विभिन्न परिस्थितियाँ और राज्य से राज्य और समीचीनता

किसी विशेष व्यापार या उद्योग को अनुसूची के भीतर शामिल करना।

यह विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है जो किसी भी तरह से समान नहीं हैं और जिनका सबसे अच्छा पता एक व्यक्ति द्वारा लगाया जा सकता है जिसे किसी विशेष राज्य के प्रशासन का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यही कारण है कि न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 27 को अधिनियमित करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि विधानमंडल ने किसी भी तरह से अपनी आवश्यक शक्तियों को छीन लिया था या प्रशासनिक प्राधिकरण को कुछ भी सौंपा था, लेकिन

सहायक या अधीनस्थ शक्ति जो आवश्यक समझी गई थी

अधिनियम के उद्देश्य और नीति का पालन करना।

11. उसी वर्ष बिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम में अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का एक और प्रयास किया गया था। अजमेर राज्य (1955)-1 एस. सी. आर. 752; (एस) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 33। इस बार अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएँ, अर्थात् एस. एस.। 3 , 4 और 5 पर हमला किया गया, और चुनौती इस आधार पर आधारित थी कि प्रतिबंध लगाए गए थे [2018] 7 एस. सी. आर.

कला के तहत गारंटीकृत अधिकार। 19 (1) ((छ) संविधान का। यह चुनौती को मुखर्जी, जे. द्वारा खारिज कर दिया गया था, जैसा कि वे तब थे, जिन्होंने फिर से अदालत की ओर से बात की। विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिबंध आम जनता के हित में और कला में सन्निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक का पालन करने की दृष्टि से लगाए गए थे। 43 और इसलिए विवादित अनुभागों को सी. एल. की शर्तों द्वारा संरक्षित किया गया था। (6) कला की। 19. नियोक्ताओं के बोझ को पूरा करने में असमर्थता के तर्क को दूर करने में

न्यूनतम मजदूरी दरें यह देखी गईं कि "नियोक्ताओं को शिकायत करते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वे अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए मजबूर हैं, भले ही मजदूर अपनी गरीबी और असहायता के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, और यदि व्यक्तिगत नियोक्ताओं को अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर व्यवसाय करना मुश्किल हो सकता है, जो कानून को ही अनुचित बताते हुए रद्द करने का कारण नहीं हो सकता है। नियोक्ताओं की असमर्थता कई मामलों में पूरी तरह से उन नियोक्ताओं की आर्थिक स्थितियों के कारण हो सकती है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इन दोनों निर्णयों ने अधिनियम की वैधता को दृढ़ता से स्थापित किया है, और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अधिनियम द्वारा विचार की गई न्यूनतम मजदूरी दरों को तय करने में कठिनाई होती है।

व्यक्तिगत नियोक्ताओं के कारण या बोझ को पूरा करने में उनकी असमर्थता की कोई प्रासंगिकता नहीं है। संयोग से, यह इंगित किया जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी दरों से निपटने के लिए निर्धारित किया जाना है

एक्ट मुखर्जी, जे. ने एक स्थान पर कहा है कि मजदूरों को पर्याप्त जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश जीवन निर्वाह मजदूरी का ठीक से उल्लेख नहीं कर रहे थे

तथाकथित लेकिन न्यूनतम मजदूरी जिसके साथ केवल अधिनियम का संबंध है। इन दोनों निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हमने श्री नांबियार को अधिनियम की वैधता के खिलाफ कोई तर्क उठाने की अनुमति नहीं दी है। यह सच है कि श्री नांबियार ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि जिस मामले पर वे भरोसा करना चाहते थे, उसके कुछ पहलुओं पर न्यायालय ने बिजय कॉटन मिल्स लिमिटेड के मामले (1955)-1 एस. सी. आर. 752; (एस) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 33 में विधिवत विचार नहीं किया था। हमारी राय में किसी ऐसे मुद्दे को फिर से खोलने का प्रयास करना व्यर्थ है जो इस न्यायालय के फैसलों से स्पष्ट रूप से समाप्त होता है। इसलिए, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमें करना चाहिए, इस आधार पर कि जिस अधिनियम के तहत समिति की नियुक्ति की गई थी और अंततः अधिसूचना जारी की गई थी, वह वैध है। भारत संघ v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

89. मिनर्वा टॉकीज, बैंगलोर और ओआरएस में। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 1988 पूरक। एस. सी. सी. 176 जिसमें कर्नाटक का नियम 41-ए

सिनेमा (विनियमन) नियम, 1971 पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन के रूप में सवाल उठाए गए। यह तर्क कि आय को इस तरह कम किया जाएगा, नियम निषेधात्मक नहीं था,

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन के निवेदन को खारिज कर दिया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 12. अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं का तर्क कि नियम 41-ए के तहत प्रतिबंध अनुचित है, इस आधार पर आधारित है कि नियम 41-ए प्रकृति में नियामक नहीं है, बल्कि यह एक शो के लिए सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और इसका प्रभाव अत्यधिक है क्योंकि यह अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं की आय को पांचवें हिस्से तक कम करता है। अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं को सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन का व्यवसाय जारी रखने का कोई अप्रतिबंधित मौलिक अधिकार नहीं है। उनका व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। ये प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य संबद्ध मामलों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। के रूप में

पहले से ही चर्चा किए गए नियम 41-ए ने संख्या पर सीमा निर्धारित की है

दिखाता है कि कौन सा लाइसेंसधारी एक दिन में रख सकता है। यह नियम सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह प्रावधान करके इसे नियंत्रित करता है कि एक दिन में पांच शो के बजाय केवल चार शो प्रदर्शित किए जाने चाहिए। नरेंदर कुमार बनाम। भारत संघ, (1960) 2 एस. सी. आर. 375, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जनहित में बनाया गया एक कानून

व्यवसाय वैध होगा क्योंकि 'निषेध' केवल एक प्रकार का 'प्रतिबंध' है। "प्रतिबंध" अभिव्यक्ति में "निषेध" भी शामिल है। नियम 41-ए, हालांकि, सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन के व्यवसाय को जारी रखने के लाइसेंसधारियों के अधिकार को नहीं छीनता है। यह केवल इसे नियंत्रित करता है। किसी भी नियम या कानून को केवल इसलिए अनुचित घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यवसाय के विनियमन के कारण किसी नागरिक की आय में कमी आई है। हमारी राय में, नियम 41 ए अनुच्छेद के तहत अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार की गारंटी पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाता है।

19 (1) (छ) संविधान का।

90. टी. वी. बालकृष्णन बनाम टी. एन. और अन्य का राज्य। , 1995 पूरक। 4

एस. सी. सी. 236, जिसमें तमिलनाडु लकड़ी पारगमन नियम, 1968 के नियम 1-ए (3) (बी), 2,3 (ii) और 7 (4) पर उल्लंघन के आधार पर सवाल उठाए गए थे।

अनुच्छेद 19 (1) (छ)। यह माना गया था कि यह प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि नियामक था, इसलिए यह अधिकार क्षेत्र के भीतर था। इस न्यायालय ने इस मामले पर इस प्रकार चर्चा की हैः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि विवादित नियम केवल विनियामक थे और किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते थे। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर तर्क को खारिज कर दिया:

तर्क:

" जब बनाए गए नियमों का उद्देश्य उस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना है जो वन उपज, उसके पारगमन और उस पर लगाए जाने वाले शुल्क से संबंधित कानून को समेकित करने के लिए था और इसलिए उन नियमों का उद्देश्य इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी बनाना था। पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने में सरकार के सामने आने वाले कठिन कार्य को देखते हुए, सीमित मानव शक्ति के साथ बड़े पैमाने पर, और वन सीमाओं पर चेक-पोस्ट पर जाँच अपर्याप्त पाई गई है।

अप्रभावी और जिस तेजी से उन्हें ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है, और मेट्टुपलायम, तांबरम और अन्य जगहों पर किए गए छापे का कोई मुकाबला नहीं है। अवैध लकड़ी के भंडार आरा-मिलों और डीलरों के पास पाए गए हैं, विवादित नियम, जो लकड़ी और हथौड़े की हर आवाजाही के दौरान एक फॉर्म II पास पर जोर देते हैं

तमिलनाडु राज्य में वन संपदा के संरक्षण और प्रबंधन के लिए परिवहन लकड़ी पर लगाए जाने वाले निशान बिल्कुल आवश्यक हैं। इसलिए, विवादित नियम नहीं हैं

यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है।

5. यह पता चलने के बाद कि नियम नियामक थे और निषेधात्मक नहीं थे,

उच्च न्यायालय ने भी इस आधार पर तर्क को खारिज कर दिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 301-304। जहाँ तक

शुल्क में वृद्धि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने योजना और नियमों के संचालन की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य सरकार प्रत्येक चेक-पॉइंट पर लकड़ी के व्यापारियों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान कर रही है और इस सिद्धांत के अनुसार

क्विड प्रो क्वो संतुष्ट था "।

91. ओरिसा राज्य और अन्न बनाम राधेश्याम मेहर और

ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 855 = 1995 (1) एस. सी. सी. 652 प्रश्न जो उत्पन्न हुआ

इस पर विचार नियम या विनियमों में राज्य सरकार की उस शक्ति के बारे में था जिसमें अस्पताल में दिन-रात मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति दी गई थी। अस्पताल के पास सड़क के पार रखवालों से पहले आपत्ति जताई गई थी कि हम में दुकान खोलने से उनके हित खतरे में पड़ जाएंगे और वे भारत बनाम आई. ओ. एन. को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

स्वयं को। इस न्यायालय ने कहा कि दिन शुरू करने का इरादा और

परिसर के भीतर स्टोर का रोगियों के साथ सार्वजनिक हित के साथ सीधा संबंध है और नियमों और विनियमों के अभाव में सरकार का नीतिगत निर्णय लागू नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे समक्ष जोरदार आग्रह किया कि अस्पताल परिसर के अंदर एक मेडिकल स्टोर रखने के लिए दुकान को निपटाने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला उक्त विज्ञापन सरकारी नीति के अनुसरण में जारी किया गया था और एकमात्र उद्देश्य रोगियों को विषम समय पर भी दवाएं उपलब्ध कराना है और इसलिए, उच्च न्यायालय को जनहित में लिए गए सरकार के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हम काफी ताकत पाते हैं और बहुत कुछ

इन प्रस्तुतियों में पदार्थ।

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में सवाल यह उठता है कि क्या इसके विपरीत किसी नियम या विनियमन के अभाव में, क्या कुछ व्यापारियों के व्यक्तिगत हित के आधार पर राज्य की शक्ति को कम किया जा सकता है, यहां तक कि बड़ी सार्वजनिक वस्तुओं को आगे बढ़ाने की राज्य की क्षमता को भी सीमित किया जा सकता है। इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि रोगियों को दवाओं की उपलब्धता पर विचार करना किसी व्यक्ति के आय अर्जित करने और मेडिकल स्टोर चलाकर अपने निर्वाह के लिए लाभ कमाने के अधिकार की तुलना में सबसे अधिक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मेडिकल स्टोर मुख्य रूप से रोगियों के लिए होते हैं न कि रोगियों के लिए।

दुकानें या वे जो वही चलाते हैं। प्रस्तुतिकरण

उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि अस्पताल के परिसर के भीतर एक मेडिकल स्टोर खोला जाता है, तो यह उनके हित को खतरे में डाल देगा, जिससे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे, यह अपीलकर्ताओं को अस्पताल परिसर के भीतर एक दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है। निस्संदेह, अस्पताल परिसर के भीतर एक मेडिकल स्टोर खोलने से उन रोगियों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी, जिनके पास दवा खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए आपात स्थिति की स्थिति में विषम समय पर सहायता के लिए अस्पताल में अपना कोई परिचारक नहीं हो सकता है। ऐसे रोगी हो सकते हैं जिनके पास एक परिचारक हो जो रात के समय दवा खरीदने के लिए परिसर से बाहर जाना सुविधाजनक या सुरक्षित नहीं समझते हों। इन तथ्यों और परिस्थितियों में, रोगियों की सुविधा और [2018] 7 एस. सी. आर. पर सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए।

अस्पताल परिसर के बाहर अपनी दुकानें रखने वाले मेडिकल स्टोर कीपरों को होने वाली कठिनाइयों के बजाय उनके हितों का संरक्षण। इस प्रकार अपीलार्थियों का अस्पताल परिसर के भीतर एक मेडिकल स्टोर खोलने का इरादा अस्पताल में भर्ती रोगियों की कठिनाइयों को दूर करना है और इसका उद्देश्य है

अपीलार्थियों का सार्वजनिक हित विशेष रूप से रोगियों के साथ सीधा संबंध है और इसलिए, उच्च न्यायालय को अस्पताल परिसर में एक मेडिकल स्टोर के स्वामित्व को निपटाने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हालाँकि, यदि उत्तरदाता ऐसा चुनते हैं, तो वे अपने मेडिकल स्टोर भी दिन-रात खुले रख सकते हैं। नतीजतन, विवादित आदेश हो सकता है

कायम न रहें। "

92. डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम भारत संघ 1996 (10) एस. सी. सी. 104, जूट पैकेजिंग सामग्री (बोरे) के साथ निर्दिष्ट वस्तुओं की अनिवार्य पैकिंग को संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 301 का उल्लंघन नहीं माना गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से कृषकों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इस न्यायालय ने कहा कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों को सार्थक बनाने और जीवन जीने लायक बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करके स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत करने में अनुच्छेद 14 की भूमिका को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा में अनुच्छेद 38 की भूमिका पर भी विचार करना चाहिए और आर्थिक कानून के मामले में संवैधानिकता की धारणा कानून के पक्ष में उत्पन्न होती है। इसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विधान पर प्रयोग करने का अधिकार है। न्यायालय को आर्थिक विधान से उत्पन्न क्रूरताओं और असमानताओं पर निर्णय नहीं देना चाहिए। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संबंध में, मानवाधिकारों, लोकतंत्र, विकास की सार्वभौमिक घोषणा में,

और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

मानव व्यक्ति में निहित गरिमा और मूल्य। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को दोहराया गया है। लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान परस्पर निर्भर हैं और इनका आपसी सुदृढीकरण है। का अनुच्छेद 29 (2) मानवाधिकार घोषणा में कहा गया है किः

" ..... इस अधिकार और स्वतंत्रता के प्रयोग में, हर कोई

केवल ऐसी सीमाओं के अधीन रहें जो भारत के कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

केवल उचित मान्यता और सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से

दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए और न्याय का नेतृत्व करने के लिए

नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की आवश्यकताएँ

लोकतांत्रिक समाज "।

संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत समानता और कानून के समान संरक्षण की अवधारणा

राजनीतिक लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल है। इसकी प्रजाति के रूप में स्थिति में असमानताओं को खत्म करने और प्रदान करने के लिए

आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति और लोगों के समूहों के बीच सुविधाएं और अवसर जो आधार है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थिरता के लिए "।

XXX

XXX

XXX

18. संविधान का अनुच्छेद 14 एक चमकता सितारा है

आय, स्थिति और अवसर में असमानताओं को समाप्त करना और प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सार्थक बनाने के लिए सुविधाओं और अवसरों को प्रदान करना, व्यक्ति और भाईचारे की गरिमा के साथ, ऐसा न हो कि वे खाली पात्र बने रहें और बहुमत के लिए भ्रम पैदा करें। जनसंख्या।

XXX

XXX

XXX

21. संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को आदेश देता है कि वह उस सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करने वाले राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के व्यक्तियों और समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं, अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, कृषि ग्रामीण आर्थिक और देश के सशक्तिकरण का मुख्य आधार है। कृषक। इसलिए कृषि एक उद्योग है। मिट्टी जोतने वाले की आजीविका कृषि उपज के उत्पादन और वापसी और निरंतर कृषि-आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। पूरे भारत में जलवायु की स्थिति समान नहीं है।

उष्णकटिबंधीय से मध्यम स्थितियों तक। टिलर असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, उनकी आवाज शायद ही सुनी जाती है और इन मामलों में दूर से भी आवाज नहीं उठाई जाती है। उनका मौलिक अधिकार

खेती आजीविका के अधिकार का एक हिस्सा है। यह संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 38 में परिकल्पित आर्थिक और सामाजिक न्याय का एक गढ़ है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक नागरिक को आश्वासन दिए गए अधिकार, स्वतंत्रता और विशेषाधिकार कर्तव्य, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की संबंधित अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए, जूरल

अभिधारणा एक न्यायपूर्ण समाज के कार्यकरण की नींव बनाती है। इसलिए, भाग III में सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधों के अधीन बनाया गया है, अर्थात, भाग IV के निर्देशों में सार्वजनिक उद्देश्य, जनहित या आम जनता के हित में सार्वजनिक व्यवस्था। निर्देशों में मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक उद्देश्य को जीवंत करने में, संसद यह तय करने के लिए सबसे अच्छी न्यायाधीश है कि समुदाय के लिए क्या अच्छा है, जिसके मताधिकार से यह अस्तित्व में आता है और बहुसंख्यक राजनीतिक दल देश का शासन ग्रहण करता है। निर्देशक सिद्धांत उनके घोषणापत्रों में मूल तत्व हैं। किसी भी तरह की लापरवाही असंवैधानिक है। संविधान कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका को किसी विवाद में शामिल प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी दावों को संतुलित करने का आदेश देता है ताकि एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धी दावों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यह एक स्थापित कानून है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत रथ के दो पहिये हैं; दोनों में से कोई भी दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक को स्नैप करें, दूसरा अपनी प्रभावशीलता खो देगा। एक साथ, वे विवेक का गठन करते हैं

कानून के शासन के तहत सामाजिक क्रांति लाने के लिए संविधान। इसलिए मौलिक अधिकार और निर्देश हैं -

कानून की सूखी हड्डियों को मांस और रक्त प्रदान करने के लिए कानून को एक सामाजिक अभियंता बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की गई। निर्देश न्यायालय को व्याख्या के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेंगे। मौलिक अधिकार अंत तक सही साधन हैं। , निर्देश और प्रस्तावना में प्रदत्त सामाजिक और आर्थिक न्याय। मौलिक अधिकार और निर्देश समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की त्रिमूर्ति को एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था में स्थापित करते हैं और शोषण को रोकते हैं।

22. इसलिए सामाजिक न्याय प्रगतिशील स्थिरता का आधार बनता है। समाज और मानव प्रगति में। आर्थिक न्याय का अर्थ है ऐसी आर्थिक स्थितियों को समाप्त करना जो भारत की असमानता को दूर करती हैं।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

मनुष्य और मनुष्य के बीच आर्थिक मूल्य, कुछ लोगों के हाथों में धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और विशाल के लिए हानिकारक हैं। इसलिए कानून को शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक-आर्थिक समायोजन के एक लचीले साधन के रूप में काम करना चाहिए।

कानून के शासन के तहत सामाजिक-आर्थिक क्रांति। संविधान, मौलिक सर्वोच्च लेख, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संप्रभु शक्ति का वितरण करता है। तीन साधन, अपने खेल के भीतर प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और निर्देशों में निर्मित संवैधानिक बुनियादी संरचना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अर्थात् एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना जिसमें प्रत्येक नागरिक को अवसर और स्थिति, सामाजिक और आर्थिक न्याय की समानता प्राप्त होती है। इसलिए, न्यायालय को एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने और प्रगति करने के लिए सामंजस्यपूर्ण व्याख्या देने का प्रयास करना चाहिए।

93. इस न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक न्याय से ऊपर का अर्थ ऐसी आर्थिक स्थितियों का उन्मूलन है जो दोनों देशों के बीच असमानता को दूर करती हैं। आदमी और आदमी। हमारी राय में, उस समानता के लिए सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

94. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य में। वी. पंजाब ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और अन्य। (1999) 6 एससीसी 247

पंजाब राज्य सरकार की नीति की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी जिसके तहत खरीद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि सरकारी अस्पतालों में कुछ दवाओं का उपयोग किया जाता है और

सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं से औषधालय खरीदे जाने थे जिन्हें उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति देते हुए रद्द कर दिया था। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसी तरह की एक रिट याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों मामलों का फैसला इस अदालत ने किया था। इस न्यायालय ने राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम के निर्णय पर भरोसा किया। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549 (ऊपर उद्धृत) और कहा कि इस तरह के प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की शक्तियों का प्रयोग करके नीति तैयार करके लगाए जा सकते हैं।

संविधान। इसलिए, अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 19 (6) के तहत एकाधिकार के निर्माण और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अपीलार्थियों के तर्क को खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 16. ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि एक निर्णय जो किसी कंपनी की बिक्री की संभावनाओं को आंशिक रूप से प्रभावित करेगा, उसे एकाधिकार के निर्माण के बराबर नहीं माना जा सकता है। राम में

जवाया कपूर ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549 और नारायणदास का [2018] 7 एस. सी. आर.

कॉर्प. लिमिटेड वी. सरकार. केरल (1986) 3 एस. सी. सी. 398 ने अभिनिर्धारित किया है कि सहकारी संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई वरीयता को जनहित में होने के कारण मनमाना नहीं माना जाएगा ताकि अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के विवाद को जन्म दिया जा सके। संविधान से।

XXX

XXX

XXX

19. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि विवादित नीति से किसी एकाधिकार का निर्माण नहीं हुआ था और न ही संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) या 19 (6) का कोई उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि इन अपीलों को विफल हो जाते हैं और उसी के अनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

सी. ए. नं. 3723 और 1988 का 3744:

20. इन अपीलों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1987 के सिविल डब्ल्यू. पी. संख्या 6144 में दिए गए दिनांक 3-6-1988 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय को प्रसन्न किया गया था। इन दीवानी अपीलों में प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने के लिए, पंजाब राज्य के नीतिगत निर्णय को रद्द करते हुए, जिसके तहत राज्य ने अपने संबंधित अधिकारियों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कुछ दवाएं खरीदने का निर्देश दिया था। आज हमारे पास सी. ए. संख्या है। 4550- 51 1989 के निर्णय में कहा गया कि राजस्थान राज्य द्वारा जारी इसी तरह का नीतिगत निर्णय एकाधिकार के निर्माण के बराबर नहीं है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 (1) (जी) का कोई उल्लंघन है। भारत संघ के रिट को जन्म देने वाले तथ्य v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ जिनसे

उपरोक्त दीवानी अपीलें समान होने के कारण उत्पन्न हुई हैं, हम अनुमति देते हैं इन दीवानी अपीलों और के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दिनांक 3-6-1988 सिविल में बनाया गया 1987 का डब्ल्यू. पी. सं. 6144। नतीजतन, उक्त रिट याचिका कायम है।

बर्खास्त कर दिया। कोई लागत नहीं। "

(जोर दिया गया)

95. हमारी सुविचारित राय में मुफ्त उपचार के लिए ऐसी शर्त

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत निहित अधिकार पर अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध नहीं है और अन्यथा भी इसे लागू करना आवश्यक नहीं था।

नैतिक मानकों और लागू अन्य वैधानिक प्रावधानों के रूप में नीति/नियमों/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मौजूदा दायित्व को देखते हुए सरकार द्वारा एक वैधानिक प्रावधान।

प्रश्न संख्या 4 के संदर्भ में-सामाजिक न्यायविदों में निर्णय

वी. सरकार. एनसीटी का

96. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक न्यायविदों में दिए गए निर्णय में,

ए लॉयर ग्रुप v. एन. सी. टी. दिल्ली सरकार, (ऊपर), उत्तरदाताओं के रूप में 20 अस्पताल थे। इन 20 अस्पतालों में से 18 अस्पतालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा भूमि आवंटित की गई थी और वीरावली और विमहंस अस्पतालों के मामले में भूमि भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) द्वारा आवंटित की गई थी। एल एंड डीओ के प्रमुख ने आवंटित किया

हालांकि, शेष दो अस्पतालों, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर और धरम शिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिन्हें डीडीए द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, के अनुसार समाज के गरीब वर्गों को मुफ्त रोगी देखभाल और उपचार प्रदान करने की कोई शर्त नहीं थी। हालांकि आवंटन पत्र में उक्त शर्त को विशेष रूप से शामिल किया गया था। पट्टे के नियम और शर्तें विलेख में निश्चित रूप से मुफ्त उपचार की शर्त नहीं थी, हालांकि, आवंटन पत्र की शर्तों को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 47 और 48 में इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 47. इन दोनों अस्पतालों को आवंटन का पहला पत्र जारी किया गया इसमें गरीब वर्गों के लिए मुफ्त उपचार की अवधि शामिल थी। द.

पत्र की प्रासंगिक शर्तों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बिना किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन के लिए, अस्पतालों ने [2018] 7 एस. सी. आर. को आगे बढ़ाया था।

आबंटन पत्र ने इस शर्त सहित पत्र के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और (क) आबंटन पत्र के संदर्भ में मांगे गए धन का भुगतान किया और (ख) उसे अपने कब्जे में ले लिया।

बिना किसी विरोध या आरक्षण के।

48. दूसरे शब्दों में, एक पक्ष के अधिकार को आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जाना था और इसलिए, पक्षों के बीच एक पूर्ण अनुबंध मौजूद था। आबंटन पत्र के नियमों और शर्तों ने अधिकारियों को ऐसी अन्य शर्तों को जोड़ने या लागू करने का अधिकार दिया, जिनका लाभ उठाने के लिए आबंटित व्यक्ति सहमत होने के लिए बाध्य था। नियम और शर्तें पट्टा विलेख में निश्चित रूप से समाज के गरीब वर्गों के लिए मुफ्त उपचार की शर्त शामिल नहीं है, लेकिन यह स्वयं आवंटन पत्र का हिस्सा था और वे आवंटन उत्परिवर्तन पर लागू होंगे, विशेष रूप से जब उनके बीच कोई संघर्ष नहीं होता है और वे विधिवत एक दूसरे के पूरक होते हैं।

97. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नज़ुल भूमि का निपटान) नियमों के नियम 5 और 21 का भी उल्लेख किया।

1981. नियम 5 कुछ सार्वजनिक संस्थानों को नज़ुल भूमि के आवंटन के लिए प्रीमियम के नियमों से संबंधित है, जबकि नियम 20 कुछ सार्वजनिक संस्थानों को आवंटन से संबंधित है। नियम 5 में प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, अन्य सामाजिक धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक, राजनीतिक, अर्ध-राजनीतिक संगठनों और स्थानीय निकायों को इन नियमों के लागू होने से तुरंत पहले या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर प्रीमियम और भूमि किराए पर लाभकारी, अर्ध-लाभकारी या गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए नज़ुल भूमि का आवंटन कर सकता है। नियम 20 (ए) (आई) में प्रावधान है कि नियम 5 में निर्दिष्ट सार्वजनिक संस्थान को नाजुल भूमि का कोई आवंटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सार्वजनिक संस्थान के उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुसार, यह सीधे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की आबादी के हितों की सेवा नहीं करता है। नियम 20 (सी) में प्रावधान है कि सार्वजनिक संस्थान गैर-लाभकारी चरित्र का होना चाहिए। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत ऐसी कोई शर्त नहीं है। गरीबों के लिए निःशुल्क रोगी उपचार की शर्त

दिल्ली विकास प्राधिकरण का संदर्भ (विकसित नज़ुल का निपटान)

भूमि) नियम, 1981 की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई थी, प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 56. इस प्रकार गरीबों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त रोगी उपचार की शर्त एक ऐसी शर्त है जो सरकार की नीति को आगे बढ़ाने के लिए लगाई गई है जो बदले में भारत के आई. ओ. एन. v. के सख्त अनुरूप है।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

नियमों के नियम 5 और 20 में निहित भावना और

संवैधानिक आदेश। डी. डी. ए. ने विशेष रूप से इस शर्त को उस समय/उसके बाद शामिल किया था जब बड़े प्रतिनिधित्व होते थे। और अस्पतालों द्वारा की गई बातचीत और ऐसी शर्तों का पालन करने के उनके वचन को बार-बार स्वीकार किया गया कि उन्होंने इन शर्तों वाले आवंटन पत्र जारी किए। मामले और कानून के तथ्यों पर, वे खुद को पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते हैं

'निःशुल्क रोगी उपचार' की शर्त को संतुष्ट करना।

57. आबंटन पत्र, इस प्रकार, पक्षों और पट्टा विलेख के बीच एक संपन्न अनुबंध है, आबंटन पत्र की भाषा के अनुसार, उस पत्र की शर्तों में से एक के अनुपालन में और नाज़ुल भूमि नियमों के तहत विचार के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

58. अस्पताल पूर्ववर्ती और बाद के दस्तावेजों को छोड़कर पट्टे के दस्तावेज़ को नहीं उठा सकते हैं जो इस संबंध में पक्षों के बीच अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों को पूरा करते हैं।

आवंटन। भारत संघ के मामले में और v. जैन सभा, नई दिल्ली (ऊपर), उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बार स्वीकार किए जाने के बाद आवंटन पत्र/संशोधित प्रस्ताव द्वारा बढ़ाया गया प्रस्ताव पक्षों को बाध्य करेगा और कार्रवाई पर पुनर्विचार के लिए,

आबंटित व्यक्ति केवल अधिकारियों से अनुरोध कर सकता था कि

सहानुभूतिपूर्ण विचार और की शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकते आवंटन। न्यायालय ने विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणी कीः

..... व्यावहारिक रूप से लोगों की भूमि का आवंटन

सार्वजनिक हित अर्थात शिक्षा के प्रसार या अन्य धर्मार्थ उद्देश्यों की सेवा के लिए कोई कीमत नहीं है। इसका उद्देश्य आबंटियों को सार्वजनिक संपत्ति की सहायता से धन कमाने या लाभ कमाने में सक्षम बनाना नहीं है।

98. उच्च न्यायालय ने कहा कि यह अस्पतालों के लिए खुला नहीं है

उनके संविदात्मक, वैधानिक और सार्वजनिक कानून दायित्व। पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को पढ़ने और सीमित करने की गुंजाइश थी

लेशन।

99. न्यायमूर्ति कुरैशी निट्टी की रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था, जो प्रासंगिक हैं जो यहां निकाले गए हैंः

" 66. दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस उद्देश्य के लिए न्यायमूर्ति कुरैशी समिति के रूप में एक विशेष समिति का गठन किया था।

समिति ने इस स्थिति की क्षमता सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सिफारिश की थी कि 10 प्रतिशत आई. पी. डी. और 5 प्रतिशत ओ. पी. डी. रोगियों का हर मामले में मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए।

सीएच अस्पताल। गरीब वर्ग के ऐसे रोगियों को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रासंगिक

समिति की रिपोर्ट की कला इस प्रकार हैः

सरकार ने। XXX

XXX

XXX

3. मुफ्त उपचार पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए और आंशिक रूप से मुफ्त नहीं होना चाहिए और सभी अस्पतालों के लिए समान होना चाहिए जिन्हें आवंटित किया गया है।

सरकार द्वारा भूमि। 4. यह भी सुझाव दिया जाता है कि उन सभी संस्थानों को 10 प्रतिशत तक मुफ्त सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, जिन्हें सरकारी भूमि आवंटित नहीं की गई है। यहां तक कि नर्सिंग होम को भी उपलब्ध कराना चाहिए

5 % गरीब और जरूरतमंद रोगियों के लिए उनके बिस्तर।

5. संस्थानों द्वारा व्यक्त और निहित शर्तों के लगातार उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए, भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिए और भूमि किराए की वाणिज्यिक दरों पर तीस वर्षों के लिए नए और समान नियमों और शर्तों पर एक नए पट्टा विलेख द्वारा एक नए प्रबंधन को फिर से आवंटित किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार के पास उपराज्यपाल द्वारा नामित कम से कम 3 उम्मीदवार होने चाहिए जिन्हें मुफ्त सेवा प्रदान करने का व्यापक अनुभव हो। नवीनीकृत पट्टे में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि पट्टा हस्तांतरणीय नहीं है और किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप

स्वचालित रद्दीकरण "।

00. एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने स्वीकार कियान्यायमूर्ति कुरैशी समिति का उचित और भारत संघ के रूप में अंत v.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

निर्णय लिया कि इसे लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि, भारत संघ ने कहा कि यह मामला उसके विचाराधीन है और उन्होंने इस मामले में अंतिम विचार नहीं लिया है। प्रासंगिक समय पर, मनिंदर आचार्य समिति द्वारा इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था कि समाज के गरीब वर्ग के साथ मुफ्त व्यवहार की शर्त उचित होनी चाहिए, लेकिन इसके कार्यान्वयन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और चूक की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सामाजिक न्यायविदों (ऊपर) में उच्च न्यायालय ने दिल्ली में भूमि और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के आवंटन के संबंध में आगे कहा हैः

" 95. बिना किसी दायित्व के कोई अधिकार मौजूद नहीं है और किसी भी दायित्व को इसके साथ टैग किए गए कर्तव्य से अलग नहीं किया जा सकता है। अधिकार का संबंध किसी कर्तव्य से होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पठित अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्याएं न केवल राज्य के लिए हैं, बल्कि वे उन सभी के लिए समान रूप से सही हैं जो महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सहायता या आवंटन के कारण लाभप्रद स्थिति में हैं। दिल्ली जैसे शहर में ऐसी परिसंपत्तियों को इकट्ठा करना असंभव होगा जहां जमीन फुट में उपलब्ध नहीं है, एकड़ में बहुत कम है, जिसे राज्य ने अपनी परियोजनाओं की कीमत पर इन अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि प्रदान की थी। समानता, निष्पक्षता और समानता का सिद्धांत इन अस्पतालों को गरीब वर्ग के लिए मुफ्त रोगी उपचार के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगा

दिल्ली से "।

101. सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) में उपरोक्त निर्णय पर इस न्यायालय के समक्ष धर्मशिला अस्पताल और अनुसंधान केंद्र आदि द्वारा दायर कई विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से सवाल उठाया गया था और सुंदर लाल जैन चैरिटेबल अस्पताल ने भी 2008 के एसएलपी (सी) No.5630 को प्राथमिकता देकर उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी थी। उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं को दिनांक 01.09.2011 के तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। पूरा क्रम यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं।

25 % ओ. पी. डी. और 10 प्रतिशत आई. पी. डी. रोगियों का निःशुल्क उपचार करना पड़ता है। उक्त रोगियों से कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन यह संबंधित अस्पताल के उपचार/दवाओं की लागत को पूरा करने के लिए अपनी व्यवस्था करने के रास्ते में नहीं आएगा, या तो अपने धन या संसाधनों से या प्रायोजन या दान या दान के माध्यम से लागत को पूरा करके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

102. इसके बाद, भारत सरकार ने 2.2.2012 पर जारी किया

दिल्ली के गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त रोगी उपचार की नीति के संबंध में आदेश दिया गया है जिसका पालन निजी अस्पतालों द्वारा रियायती दरों पर भूमि और विकास कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सहायता आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. एल एंड डीओ/एल-II-बी-18 (107)/2012/42-47

तिथि

2/2/2012

आदेश दें

सबः निर्धन/निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रोगी उपचार की नीति

भूमि और विकास कार्यालय द्वारा रियायती दरों पर - के बारे में।

सरकार. भारत सरकार ने पंजीकृत समितियों को भूमि आवंटित की थी और अस्पतालों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर न्यास। के रूप में

1943 में लागू भूमि आवंटन के लिए सरकार की नीति के अनुसार,

एक धर्मार्थ संस्थान को इस दर पर प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक था

लगभग Rs.25,000/- से Rs.35,000/- प्रति एकड़। 1949 में, नीति

समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि ये प्रचलित भूमि दरें थीं ऊपर की ओर। तब यह निर्णय लिया गया कि भूमि आवंटित की जानी चाहिए।

स्कूल खोलने के लिए धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को और अस्पताल 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के नाममात्र के प्रीमियम पर

- जिस क्षेत्र में भूमि स्थित है, उसके आधार पर प्रति एकड़ प्रीमियम के 5 प्रतिशत के वार्षिक भूमि किराए के अधीन। क्रम में

रियायती दर का लाभ उठाने के लिए संस्थान गैर-लाभकारी होना चाहिए।

जनता के कल्याण के लिए बनाना और कार्य करना।

2. इसके बाद, भूमि का आवंटन भूमि द्वारा किया गया और विकास कार्यालय 2,000/- रुपये से 5,000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से

5 अस्पतालों के लिए एकड़, अर्थात् (1) सर गंगा राम अस्पताल, (2) मूल चांद खैराती राम अस्पताल, (3) सेंट स्टीफन अस्पताल, (4)

वीरनवाली इंटरनेशनल हॉस्पिटल (दिल्ली हॉस्पिटल सोसाइटी) /

प्राइमस ऑर्थो और (5) आर. बी. सेठ जस्सा राम अस्पताल (प्रारंभिक)

डी. डी. ए. द्वारा भूमि का आवंटन किया गया था और उसके बाद एक अतिरिक्त

भूमि की पट्टी 773 वर्ग कि. मी. yds। भारत के आई. ओ. एन. बनाम के दौरान एल. एंड डी. ओ.) द्वारा आवंटित किया गया था।

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

1951 से 1976 की अवधि में उक्त नीति के अनुसार और 1981 में प्रचलित रियायती दर के अनुसार विमहान्स नामक एक अस्पताल को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की दर से यह ध्यान में रखते हुए कि ये अस्पताल वास्तव में धर्मार्थ प्रकृति के हैं और गरीब रोगियों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करेंगे और जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इन 6 अस्पतालों में से दो अस्पतालों, वीरनवाली इंटरनेशनल हॉस्पिटल (दिल्ली हॉस्पिटल सोसाइटी)/प्राइमस ऑर्थो और विमहान्स के पट्टा विलेख को मुफ्त में दिया गया था।

कुल बिस्तरों के 70 प्रतिशत तक उपचार की स्थिति, जबकि शेष चार अस्पतालों के संबंध में, मुफ्त उपचार की शर्तें प्रदान नहीं की गई हैं।

3. सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने निजी अस्पतालों में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के रोगियों के लिए मुफ्त उपचार सुविधाओं के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) No.2866/2002 में सामाजिक न्यायविद बनाम जी. एन. सी. टी. दिल्ली के मामले में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

आई. ओ. पी. डी. के लिए 25 प्रतिशत रोगियों और आई. पी. डी. में 10 प्रतिशत बिस्तरों पर निःशुल्क उपचार की शर्तें होंगी। रोगियों का प्रतिशत अस्पताल में प्रवेश, बिस्तर, दवा, उपचार, शल्य चिकित्सा सुविधा, नर्सिंग सुविधा, उपभोग्य और गैर-उपभोग्य वस्तुओं आदि के लिए किसी भी खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी पैसा वसूलने वाला अस्पताल कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

और इसे न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। न्यास का निदेशक/एम. एस./सदस्य या अस्पताल चलाने वाली समिति उल्लंघन/उल्लंघन/चूक की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी।

ii. अस्पताल उन अभिलेखों को बनाए रखेगा जो रोगी का नाम, पिता/पति का नाम, निवास, बीमारी से पीड़ित का नाम, खर्च का विवरण दर्शाते हैं।

उपचार पर खर्च, प्रदान की गई सुविधाएँ, रोगी की गरीब के रूप में पहचान और अस्पताल द्वारा किया गया सत्यापन।

iii. अस्पताल सरकारी अस्पताल से संदर्भ का विवरण और निजी अस्पताल द्वारा सरकारी अस्पताल को [2018] 7 एस. सी. आर. के रूप में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट भी बनाए रखेगा।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

रोगी को प्रदान किए गए उपचार की प्रतिक्रिया। इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित दल के सत्यापन और तिमाही विवरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी. एच. एस.), सरकार को भेजना होगा। भूमि और विकास कार्यालय के कार्यालय को सूचना के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जी. एन. सी. टी. डी.)।

विवरण सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति को भी उपलब्ध कराना होगा। दिल्ली के एन. सी. टी.

आवश्यकता पड़ने पर भी।

प्रत्येक निजी अस्पताल को चौबीसों घंटे काम करने वाला एक रेफरल केंद्र/डेस्क स्थापित करना होगा, जहां रोगियों को सरकार से भेजा जाता है। अस्पताल रिपोर्ट करने में सक्षम होगा। रेफरल डेस्क का प्रबंधन एक नोडल जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम, टेलीफोन, ई-मेल पता और फैक्स नंबर है

सरकार को भेजा जाए। अस्पताल, डी. एच. एस. और प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। अस्पताल अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और मुफ्त बिस्तरों की उपलब्धता की दैनिक स्थिति को भी प्रदर्शित करेगा ताकि सीधे अस्पताल आने वाले रोगियों को पहले से ही स्थिति का पता चल सके।

. नोडल व्यक्ति में किसी भी बदलाव के मामले में, 24 घंटे के भीतर सरकार को भी सूचित किया जाना चाहिए। अस्पताल और डी. एच. एस., जिनकी सूची जल्द ही प्रदान की जाएगी।आई. इस पत्र के जारी होने के दो सप्ताह के भीतर रेफरल डेस्क की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए और

अस्पताल के निदेशक/प्रभारी चूक की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

ii. अस्पताल मुफ्त बिस्तरों की उपलब्धता की दैनिक जानकारी डी. एच. एस., जी. एन. सी. टी. डी. को दिन में दो बार सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक भेजेगा। अस्पताल जिससे निजी अस्पताल को सामान्य और विशेष उद्देश्यों के लिए जोड़ने का प्रस्ताव है। भौगोलिक संपर्क का विवरण, टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर और सरकार के नोडल अधिकारी का नाम। जल्द ही अस्पतालों को सूचित किया जाएगा। यदि निजी अस्पतालों से निर्धारित समय के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि भारत सरकार बनाम.

मूलकंद खैराती राम ट्रस्ट [अरुण मिश्रा, जे।]

निजी अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध हैं और रोगी को भेजा जाता है।

समायोजित किया जाएगा।

सरकार द्वारा संदर्भित रोगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा या सीधे निजी अस्पताल को सूचित किया जाएगा और उनका पूरी तरह से मुफ्त इलाज किया जाएगा। अदालत के निर्देशों के अनुसार, इन रोगियों को अपने पूरे उपचार के लिए कोई खर्च नहीं करना होगा।

अस्पताल।

ऐसे रोगियों को छुट्टी दिए जाने के बाद

उपचार के लिए, अस्पताल डी. एच. एस., जी. एन. सी. टी. डी. को एक प्रति के साथ संदर्भित अस्पताल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें इसका संकेत होगा।

प्रदान किए गए उपचार का पूरा विवरण और उस पर किया गया व्यय।

. निःशुल्क उपचार प्रदान करने के मानदंड इस प्रकार होंगे -

जिन व्यक्तियों की कोई आय नहीं है या जिनकी आय इससे कम है

अभी के लिए 4,000/- रुपये प्रति माह, जिसे संशोधित किया जा सकता है।

समय-समय पर।

आई. सरकार से संदर्भित रोगी के प्रवेश के अलावा। अस्पताल, अस्पताल सीधे अस्पताल को रिपोर्ट करने वाले रोगियों को मुफ्त में ओ. पी. डी./आई. पी. डी./हताहत उपचार भी प्रदान करेगा।

निजी अस्पताल और निकटतम सरकार को सूचित करेंगे। उसके भर्ती होने के दो दिनों के भीतर अस्पताल और डीएचएस में।

ii. किसी अन्य तरीके से भर्ती किए गए रोगी, जिनके अंतर्गत नहीं आते हैं

उपरोक्त दिशानिर्देश दावा करने के लिए हकदार नहीं होंगे।

लगाई गई शर्तों का अनुपालन।

वी. अदालत के निर्देशों के अनुसार, फैसले में बताए गए सभी अस्पताल और/या समान रूप से स्थित अन्य सभी अस्पताल मुफ्त रोगी उपचार की अवधि का सख्ती से पालन करेंगे।

गरीब/गरीब व्यक्ति।

. ऐसे अस्पतालों पर कोई लाभ लागू नहीं होगा जिन्होंने अतीत में पूरी तरह से या आंशिक रूप से मुफ्त उपचार प्रदान किया था, उस समय के लिए लागू उच्च शर्तों के साथ खर्चों के किसी भी सेट ऑफ के संबंध में या उस आधार पर अन्यथा। आई. उपरोक्त संशोधित शर्तें अर्थात 25 प्रतिशत मुफ्त ओ. पी. डी. रोगी और 10 प्रतिशत मुफ्त आई. पी. डी. बिस्तर और इन बिस्तरों पर उपचार की घोषणा की तारीख से संभावित होगी।

निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

xvii. ऐसे अस्पताल जिन्होंने शर्तों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है और चूक के साथ बने हुए हैं, उनके लिए शर्तें उस तारीख से संचालित होंगी जब उनके अस्पताल काम करने लगेंगे।

xviii. उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक निरीक्षण समिति किसी भी निजी अस्पताल का निरीक्षण भी करेगी। निरीक्षण समिति पर विचार किया जाना चाहिए और उसे उस अस्पताल का भौतिक निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान की जाएगी जहां मुफ्त उपचार प्रदान किया गया है और मुफ्त उपचार प्रदान करने के रिकॉर्ड भी दिखाए जाएंगे। उक्त समिति को याचिका को पुनर्जीवित करने या अदालत से कोई निर्देश जारी करने और जहां भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवश्यक हो, की स्वतंत्रता दी गई है।

अवमानना के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ता/चूककर्ता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के साथ पठित न्यायालय अधिनियम।

4. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी सिविल संख्या 18599/2007 में विशेष अनुमति याचिकाओं के समूह को खारिज करते हुए अपने दिनांक 1.9.2011 के आदेश में आदेश दिया है किः

" 25 % ओ. पी. डी. और 10 प्रतिशत आई. पी. डी. रोगियों को उपचार देना पड़ता है।

निःशुल्क। उक्त रोगियों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ भी। लेकिन यह संबंधित अस्पताल के उपचार/दवाओं की लागत को पूरा करने के लिए अपनी व्यवस्था करने के रास्ते में नहीं आएगा, या तो अपने धन या संसाधनों से या प्रायोजन या बंदोबस्ती के माध्यम से लागत को पूरा करके या

दान "।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि की है। भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर एक नीतिगत निर्णय लिया है कि सभी छह अस्पताल जिन्हें भूमि द्वारा भूमि प्रदान की गई है और

विकास कार्यालय को प्रदान करने की नीति का सख्ती से पालन करना चाहिए 25 प्रतिशत ओ. पी. डी. और 10 प्रतिशत आई. पी. डी. रोगियों का निःशुल्क उपचार। भारत सरकार आगे उपरोक्त शर्तों को शामिल करती है।

पट्टा/आबंटन के नियमों और शर्तों के एक भाग के रूप में उपरोक्त पैरा 3 (i) से (xviii) में उल्लिखित है।

6. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में से किसी का पालन न करने या उल्लंघन करने का अर्थ पट्टा/आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करना होगा।

(महमूद अहमद)

भूमि और विकास अधिकारी "

103. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि निर्णय सामाजिक न्यायविदों (ऊपर) में

न्यास पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। हमने मामले की अच्छी तरह से जांच की है और हमने पाया है कि मुफ्त इलाज की शर्त प्राथमिक थी।

उद्देश्य, जो विचाराधीन अस्पतालों और इसी तरह स्थित अन्य सभी अस्पतालों पर लागू होगा, चाहे वे उपरोक्त निर्णय में पक्षकार हों या नहीं। सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय समान रूप से स्थित संस्थानों पर लागू होगा।

लोकहित संस्था और इस न्यायालय द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा पुष्टि की गई।

104. यह शर्त के एकतरफा अधिरोपण का मामला नहीं है

अस्पतालों में मुफ्त इलाज। जाँच की गई, अस्पतालों की सुनवाई की गई और न्यायमूर्ति कुरैशी समिति द्वारा साक्ष्य दर्ज किए गए और उसके बाद रिपोर्ट में की गई सिफारिश की गई।

स्वीकार कर लिया। अस्पतालों को कारण दिखाने की आवश्यकता थी। इसके अनुसार, जवाब दाखिल किया गया था। अतः निर्णय को एकतरफा नहीं कहा जा सकता है।

105. यह स्पष्ट है कि पट्टे में शर्तें लागू करने से पहले

दिल्ली के अस्पतालों के लिए न्यायमूर्ति ए. एस. कुरैशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम के कामकाज के संबंध में, धर्मार्थ और अन्य अस्पतालों द्वारा दी गई मौजूदा मुफ्त उपचार सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए, जिन्हें सरकार द्वारा पहले से निर्धारित रियायती शर्तों/दरों पर भूमि आवंटित की गई थी, और लाभार्थी संस्थानों में समान रूप से जरूरतमंद और योग्य रोगियों के लिए मुफ्त उपचार सुविधाओं के लिए उपयुक्त नीति दिशानिर्देशों का सुझाव देने के लिए, विशेष रूप से, निदान, उपचार, आवास, सर्जरी, दवाओं और अन्य सुविधाओं को निर्दिष्ट करने के लिए, जो मुफ्त दी जाएंगी। या आंशिक रूप से मुफ्त; योग्य और जरूरतमंद रोगियों द्वारा मुफ्त उपचार के इष्टतम उपयोग के लिए एक उचित रेफरल प्रणाली का सुझाव देना; और एक कानूनी ढांचे सहित उपरोक्त के लिए एक उपयुक्त प्रवर्तन और निगरानी तंत्र का सुझाव देना। समिति ने विभिन्न बैठकें कीं, पूछताछ की, मूलचंद खराइती राम अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों की सुनवाई की गई। सरकार ने पाया कि मूलचंद खराइती राम अस्पताल के प्रबंधन ने प्रश्नावली का जवाब भेजने और उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए विरोध और लगातार इनकार किया, जिन्हें उन्हें जांच के अंत में जमा करने की आवश्यकता थी। मूलचंद खराइती राम अस्पताल की पहली यात्रा 16.1.2001 पर और दूसरी 21.3.2001 पर की गई थी। विभिन्न अन्य अस्पताल [2018] 7 एस. सी. आर. थे।

106. मूलचंद खराइती राम अस्पताल के संबंध में, न्यायमूर्ति कुरैशी समिति ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की है। यह देखा गया है कि शुरू में ट्रस्ट वास्तव में धर्मार्थ था। इसे लाजपत नगर में रिंग रोड पर स्थित 9 एकड़ प्रमुख भूमि दी गई थी। दक्षिणी दिल्ली। शुरू में अस्पताल ने ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. वर्गों में रोगियों के लिए एक मुफ्त आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में काम करना जारी रखा। इसने आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी शोध किया। बाद में न्यासियों ने एलोपैथिक उपचार भी शुरू करने का फैसला किया। एलोपैथिक खंड को वातानुकूलित डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरों के साथ उन्नत किया गया है जिन्हें वार्ड कहा जाता है। वर्तमान में एलोपैथिक खंड में अस्पताल की लगभग 90 प्रतिशत गतिविधियाँ शामिल हैं और आयुर्वेदिक खंड लगभग 10 प्रतिशत तक कम हो गया है। ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. में रोगियों का केवल नाममात्र का आयुर्वेदिक उपचार है, जिसमें मूल रूप से 4 वार्ड थे। अब यह घटकर केवल एक वार्ड रह गया है जिसमें बहुत कम मरीज हैं। 21.3.2001 पर वार्ड में केवल 4 या 5 आयुर्वेदिक मरीज थे। आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन भी काफी कम हो गया है। अस्पताल में काम करने वाले विभिन्न गवाहों के बयानों पर विस्तार से ध्यान देने और उनका विश्लेषण करने के बाद, समिति ने पाया है कि मूलचंद खराइती राम अस्पताल ने न केवल अपने संस्थापक की इच्छाओं के विपरीत काम किया है, बल्कि गरीबों को मुफ्त इलाज के संबंध में नियमों और शर्तों का भी उल्लंघन किया है। अस्पताल का प्रबंधन इसे धर्मार्थ अस्पताल बिल्कुल नहीं मानता है। यह भूमि ट्रस्ट को आवंटित नहीं की जाती अगर यह धर्मार्थ नहीं होती। जो भी हो, फिर भी अस्पताल को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई है।

उनका रुख यह था कि 'गरीब' शब्द को पट्टा विलेख में या कहीं और परिभाषित नहीं किया गया था, इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। वसीयत में अंतर्वेशन के संबंध में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां भी की गईं। हम अंतर्वेशन के उपरोक्त प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं

तत्काल पदार्थ के रूप में कुछ भी उस पर नहीं बदलता है। समिति ने कहा कि अगर अस्पताल को तुरंत नहीं बचाया गया तो बहुत देर हो सकती है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह बिकने की प्रक्रिया में है। जाँच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों के साथ तथ्य बड़े पैमाने पर लिखे जाते हैं। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) की सुनवाई के दौरान श्री एन. एन. की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है।

107. रिलायंस को मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट की ओर से असित कुमार कर बनाम में दिए गए निर्णय के लिए रखा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , (2009) 2 एस. सी. सी. 703, जिसमें यह देखा गया था कि किसी पक्ष को सुने बिना उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय उन अस्पतालों के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित नहीं कर सकता था, जिनकी सुनवाई सामाजिक न्यायविदों (उपरोक्त) के मामले में नहीं हुई थी। यह भी तर्क दिया गया कि भारत संघ द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विचाराधीन अस्पतालों को रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जो विचाराधीन अस्पतालों की मदद नहीं करता है। हमने वर्तमान मामले में गुण-दोष के आधार पर मामले की नए सिरे से जांच की है जो पिछले निर्णय से अछूता है और हमने पाया है कि सरकार का दिनांकित 2.2.2012 का आदेश पूरी तरह से सही है। उचित है।

108. रिलायंस को दिल्ली विकास पर भी रखा गया है।

प्राधिकरण और ए. एन. आर. वी. एस. एफ. एस. फ्लैटों और अन्य की संयुक्त कार्रवाई समिति आवंटन। , (2008) 2 एस. सी. सी. 672, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुबंध का नवीनीकरण एकतरफा रूप से नहीं किया जा सकता है, और नई शर्तों को प्रस्तावक के ज्ञान में लाया जाना चाहिए और उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। यह आगे देखा गया कि जब एक अनुबंध तैयार किया गया है, तो एक नए दायित्व को एक अनुबंध पक्ष पर नहीं लगाया जा सकता है और यह प्रस्ताव पत्र में निहित मूल शर्तों के दायरे से बाहर था और

आबंटन पत्र, जिसमें अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था

विचार किया। वास्तविक मैट्रिक्स में अलग निर्णय होने के कारण तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं होता है क्योंकि नीति/नियमों में शुरू से ही यह निर्धारित किया गया था कि ऐसी संस्था को भूमि आतिथ्य, अनुसंधान आदि के धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर और/या इसके साथ दी गई है।

गैर-लाभ उद्देश्य। यह अनुबंध के नवीनीकरण के समय नए दायित्व का मामला नहीं है।

109. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि विचाराधीन अस्पताल और इसी तरह स्थित अन्य अस्पताल, परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक पालन करेंगे।

इसे सख्ती से देखा जाएगा और पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। हम इस आदेश को पारित करने के लिए विवश हैं क्योंकि आदेश में निहित पूर्व शर्तों के पूर्ण नीतिगत उल्लंघन का विरोध किया गया था। दिनांकित 2.2.2012। इस तरह के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम एतद्द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को इस [2018] 7 एस. सी. आर. को आवधिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा शर्तों के अनुपालन के संबंध में आज से एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायालय-दिल्ली में अस्पताल और अन्य समान अस्पताल, न केवल सामाजिक न्यायविदों के मामले (उपरोक्त) के निर्णय द्वारा शासित होते हैं, बल्कि इस निर्णय द्वारा भी शासित होते हैं।

110. नतीजतन, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं हैं और वही उत्तरदायी है

अलग रखें और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। दल अपना खर्च स्वयं उठाएंगे।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी